खण्ड-323, अंक-8
शुक्रवार, 19 अग्रहायण, शक संवत् 1898
(10 दिसम्बर, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 323 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	989–993
प्रश्नों तथा अन्य असरकारी कार्यों के न लिए जाने के सम्बन्ध में नियमों के निलम्बन हेतु संकल्प (स्वीकृत)	993–996
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री सुल्तान आलम खां, मुस्तफा कामिल किदवई तथा नवरंग सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	996–998
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	999
उत्तर प्रदेश चिट फन्ड नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	999
उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल अध्यापक (वचत एवं बीमा) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	999
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	999
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1000
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का अनुरक्षण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1000
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कर तथा भूमि के किराए के बकाए की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1000
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (छठा संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1000
पंचायती वन नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1000
उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 तथा उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयीं) ..	1001
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (अष्टम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1001
संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	1001
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1001
उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1002
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	1002
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	1002
उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	1002
उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 में किए गए, शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	1002

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	1003
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1003
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1003
उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1003
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1003
उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1004
खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1004
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	1004
उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1004
उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1004
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1004
उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1005
उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	1005
उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	1005
उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1005
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1005
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1006
उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1006
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	1006
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1006
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1006

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	1007
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1007
उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	1007
खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1007
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1007
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1008
उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1008
उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1008
उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1008
उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	1008
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	1009
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1009
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना ..	1009
लोक लेखा समिति (1976-77) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	1009
विधान सभा के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में कतिपय सदस्यों के प्रार्थना-पत्र (स्वीकृत) ..	1010
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1010–1011
श्री त्रिवेणी सहाय द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना ..	1011
कतिपय समितियों तथा परिषदों के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना (जारी)	1011
संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में संवैधानिक आपत्ति	1011–1012
संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (जारी)	1013–1056
कतिपय समितियों तथा परिषदों के लिए सदस्यों का निर्वाचन कार्य क्रम की सूचना	1056–1057
संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (जारी)	1057–1067
नत्थियां	1068–1079

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—366

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट)
उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री (एडवोकेट)
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० म० महीउद्दीन, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री

गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चरन दास सेठ, श्री
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दघीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री

फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री

राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राघा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी,श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति,श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा,श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी शर्मा, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री

सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिप्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खण्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह,
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

नोट—स्वायत शासन राज्य मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा ग्राम्य विकास, राज्य मन्त्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नों तथा अन्य सरकारी कार्यों के न लिए जाने के सम्बन्ध में नियमों के निलम्बन हेतु संकल्प

प्रश्न संख्या 1, श्री सत्यपाल सिंह यादव (संसदीय कार्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री की तरफ से एक सूचना आयी है कि वह प्रश्नों आदि को स्थगित करने का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। मन्त्री जी प्रस्ताव करें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन यह निश्चय करता है कि विधान सभा की 10 व 11 दिसम्बर, 1976 की बैठकें एक अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय अर्थात्, संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार करने हेतु है, अतएव इन बैठकों में निधन के निर्देशों, सदन को दी जाने वाली सूचनाएं व सदस्यों के अवकाश हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्रों व समितियों के प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त केवल उक्त कार्य ही सम्पादित किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार की कार्य (जिसके अन्तर्गत प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा किसी, असरकारी सदस्य द्वारा उठाए जाने वाला अन्य कार्य सम्मिलित हैं) इन बैठकों के दौरान न तो सदन के समक्ष लाया जाएगा और न उसे सम्पादित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के इस विषय पर सभी संगत नियम एतद्द्वारा इस सीमा तक निलम्बित रहेंगे।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मन्त्री जी ने रखा है, मुनासिब नही है, मैं इसका विरोध करता हूं। इस समय ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है कि प्रश्नकाल निलम्बित कर दिए जायं। यदि असाधारण बात होती तो जो पहली दिसम्बर को आपने सेशन बुलाया था उसको स्थगित नहीं करते। इस बीच में कोई असाधारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल]

परिस्थिति नहीं हो गई है। 10, 11 के बजाय आप 12 तारीख को भी बैठ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रश्न के जरिए आवश्यक चीजों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अगर जरूरी हो कि समय और चाहिए तो उसके लिए आप दो एक दिन और बैठक कर लें और विस्तार से चर्चा हो सकती है।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय भीखा लाल जी से मैं सहमत हूं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह महत्वपूर्ण विषय है। इसमें प्रश्नों का समय काटने के बजाय दो दिन और बढ़ा देते। दो दिन जहां तक मैं समझता हूं अपर्याप्त है, मैंने मुख्य मन्त्री जी से कहा था कम से कम तीन दिन रखिए लेकिन वह राजी नहीं हुए और उन्होंने दो दिन का आग्रह किया। वैसे उनका आग्रह तो एक ही दिन का था लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर इनायत की तो दो दिन रखे। लेकिन अब इसमें प्रश्न का समय काट देना ठीक नहीं है जैसा माननीय भीखा लाल जी ने प्रस्ताव किया है, मैं सहमत हूं और समझता हूं कि 10 के बाद हम 13 तथा 14 तारीख को रख लें क्योंकि 11 तारीख शनिवार है कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है। 11 को सेकेंड सटर-डे की छुट्टी भी रहती है इसलिए 13 और 14 रख लें। प्रश्नों का समय भी रहे क्योंकि प्रश्न एक बड़ा भारी अधिकार होता है एम0 एल0 एज0 का उसको ले लेना उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके जरिए दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी प्रश्न को समाप्त न करवायें और 10, 13 और 14 तीन दिन तक इस में बहस हो जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, ये सारी बातें जब कार्य मन्त्रणा समिति में तय हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि अब इस पर विवाद करना ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति में कहां यह बात तय होती है कि प्रश्न काल हो अथवा न हो, यह कार्य मन्त्रणा समिति के क्षेत्र के बाहर की बात है। कार्य मन्त्रणा समिति का जो निर्णय है, वह सदन के सम्मुख बाद में आएगा।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे सामान्यतया नेता विरोधी दल एवं नेता साम्यवादी दल की बातों को मानने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन श्रीमन्, जहां तक मुझे सूचना है कल जो अनौपचारिक विचार विमर्श आपके सम्मुख हुआ उसमें इस विषय के महत्व को देखते हुए जैसा संसद में भी हुआ तथा अन्य विधान मन्डलों में भी हुआ जहां तक मुझे जानकारी है, उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो अनौपचारिक रूप से यह तय हो गया था कि यह प्रस्ताव लाया जाय और उसी के आधार पर मैं समझता हूं शासन को भी तथा सदस्यों को भी यह सूचना अनौपचारिक रूप से दे दी गई कि कोई नोटिस आदि नहीं लिए जायेंगे। क्योंकि यह सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है अत: अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कुछ और निर्णय ले लिया हो, लेकिन यह बात तय हो चुकी है। तो अब प्रश्नों के उत्तर देने के विषय में कठिनाई होगी और इस तरीके से काम करने में। जो बात कल तय हो चुकी है, उसी को रखा जाए। संसद में भी यही हुआ है। अब इसके बाद भी वह दो घंटा बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बढ़ा देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बिजनेस एडवाइजरी बाडी में तय हो चुका है, उसी पर रहा जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*चौधरी चरण सिंह—

मेरी तो केवल दरख्वास्त थी, बाकी जो चीफ मिनिस्टर चाहेंगे वह स्वीकार है, क्योंकि मैं बैठक में तैयार हो गया था। एक बात यह अवश्य है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ, उस पर अन्तिम निर्णय तो हाउस ही लेता ह, इसलिए यह सदन के समक्ष रखा जाता है। रही यह बात की कि आज वह प्रश्नों के लिए तैयार हो कर नहीं आए हैं तो उसका जवाब अगले दिन दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी विपक्ष दल की छोटी-मोटी बात मान लेते हैं, यही उनका और इस गवर्नमेन्ट का गुण है और तो कुछ अब रह नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है कि कल अनौपचारिक तरीके से मेरे कक्ष में कुछ तय हुआ था और मुझे लगा कि सहमति है और मुझे यह भी लगा कि मैंने जो पीठासीन अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया था उसके जो आबजरवेशन्स हैं, उनमें साफ है कि प्रश्नों के काल को शिकस्त न किया जाय। एक पीठासीन अधिकारी ने तो यहां तक कहा "सच थिंग्स मस्ट नाट बी रिपीटेड इन फ्युचर"। तो मैं केवल यही कहूंगा कि जो सवाल है वह नियमावली की प्रक्रिया के द्वारा कार्य करने का है और यह प्रश्न आता कैसे? नियमों की स्थिति यह है कि जब प्रश्नों के लिए मैंने नाम पुकारा तो यह प्रश्न इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अब चूंकि वह सदन के समक्ष प्रश्न उपस्थित हुआ इसलिए कोई संकल्प नियमों के निलम्बन के बारे में जाब्ते से ही किया जा सकता है। इसीलिए मैंने इजाजत दे दी। अगर माननीय सदन नहीं चाहता है कि प्रश्न लिए जाएं, तो मेरा केवल आग्रह है, दुराग्रह नहीं होगा, किन्तु भविष्य के लिए अवश्य कहना चाहूंगा कि प्रश्नों को शिकस्त करना, सारे नियमों और प्रक्रिया को निलम्बित करने की प्रथा ठीक नहीं है। इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने तय कर दिया कि प्रश्न नहीं लिए जायेंगे, लेकिन जो एजेन्डा है ....

श्री अध्यक्ष—

मैं अपनी तरफ से प्रश्नों को शिकस्त नहीं करता। सदन के समक्ष प्रश्न रखे गए, मैंने नाम पुकारा। स्पीकर मैं हूं, लेकिन मैं सदन की इच्छा के अनुसार ही चलूंगा। मैं कह दूं कि सदस्य प्रश्न करेंगे और मुख्य मन्त्री तथा सदन चाहे कि नहीं, तो स्पीकर ऐसी स्थिति बचाता है। आखिर में आप दलों के अनुशासन में हैं। इसलिए जो नियमानुसार मैंने इजाजत दे दी, मैंने अपनी तरफ से प्रश्नों को रखा और जब नियमानुसार एक प्रस्ताव आया तो उसके सम्बन्ध में अगर हमारे कक्ष में पूर्व सहमति की परिधि न हुई होती तो मैं दूसरा कोई निर्णय लेता। तो सदन के सम्मुख जो मेरे आदेशानुसार प्रश्न है, उस पर सदन ही कोई निर्णय ले सकता है, मैं नहीं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आपने जो निर्णय लिया, वह मुझे स्वीकार है।

*चौधरी चरण सिंह—

पहली बात तो यह है। जो हम एक घंटा बचाने की बात सोच रहे थे वह इसम जो इतना बिजनेस रखा हुआ है उसी में लग जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में मजबूरी यह है .....

चौधरी चरण सिंह--

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मजबूरियां हैं। मतलब यह है कि 5 घंटे के बजाय जो 6 घंटे देने की बात है इस बहस में किसी भी कारण से वह पूरी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने शुरू में फरमाया था कि और जगह शायद दो दिन नहीं दिए गए। जहां तक और प्रदेशों की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रदेश में इतना बड़ा सदन नहीं है, न इतना बड़ा विपक्षी दल है। मैं फिर दोहराता हूं, तीन दिन के लिए राजी हो जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने नहीं कहा।

चौधरी चरण सिंह--

नहीं कहा तो वह बात वापस हो गयी। लेकिन तीन दिन के लिए राजी हो जायं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन यह निश्चय करता है कि विधान सभा की 10 व 11 दिसम्बर, 1976 की बैठकें एक अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय अर्थात्, संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार करने हेतु है, अतएव इन बैठकों में निधन के निर्देशों, सदन को दी जाने वाली सूचनाएं व सदस्यों के अवकाश हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्रों व समितियों के प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त केवल उक्त कार्य को सम्पादित किया जाएगा और किसी भी अन्य प्रकार का कार्य (जिसके अन्तर्गत प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा किसी असरकारी सदस्य द्वारा उठाए जाने वाला अन्य कार्य सम्मिलित हैं।) इन बैठकों के दौरान न तो सदन के समक्ष लिया जाएगा और न उसे सम्पादित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के इस विषय पर सभी संगत नियम एतद्द्वारा इस सीमा तक निलम्बित रहेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री सुल्तान आलम खां, मुस्तफा कामिल किदवई तथा नवरंग सिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मुझे बहुत दुःख के साथ सम्मानित सदस्यों को सूचित करना पड़ता है कि प्रदेश के भूतपूर्व उपमन्त्री, सदन के सम्मानित सदस्य, विधान मन्डल के दीर्घकाल से रहने वाले सम्मानित सदस्य श्री सुल्तान आलम खां जी की मृत्यु कैंसर रोग से अलीगढ़ मेडिकल कालेज में पिछले 5 नवम्बर को हो गयी।

श्रीमन्, श्री सुल्तान आलम खां, इस प्रदेश के जाने-माने, नेताओं में से थे। वह 1937 से 1974 तक, इतनी लम्बी अवधि तक, लगातार हमारे इस विधान मन्डल के सर्वाधिक विधान सभाओं के सदस्य, वरिष्ठतम सदस्यों में से रहे। 1937 में पहली बार वह चुने गए, फिर, 1952 में चुने गए, 1957 में चुने गए, 1958 में उपमन्त्री प्लानिंग के रूप में नियुक्त हुए। शासन में प्लानिंग को नयी दृष्टि दी। प्लानिंग इन्स्टीट्यूट के जरिए अच्छा कार्य किया। फर्रुखाबाद के जनपद में बाइपास का निर्माण कराया और टैनरी की स्थापना करवायी। कायमगंज में फ्रूट फैक्टरी और सहकारी चीनी मिल स्थापित करवाने में उनका हाथ रहा। वह कायमगंज नोटीफाइड एरिया के चैयरमैन, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे। वह आननेरी मैजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के चेयरमैन और मुस्लिम युनिवर्सिटी अलीगढ़ कोर्ट के चेयरमैन भी रहे।

उन्होंने अनेकानेक पदों को विभूषित किया । वह बड़े विद्वान थे और सदन में बड़ी योग्यता के साथ बोलते थे। उन्होंने अपनी पठनशीलता से सभी को प्रभावित किया। राजनैतिक संगठनों में भी उन्होंने बड़ा हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी और सदन की इन भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक आप पहुंचाने की कृपा करें।

दूसरे मुझे मुस्तफा कामिल किदवई की मृत्यु की सूचना बड़े दुख के साथ देनी पड़ती है। आप सन् 1950 में गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के कौंसिल की तरफ से राजदूत बनाकर जद्दे भेजे गये और आपने 10 साल से ज्यादा सऊदी अरब में काम किया। उसके बाद शुमाली लैंड और मारीशश में भी सफीर के पद पर कार्य करते रहे, फिर आपका तबादला मलेशिया हो गया और फिर वहां से आप भारत लौट आए। सन् 1969 में आप मसौली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। आप 1974 में विधान परिषद् के सदस्य हुए और आपने जनता की बड़ी सेवा की। आपका स्वर्गवास 21/22-11-1976 को दिल्ली में आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स में रात्रि के साढ़े नौ बजे हो गया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तथा सदन की भावनायें शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

तीसरे श्री नवरंग सिंह, जो गोन्डा जिले के सम्माननीय नेता थे, का निधन हो गया है। उसकी सूचना देते हुए मुझे बड़ा दुख होता है । उसका देहान्त गौहाटी मेडिकल कालेज में 21 नवम्बर, को हो गया। वह इतने कर्त्तव्यनिष्ठ थे कि बीमार होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के गौहाटी सम्मेलन में भाग लिया। उनको लोगों ने मना किया कि आपकी हालत अच्छी नहीं थी तो यहां पर नहीं आना चाहिए तो श्री सिंह ने कहा कि अभी तक मैं किसी सम्मेलन में भाग लेने से वंचित नहीं हुआ हूं। बराबर मना करने पर आप सम्मेलन में बैठे रहे। वहीं पर अचानक हार्ट अटैक हो जाने से आपकी मृत्यु हो गयी। जिस तरह का उदाहरण आपने प्रस्तुत किया वह हमारे लिए अनुकरणीय है। उन्होंने गोन्डा जिले की जो सेवा की वह सर्वविदित है। उन्होंने कई आन्दोलनों में भाग लिया और कांग्रेस संगठनों में कई पदों पर रह कर योगदान दिया। हम ऐसे महान् व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करत हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी तथा इस सदन की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, यह मेरी खुशकिस्मती है कि जितने लोग इस संसार से जा रहे हैं, वह हमारे साथ रहे हैं और उनको मैंने देखा है और उनके साथ काम किया है और मेरे व्यक्तिगत संस्मरण हर एक के साथ कुछ न कुछ रहे ह । मुझसे पुराने जितने सदस्य थे, एक आध छोड़कर सभी इस संसार से चले गए और सबसे पुराना सदस्य ऐसा लगता है कि मैं ही रह गया हूं। हम सबको मालूम है कि एक समय आता है, जब कि सभी को जाना पड़ता है, लेकिन जब कोई इस संसार को छोड़कर जाता है तो दुख होता ह । तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। तीनों सज्जनों के सिलसिले में मुझे एक-एक बात कहनी है। माननीय किदवई जी का एक राजनैतिक जीवन था। उन्होंने अपने देश और देश के बाहर बड़ी कामयाबी के साथ कार्य किया।

वर्ष 1969 में जब वे इन्डिपेन्डेन्ट के रूप में चुने गए तो मेरी पार्टी से भी कुछ बातचीत चली। तो उस सिलसिले में उनसे काफी सम्पर्क में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। उनके जाने से मुझे और मेरे साथियों को तकलीफ है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

जहां तक श्री सुल्तान आलम खां का सम्बन्ध है, वह 1939 में एसेम्बली की एक बैठक मई और जून में ननीताल म हुई थी और उस समय कांग्रेस गवर्नमेन्ट की ओर से पंचायत राज बिल पेश हुआ था। उस समय श्री सुल्तान आलम खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे और उसी के टिकट पर चुन कर आए थे, तो उन्होंने उसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए। कांग्रेस गवनमेन्ट यह मानने को तैयार नहीं थी। तो इस बिल का विरोध करने में श्री सुल्तान आलम खां ने बड़ी विद्वता और जोश के साथ डिवेट में भाग लिया। वह भी मुझे अभी तक याद हैं। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो वे कांग्रेस म आगए और बड़ी ईमानदारी के साथ कांग्रेस में काम किया।

तीसरे माननीय सदस्य नवरंग सिंह, श्री लाल बहादुर और श्री ईश्वर शरण; ये तीन प्रमुख कांग्रेसी थे, जिन्होंने कांग्रेस की बड़ी सेवाएं गोन्डा जिले म कीं। तो जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बतलाया, इन्होंने बड़ी सेवा की और जैसा कि कोई साधारण जन जितना बलिदान कर सकता था उतना बलिदान इन्होंने किया। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, केवह 68 वर्ष। यों तो हमारे इण्डियन स्टैन्डर्ड के हिसाब के 68 वर्ष की आयु काफी मानी जाती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि वह कोई बड़ी उम्र नहीं कही जा सकती। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और लोकपक्ष या लोक दल की ओर से हार्दिक दुःख प्रकट करता हूं, इन तीनों दोस्तों के देहावसान पर और आशा करता हूं कि आप उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी सम्वेदना पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, माननीय सुल्तान आलम खां, मुस्तफा कामिल किदवई और नवरंग सिंह के निधन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो शोक प्रस्ताव पेश किया है और भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। ये तीनों व्यक्ति देश और प्रदेश की राजनीति में रहे और सार्वजनिक जीवन में उनका विशेष योगदान रहा है। उनसे मिल कर मुझ भी सदन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके व्यक्तित्व से मैं भी काफी प्रभावति रहा। उनके निधन से हमारे प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से और अपने कम्युनिस्ट विधायक दल की ओर से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धान्जिल अर्पित करता हूं और मेरा अनुरोध है कि हमारे विचार उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

श्री मुस्तफा कामिल किदवई, श्री नवरंग सिंह और श्री सुल्तान आलम खां के बारे में जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने, नेता विरोधी दल और नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने शोकोद्गार के भाव व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। ये तोनों माननीय सदस्य इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे थे और सार्वजनिक जीवन में अपनी कार्य-कुशलता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके निधन से सार्वजनिक क्षति हुई ह और मैं समझता हूं कि उसकी पूर्ति होनी मुश्किल है।

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी न जो माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि शोकोद्गार के उनके भाव संतप्त परिवार तक पहुंचा दिए जायं, तो मैं ऐसा करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट खड़े होकर आप मौन धारण करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए खड़े हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां †

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (विक्री-कर) अनुभाग-2 की —

(1) दिनांक 1 मई, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–2546/दस–76–6(37)–75, दिनांक 30 अप्रैल, 1976,

(2) दिनांक 20 मई, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2–2956/दस–6(17)–76, दिनांक 20 मई, 1976,

(3) दिनांक 20 मई, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2–2957/दस–6(17)–76, दिनांक 20 मई, 1976,

(4) दिनांक 20 मई, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2–3006/दस—1035(20)–74, दिनांक 20 मई, 1976,

(5) दिनांक 11 सितम्बर, 1976 के आसधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2–5284/दस–9(46)–76 उ0 प्र0 अ0–1548–आदेश, 1976, दिनांक 11 सितम्बर, 1976, को उ0 प्र0 बिक्री-कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार तथा

(6) दिनांक 1 सितम्बर, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2–5155/दस–9(46)–76, दिनांक 1 सितम्बर, 1976, को उ0 प्र0 बिक्री-कर अधिनियम, 1976 की धारा 3-घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश चिट फन्ड नियमावली, 1976 †

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग की अधिसूचना सं0लेखा परीक्षा-7333(11)/दस–605(68) 74, दिनांक 21 जुलाई, 1976, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश चिट फन्ड नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश चिट फन्ड अधिनियम, 1975 की धारा 69 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल अध्यापक (बचत व बीमा) नियमावली, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं शिक्षा (5) अनुभाग की अधिसूचना सं0 5544/15–(5)–76–422–75, दिनांक 29 अगस्त, 1976, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल अध्यापक (बचत एवं बीमा) नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1976 †

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 7011-टी/तीस–4–25–के0एम0–76, दिनांक 10 सितम्बर, 1976, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1976 को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयीं।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन नियमावली, 1976†

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्व अनुभाग-5 की अधिसूचना सं0 3-9(1)/76-(139-76)-1-5, दिनांक 30 अगस्त, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का अनुरक्षण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 395-बी/33--153-72, दिनांक 19 अप्रैल, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का अनुरक्षण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 को यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कर तथा भूमि के किराए के बकाए की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 3764-बी/33--198-64, दिनांक 19 अप्रैल, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कर तथा भूमि के किराए के बकाए की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (छठा संशोधन), नियमावली, 1976†

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0 110/2-1(4)-76-रा0-ए, दिनांक 30 जून 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (छठा संशोधन) नियमावली, 1976 को, उसमें जारी किए गए शुद्धि-पत्र सं0 110/2-1(4)-76-रा0-ए, दिनांक 30 सितम्बर, 1976 सहित, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

पंचायती वन नियमावली, 1976 †

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 6589/14-2-302-64, दिनांक 19 जुलाई, 1976 द्वारा प्रख्यापित पंचायती वन नियमावली, 1976 को, इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 की धारा 78 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 तथा उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1976 †

सिंचाई मन्त्री (श्री लोकपति)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सिंचाई विभाग अनुभाग-4 की :—

(1) अधिसूचना संख्या 5204–एन0 बी0–76/तेईस–आई (4)–12–(रेट) 76–(के0 अधि0–8–1873–नियम–1975)–संशोधन (1)–1976, दिनांक 17 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 तथा

(2) अधिसूचना सं0 5209–एस-बी0–76/तेईस–आई0–(4)–12–(रेट)–76 (के0 अधि08/1873–नियम–1976), दिनांक 17 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1976 को, नार्दन इन्डिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 की धारा 75 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश का अधिक जोत सीमा आरोपण (अष्टम संशोधन) नियमावली, 1976 †

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 159/2–5–(2)–76–उ0 प्र0–अधि0–1–61–नियम–61–संशो0 (8)–76, दिनांक 8 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (अष्टम संशोधन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश साधारण खन्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976, द्वारा भारत के संविधान में किए जाने के लिए प्रस्तावित उन संशोधनों को, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से विधान सभा सचिवालय को प्राप्त पत्र तथा उक्त विधेयक एवं तद्विषयक संसद की कार्यवाहियां सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 182(1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1068 पर।)

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976, में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1069 पर)

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1070 पर।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1071 पर।)

उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1072 पर।)

उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1073 पर।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1074 पर।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1075 पर।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद) विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976 जो विधान सभा द्वारा 9 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 10 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 30वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1970-71 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 10 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 31वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1976, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 10 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 32वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 33वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 34वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 35वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 36वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के उपवेशन म पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी ह और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 37वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेय , 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 38वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामउद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 नवम्बर, 1976 के उपवशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक) नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 39वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 40वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 41वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दन्ड) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिजली के तार-और ट्रान्सफारमर (चोरी का निवारण और दण्ड) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 42वां अधिनियम बन गया।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि खाद्य आप मिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 43वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 44वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 नवम्बर, 1976 के उपवशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 45वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा मे घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 नवम्बर, 1976 के उपवेशन म पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 46वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 47वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 48वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों) की उपलब्धियों का (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 49वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 50वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 नवम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 51वां अधिनियम बन गया ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा के विगत अधिवेशन के पश्चात् निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी, रिहाई इत्यादि की सूचनायें सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं, जिससे माननीय सदस्यों को बुलेटिन संख्या 34 से 36 द्वारा अवगत कराया जा चुका है —

(1) श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (फर्रुखाबाद),
(2) श्री शिव प्रसाद (आजमगढ़),
(3) श्री मुहम्मद मसूद खां (आजमगढ़),
(4) श्री लक्ष्मण सिंह (मुजफ्फरनगर),
(5) डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (सुल्तानपुर),
(6) श्री राम अधार (आजमगढ़),
(7) श्री मोहन लाल कपूर (मेरठ),
(8) श्री शतरुद्ध प्रकाश (वाराणसी) ।

लोक-लेखा समिति (1976-77) का प्रतिवेदन †

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति लोक लेखा समिति की हैसियत से 1967-68 के विनियोग लेखे तथा 1969 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वियन हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी लोक लेखा समिति (1976-77) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

---

†छापा नहीं गया ।

विधान सभा के उपवेशनों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में कतिपय सदस्यों के प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नियाज हसन खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन के उपवेशन दिनांक 10 नवम्बर, 1976 से 22 दिसम्बर, 1976 तक की अवधि के अवकाश हेतु की गयी प्रार्थना को सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1076 पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन के उपवेशन, वर्ष 1975 के द्वितीय सत्र एवं वर्ष 1976 के प्रथम सत्र की पूर्ण कालावधि तथा वर्ष 1976 के द्वितीय सत्र के दिनांक 1 नवम्बर, 1976 से 10 नवम्बर, 1976 तक की अवधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के मार्जन हेतु एवं तत्पश्चात् निरोध पर्यन्त सदन के समस्त उपवेशनों से अनुपस्थिति के अवकाश हेतु की गयी प्रार्थना को सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 1077 पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राम चरन शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन के उपवेशन वर्ष 1975 के द्वितीय सत्र एवं वर्ष 1976 के प्रथम सत्र की पूर्ण कालावधि तथा वर्ष 1976 के द्वितीय सत्र के दिनांक 1 नवम्बर, 1976 से 10 नवम्बर, 1976 तक की अवधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के मार्जन हेतु एवं तत्पश्चात् जब तक स्वस्थ न हो जाएं तब तक सदन के समस्त उपवेशनों से अनुपस्थिति के अवकाश हेतु की गयी प्रार्थना को सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 1078 पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि बाबा रामनाथ, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन के उपवेशन, वर्ष 1976 के प्रथम सत्र की पूर्ण कालावधि तथा वर्ष 1976 के द्वितीय सत्र के दिनांक 1 नवम्बर, 1976 से 10 नवम्बर, 1976 तक की अवधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के माजन हेतु एवं तत्पश्चात् वष 1976 के द्वितीय सत्र के शेष आगामी उपवेशनों से अनुपस्थिति के अवकाश हेतु की गयी प्रार्थना को सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 1079 पर।)

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 नवम्बर, 1976 तथा 9 दिसम्बर, 1976 को हुयी बैठकों में यह सिफारिश की है कि संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधयक, 1976 जसा कि वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ, के अनसमथन के संकल्प पर 2 दिन अर्थात् 10 व 11 दिसम्बर, 1976 को चर्चा हो तथा इस हेतु सदन की बैठक शनिवार, 11 दिसम्बर, 1976 को भी नियमित समय पर हो।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री त्रिवेणी सहाय द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि विधान सभा के माननीय सदस्य श्री त्रिवेणी सहाय ने अपने दल परिवर्तन की सूचना दी है। श्री त्रिवेणी सहाय, गोंडा, लोक पक्ष को छोड़कर निर्दल हो गए हैं।

कतिपय समितियों तथा परिषदों के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् के लिए तीन सदस्यों, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिए चार सदस्यों, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के लिए दो सदस्यों, क्षेत्रीय विकास स्थायी समिति के लिए 16 सदस्यों, प्राक्कलन समिति के लिए एक सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के लिए एक सदस्य, जेल स्थायी समिति के लिए एक सदस्य, सूचना स्थायी समिति के लिए एक सदस्य, पर्यटन स्थायी समिति के लिए एक सदस्य तथा स्पोर्ट्स स्थायी समिति के लिए एक सदस्य के निर्वाचनार्थ प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक 9 दिसम्बर, 1976 को नियत समय पर की गयी और सब ठीक पाए गए हैं।

इन परिषद्/समितियों में चूंकि निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं, अत: यदि अतिरिक्त नाम, नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय अर्थात् दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 के अपराह्न 4 बजे तक वापस नहीं लिए गए तो निर्वाचन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 को दिन के 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान मन्डल पुस्तकालय में होगा।

अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्डों पर तथा नोटिस आफिस में देखी जा सकती है।

कार्य-स्थगन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में संवैधानिक आपत्ति

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मुख्य मन्त्री जी को पुकारने पर)

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यिवर, इस सम्बन्ध में मेरी संवैधानिक आपत्ति है संकल्प प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

संकल्प प्रस्तुत होने के बाद ही आपत्ति होगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सदन म संकल्प प्रस्तुत न हो उसी के सम्बन्ध में मेरी संवैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—

कहां आपकी आपत्ति हैं ? लिखित दिया है कि नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्रीमन्, लिखित देने की आवश्यकता नहीं है।

मेरी सवधानिक आपत्ति है कि संविधान धारा 368 में इस बात का स्पष्ट प्राविधान ह कि संविधान में संशोधन उस देश की ससद ही कर सकती हैं और इस माननीय सदन के समक्ष वही संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता ह जिसको देश की संसद ने पास किया हो इसलिए संवैधानिक आपत्ति यह है कि इस लोक सभा का चुनाव मार्च 1971 में हुआ था और 18 मार्च, 1971 को लोक सभा गठित हुई थी। जिस समय चुनाव हुआ था तो वह 5 वर्ष के लिए हुआ था इसलिए 18 मार्च, 1976 को लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और लोक सभा से बड़ी चीज देश की जनता होती है। इस चीज को, इस तथ्य को प्रधान मन्त्री ने माना है कि संविधान से ऊपर जनता है, जनता सर्वोपरि है। जनता ने जनादेश दिया था जो 18 मार्च, 1976 को समाप्त हो गया है। उसके बाद यदि कोई भी कार्य इस लोक सभा ने किया है तो मान्यवर, वह असंवैधानिक है।

मान्यवर, दूसरी आपत्ति यह हं कि यह लोक सभा बैठी है और कांग्रेस पार्टी केवल 23 प्रतिशत के बहुमत पर है। उस पर भी 5 साल तक देश के अन्दर राज्य किया और उसके बाद आपात कालीन स्थिति असंवैधानिक रूप से घोषित किया है। इसलिए यह आपत्ति है कि माननीय मुख्य मन्त्री इस संकल्प को नहीं प्रस्तुत करेंगे और धारा 368 के अनुसार लोक सभा ने नहीं पारित किया है।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सम्मानित सदस्य प्रयाग के हैं, जहां उच्च न्यायालय की पीठिका भी है, इसलिए मुझे आशा थी कि वह संविधान के जानकार होंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी लचर दलील दिया है कि जिसे न पार्लियामेन्ट में उठाया गया और जानकारी हैं कि एक्का-दुक्का ने कहा ह। लेकिन संसद को अधिकार है, कार्यकाल बढ़ाने का और कार्यकाल बढ़ाकर संसद कार्य कर रही है, निर्णय ले रही है। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ ह जैसा कि आपने कहा कि लोक सभा अब लोक सभा नहीं रही। इसलिए इसको तो आपको एक बारगी रूल आउट कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जो आपत्ति मालवीय जी ने उठायी है, उसकी ओर संसद में ध्यान आकृष्ट किया गया था और इसका समाधान भी वहां किया जा चुका है। प्रश्न यह है कि जो संविधान भारत ने स्वीकार किया है, उस संविधान की किसी धारा का अवलम्ब लेकर अवधि बढ़ाने का कार्य हुआ है कि नहीं ? जो संविधान है, उसमें एक समय एक वर्ष तक बढ़ाने की छूट है। यह अधिकार दिया गया है। तो मैं नहीं समझता कि देश की जो संसद है वह नियमानुसार कार्य नहीं कर रही है और फिर जो संशोधन हुआ है, जो चवालीसवां संशोधन आपके पास विचारार्थ है उसका अनुसमर्थन आपको करना है या अननुमोदन करना है। क्या पास हुआ है कैसे पास हुआ इसमें भी आपने नहीं जाना है। तो यह जो आपत्ति मालवीय जी ने उठायी है, उसका वास्तविकता से सम्बन्ध नहीं है। इसलिए इसे मैं रूल आउट करता हूं।

संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन भारत के संविधान में उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले संशोधनों का अनुसमर्थन करता है, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 द्वारा, जिसका परिवर्तित संक्षिप्त नाम संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 है, प्रस्तावित है"।

श्रीमन्, वैसे तो इस सदन को कई अवसर मिले हैं अपने इतिहास में कि भारत के संविधान के पारित होने के बाद जो उसमें आवश्यकीय संशोधन हुए हैं, उनका अनुसमर्थन करें। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सम्मानित सदन को जो आज दूसरा अनुसमर्थन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वह एक माने में ऐतिहासिक है और इस सदन के जो सम्मानित सदस्यों ने चाहे इस पक्ष के हों अथवा उस पक्ष के जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, संविधान में परिवर्तन किए जाने के उनके अनुरूप है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस अनुसमर्थन में यह व्यक्त होती है कि इस सदन की यह सदैव आवाज रही कि हम अपने प्रदेश, अपने देश में प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करें और इस सदन म जो पहले भी वाद-विवाद हुए हैं इसी जन भावना को बार-बार व्यक्त किया गया है।

सब से महत्वपूर्ण बात जो संविधान संशोधन में हुई है श्रीमन्, उसको हम देखें यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय गणराज्य जो पहले सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य था उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य' इन शब्दों को जोड़ कर संविधान में इस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत की साठ करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, उत्तर प्रदेश की दस करोड़ जनता की आकांक्षों के अनुरूप हमारा देश समाजवादी गणराज्य होगा, हमारा देश सेक्यूलर गणराज्य होगा सेक्यूलर ऐन्ड सोशलिस्ट। तो यह जो जन-जन की भावना को मूर्तरूप इस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है और मैं समझता हूं कि यह एक ऐतिहासिक घटना है। एक लक्ष्य हमने बनाया है कि किस प्रकार की अपनी देश की व्यवस्था चाहते हैं, कैसे हम निर्माण करना चाहते हैं, इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए और जिन आदर्शों के लिए पूज्य बापू शहीद हुए, जिन आद र्शोंकी मान्यता के लिए हमारे शहीदों ने शहादत की, जिन मान्यताओं के लिए राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानन्द से लेकर शौकत अली, मुहम्मद अली, जिन समाज सुधारकों ने अपनी कुरवानी दी, जो संघर्ष किया, सबकी अभिव्यक्ति इस समाजवादी धर्मनिर्पेक्ष शब्द को जोड़ने से होती है।

श्रीमन्, इस सदन में इस पक्ष में और उस पक्ष में ऐसे सदस्य बैठे हुए हैं जिन्होंने समाजवाद के लिए संघर्ष किया है और समाजवादी अर्थ व्यवस्था का निर्माण करने के लिए अपना जीवन अर्पित किया और उनकी यह मांग रही है कि समाजवाद लाने के लिए हमें संविधान में यह कमी नजर आती है। हम चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी समाज के लिए लड़ रहे हैं और इसकी उद्घोषणा हमारे सर्वोच्च कानून संविधान में होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों को इससे संतोष हुआ हो या न हुआ हो लेकिन विशेष रूप से जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें इससे बड़ा संतोष होगा। श्रीमन्, इसकी परिकल्पना इस सदन में कई बार हुई। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रावी के मैदान में उद्घोषित किया था। इसी लखनऊ शहर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वैज्ञानिक समाजवाद और सोशलिज्म के बारे में कहा था कि जब तक हम देश की सर्वांगीण उन्नति नहीं कर सकते, जब तक हम समाजवाद का निर्माण न करें। तो लखनऊ कांफ्रेंस में पं0 जवाहर लाल नेहरू ने इसका उद्घोष किया था आज से लगभग 40-45 वर्ष पहले और आज हम लखनऊ में ही उसी पं0 नेहरू की कल्पना को जन-जन की

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

परिकल्पना को आचार्य नरेन्द्र देव की परिकल्पना, विद्वानों की परिकल्पना, मानववाद की परिकल्पना को आज साकार कर रहे हैं।

श्रीमन्, सेक्यूलर शब्द ऐसा है जो निर्विवाद है। मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठे हुए अनेक माननीय सदस्य चाहे वे नेता विरोधी दल, जिनका कि मुझे अध्ययन करने का सुअवसर मिला है, हों, उनको भी संतोष होगा, मुझे विश्वास है कि इस संविधान संशोधन विधेयक में बहुत से अच्छे बिचारों का प्रतिपादन हुआ है। इस बात पर बहुत जोर दिया जाता रहा है कि हमारे यहां अधिकारों का उल्लेख बहुत है, कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं है, हम कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं है। लोग अधिकारों पर जोर देते रहे हैं पर कर्त्तव्यों पर जोर नहीं देते हैं। श्रीमन् पहली बार इस संविधान के इतिहास में, इस प्रदेश के इतिहास में यह प्रयास किया गया है कि भारत के नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया जाय कि हमारे कर्त्तव्य क्या हैं। श्रीमन्, धारा 51 (क) में जो नए मूल कर्त्तव्यों की अन्तर्स्थापना की गयी है वह ऐतिहासिक है। यह निर्विवाद है, विवाद का प्रश्न ही नहीं प्रकट होता है। जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसका आदर करे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह निर्विवाद है। किसी भी प्रजातान्त्रिक देश में कोई भी नागरिक यह नहीं कह सकता है कि वह अपने राष्ट्रगान का आदर नहीं करेगा, राष्ट्रध्वज का आदर नहीं करेगा, जो संविधान के आदर्श हैं उनका पालन नहीं करेगा। यह एक ऐतिहासिक उदघोष किया गया है।

दूसरा मूल कर्तव्य स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे इसका उद्घोष किया गया है। फिर तीसरा कर्त्तव्य भारत की प्रभुता, एकता और अखन्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे यह भी निर्विवाद है। फिर देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों मे समानता, समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इसमे महिला समाज का जो अनादर होता था उस पर भी एक स्पष्ट कर्त्तव्य कर दिया है कि हमारे देश की जो संस्कृति है हम महिला समाज का पूरा आदर करेंगे स्त्रियां समाज का अंग हैं और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई बात हो, उसको समाप्त किया जायगा। इसके बाद हम अपनी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यह भी स्पष्ट किया गया है।

इसके साथ ही साथ हमारे यहां पेड़, वन, झील, पहाड़ और जीव जो कि प्राकृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत आते हैं, इनकी रक्षा करें इनका सम्बर्धन करें और प्राणि-मात्र के प्रति दया भाव रखें और फिर इसके साथ ही साथ आगे जुड़ा हुआ है, एक तरफ भारत की संस्कृति, भारत के भूगोल, भारत के इतिहास के प्रति प्यार रखें, उसके प्रति विश्वास, अटूट निष्ठा और दूसरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो बहुत जरूरी है। यह नहीं कि हम अपने रूढ़िवाद में पड़े रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। जिससे कि हम आधुनिक राष्ट्र बन सकें, आधनिक उदात्त राष्ट्र बन सकें। हम अपने बुनियादी उसूलों से शक्ति प्राप्त करते हुए, अपनी संस्कृति से, अपने भूगोल से, अपनी एकता से शक्ति प्राप्त करते हुए हम एक महान भारत का निर्माण करें, एक आधुनिक भारत का निर्माण करें, यह कर्तव्य के रूप में निहित किया गया है। आगे हैं सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छू ले। इस तरह इस संविधान (संशोधन) विधेयक की महानता है कि कर्तव्यों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है और वही भावना इसमें देदीप्यमान होती है।

इसमें कुछ बुनिमादी बातों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। हम लोग जो विधान मन्डल अथवा संसद में बैठे हैं उनको विधान बनाने की शक्ति प्रदान की गयी ह प्रजातन्त्र की तीन बुनियादें होती हैं। एक त एक्जिक्यूटिव जो शासन को चलाती है। दूसरे वह संस्था जो कानून बनाती है जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं और तीसरे जुडीशियरी जो यह देखती है कि एक्जिक्यूटिव ने विधान मन्डल द्वारा बनाए गए कानून का ठीक से पालन किया है अथवा नहीं। कानून का इन्टरप्रिटेशन करने के लिये अदालतें हैं। अब प्रजातन्त्र का मूल आधार क्या है? विधान मन्डल अदालत का काम नहीं करेंगे। अदालतें विधान मन्डल तथा एक्जिक्यूटिव का काम नहीं करेगी और कार्यपालिका अदालत का काम नहीं करेगी। ये तीन बुनियादी बातें हैं। किसी भी देश में प्रजातन्त्र को सुदृढ़ करने के लिये मैं सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट की आलोचना नहीं करना चाहता। वे हमारे देश की प्रजातन्त्र प्रणाली के बुनियादी अंग हैं। चूंकि संविधान में उनका जिक्र आया है इसलिए विवश होकर उसका उल्लेख करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सन् 1964 तक यह सिलसिला रखा कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेन्ट को है और अदालत का काम यह देखना ह कि संविधान ठीक से इन्टरप्रेडट किया जा रहा है या नहीं। लेकिन फरवरी, 1968 में गोलखनाथ केस में 5 के खिलाफ 6 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान को रिव्यू करने का अधिकार जुडीशियरी को है और सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार अपने हाथ में मान लिया था और यह कहा था कि पार्लियामेंट को फन्डामेन्टल राइट्स को अमेन्ड करने का अधिकार नहीं है। बाद में अप्रैल, 1973 में केशवानन्द भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलखनाथ केस में दिए गए निर्णय को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि पार्लियामेन्ट को फन्डामेन्टल राइट्स को अमेन्ड करने का अधिकार है आर्टिकल 368 के मुताबिक, लेकिन बुनियादी ढांचे को बदलने का अधिकार नहीं है। इसमें 6 के खिलाफ 7 के बहुमत से निर्णय दिया गया था।

अब विद्वान् सदस्य ही विचार करें संविधान के किसी अनुच्छेद में, जैसा कि वह शुरू में पारित हुआ था, कहीं भी यह नहीं उल्लेख किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार पार्लियामेन्ट के ऊपर है। यह किसी आर्टिकल में कहीं नहीं है। संसार के किसी प्रजातान्त्रिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं दिया गया है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन करें या न करें। चाहे वह प्रेजीडेन्शियल फार्म आफ गवर्नमेंट्स हो या किसी दूसरी तरह से चुनी हुई हो। यह अधिकार कोर्ट को नहीं है कोर्ट्स भी संविधान की क्रिएशन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा दूसरी कोर्ट्स जो हैं वह संविधान ने बनाई है। श्रीमन्, जो कांस्टीट्यन्ट एसेम्बली उस समय बनी जिसने कांस्टीट्यूशन बनाया उसी ने कोर्ट के अधिकार दिए। कांस्टीट्यूशन को एमेन्ड करने की शक्ति पार्लियामेंट को है और इस प्रस्ताव के माध्यम से उसमें मुहर लगाने की शक्ति विधान मन्डल को भी है।

श्रीमन्, गोलखनाथ केस में यह फैसला दिया कि बेसिक फीचर्स को बदलने का अधिकार नहीं है। बेसिक फीचर्स कौन तय करेगा, संविधान में कहीं यह शब्द नहीं ह उसे उठा कर देख लें। बेसिक शब्द संविधान में न कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह रूलिंग दे दी। गोलखनाथ केस में यह बात आई यानी आर्टिकल 32 के मुताबिक पिटिशन दे सकता है। फन्डामेन्टल राइट्स को इनफोर्स करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है यह कहा गया और आर्टिकल 13 में लिखा है— नो लो शैल बी मेड इन कन्ट्रावेंशन टु फन्डामेन्टल राइट्स'। कोई कानून फन्डामेन्टल राइट्स के विरुद्ध नहीं बनाया जाएगा। गोलखनाथ केस में यह कहा गया कि यहां पर कांस्टीट्यूशन को ला (law) मान लिया? कांस्टीट्यूशन कोई आर्डनरी ला नहीं है। रोजाना जैसे बिल हम यहां पास करते हैं वैसा कांस्टीट्यूशन नहीं है। वह एक बेसिक लौ (law) है, बुनियादी कानून है। इसके बाद एक दूसरा केस आया केशवानन्द भारती का इसमें कहा गया कि इस पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होता। सुप्रीम

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कोर्ट ने अपने को सही कर लिया और आर्टिकल 13 लागू नहीं किया और गोलखनाथ में की गयी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 जो फन्डामेन्टल राइट्स के बारे में है, वह लागू नहीं होता। पर अब बेसिक फीचर वाली बात जोड़ दी। यह किसी आर्टिकल में कहीं नहीं है आप कांस्टीट्यूशन पढ़ जायं यह आपको कहीं मिलेगा नहीं।

फिर श्रीमन्, फन्डामेन्टल राइट्स क्या हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं ? फन्डामेन्टल राइट्स व्यक्ति के अधिकार हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वह समाज के अधिकार हैं। समाज को क्या अधिकार है ? अब श्रीमन्, जरा हम इसको सोचें। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सोशलजस्टिस आते हैं उसके लिए हम इसमें कदम उठाते हैं और वह जब व्यक्तिगत अधिकारों से टकराते हैं तो फिर कौन बड़ा है ? यह तय करने की बात है। सामाजिक अधिकारों को लागू करने में यदि व्यक्तिगत अधिकार टकराते हैं तो व्यक्तिगत अधिकारों को उनसे ऊपर नहीं रखा जा सकता है। कोई यह कहे कि सामाजिक अधिकार नहीं चलगे और मेरे अधिकार चलेंगे और मेरे अधिकारों में कुठाराघात हो रहा है तो उसमें समाज के अधिकार ही मानने पड़ेंगे। उस वक्त यही हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इनफोर्सियेबल (enforceable) नहीं है, इनको लागू नहीं किया जा सकता है और फन्डामेन्टल राइट्स इनफोरसियेबल हैं। बाद में उन्होंने अपनी गलती मान ली। समाज के अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर हैं। पार्लियामेंन्ट की यही भावना थी, कांस्टीट्युएन्ट एसेम्बली की भी यही भावना थी और देश के करोड़ों-करोड़ों लोगों की भी यह भावना थी कि हम समाजिक हित में कानून बनाएं यदि इसमें किसी व्यक्ति को चोट लगती है और दूसरी तरफ बेसिक इन्टरेस्ट को चोट लगती है तो इसमें कौन सही होगा ?

तो इसलिए श्रीमन्, सबसे महत्व की बात जो इससे—संविधान संशोधन के द्वारा की जा रही है—वह यह कि यह अधिकार है पार्लियामेन्ट को, जनता को, जन प्रतिनिधियों को। वह साफ किया जा रहा है। सविधान के संशोधनों का जहां तक प्रश्न है वे कोर्ट्स में नहीं जा सकते और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो समाज के अधिकार हैं, प्रापर्टी के बारे में, सम्पत्ति के बारे में वह ज्यादा महत्व के है अपेक्षाकृत व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व के। जो स्थिति थी, उनमें हम कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। किसी को नियंत्रित कैसे करें ? किसी को चोट अवश्य लगती ह और कोर्ट उसे कार्यान्वित नहीं होने देता है। हमने चीनी मिलों का अधिग्रहण किया। माननीय नेता विरोधी दल के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसने किया, लेकिन सब रुके पड़े हैं। कितनी मुसीबत हुई, और जनता से किए गए वायदे अर्थ भ्रष्ट हो गए। किसी भी पार्टी द्वारा जनहित में किए गए आर्डर हों, क्या इस तरह वे पूरे हो सकेंगे ? कोर्ट के स्टे आर्डर से हम चीनी मिलों पर, बिजनौर के चीनी मिल पर, रुपया नहीं लगा सकते। यह भी आज हाई कोर्टों ने तय किया है कि उनमें रुपया लगा सकते हैं या नहीं और कितना रुपया लगा सकते हैं।

अब हमसे अपेक्षा की जाती है कि यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मार्ग में कानून बाधा बने हैं। एक तरफ हम सीलिंग का कानून बनाते हैं, लेकिन सब कानून रुके रहे और कहां रुके रहे, यह हम सब जानते हैं। संविधान की रुकावट मानकर जो काम रुकते हैं जो कानून हम जनहित में पास करते हैं, उनको लागू नहीं कर सकते, तो कैसे हम अपनी जन भावनाओं को मान्यता दे सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्व की बात यह की गयी हैं कि संविधान में संशोधन का अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को है, कोर्ट्स को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। लेकिन जो कानून बनते हैं, उन पर फैसला करने का उनको पूरा अधिकार है—उसे अल्ट्रावायरस करने का उन्हें हक है और पूरा हक है। कानून के मामले में उन्हें असंवैधानिक ठहराने का अधिकार है, जो प्रजातन्त्र में होना चाहिए। इसके द्वारा, केवल लेजिस्लेचर का काम जुडिशियरी न करें, इसको सुनिश्चित किया गया है।

मैं समझता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्यों ने जो भावनायें समय-समय पर व्यक्त कीं, उनका उल्लेख स्पष्टतया इसमें हो जाता है।

एक बात और स्पष्ट की गयी है। जो सेन्ट्रल लाज हैं, केन्द्रीय कानून हैं, उनके किसी ला को कभी एक राज्य के हाई कोर्ट कानूनी और दूसरे राज्य के अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसमें एक बड़ी एनोमोली होती थी। इससे होता यह था कि एक राज्य में ला हो गया और बाकी सब में अल्ट्रावायर्स। तो इसके लिए इसमें यह किया गया है कि जो कानून पार्लियामन्ट के द्वारा लागू हुए हैं, उनके बारे में हम केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं इसको अधिकार है कि वह स्पष्ट करे कि यह कानूनी है या गैर-कानूनी है।

इसी तरह से एक बात और की गयी है, रिट-पिटीशन और स्टे-आर्डर के बारे में सुनिश्चित किया गया है कि कोर्ट किन मामलों में देंगे और किन मामलों में नहीं देंगें। आज हो यह रहा था कि जरा-जरा से मामले में बड़े आदमी स्टे आर्डर लेकर आ जाते हैं। किसी को कम्पलसरी रिटायर कर देते हैं, तो उसका स्टे आर्डर हो जाता है। इतना ही नहीं कभी-कभी एक्स-पार्टी फैसला हो जाता ह और सरकार को पता ही नहीं चलता है। वह तनख्वाह पा रहे हैं और सर्विस में बैठे ह। तो इस तरह से स्टै आर्डर और रिट जब जनहित के विरोध में एक तरीका हो गया हो तो उसका निवारण होना ही था। हाईकोर्ट स के प्रति पूरा आदर रहते हुए ही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अधिकांश जज नेकनीयती से फैसला देते हैं। जबकि कुछ बेन्चेज इसके लिए मशहूर ही हो गयी थीं कि उन्हें हर हालत में सरकार के फैसले को उलटना ही है। लोग सोचा करते थे कि फलां बेंच कब आएगी कि उससे अपने टैक्स के मामले पर स्टे आर्डर लिया जाय। जब यह मालूम हो गया कि अमुक बेंच के जज के यहां चले जाइए, स्टे आर्डर ले लीजिए। इसका सुधार जरूरी था। वह संविधान के जरिए हो सकता था। अगर कमीशन आफ इन्क्वायरी बैठा हुआ ह तो स्टे आर्डर नहीं दिया जा सकता—व्हेअर सच आडर विल हैव दि इफेक्ट आफ डिलेइंग एनी इन्क्वायइरी इन्ू ए मैटर आफ पब्लिक इम्पाटन्स।

सिचाई के लिए नहरें बनानी होतीहैं। सहारनपुर का केस है। बारह साल से जमीन का एक टुकड़ा है एक्वायर नहीं कर सकते। करोड़ों रुपया खर्च हो गया। नहर ही नहीं बन सकती। लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, ठीक कहते हैं, जिम्मेदारी शासन की है। स्टे आर्डर है, अब हम क्या करें? शारदा सहायक योजना इतनी विशाल योजना है जिसमें सवा तीन सौ करोड़ रुपया लग रहा है, उसमें काम नहीं कर सकते। सारा मेन कैनाल बन गया गिरजापुरी बांध बन गया, लेकिन मुख्य नहर रुकी पड़ी है। जब तक वह न बने पानी नहीं पहुंच सकता है और वह जमीन लेनी है। रुकी पड़ी है। इसलिए इस संविधान संशोधन में ऐसा प्राविधान किया गया है कि जिससे बुनियादी जनहित की बातों में कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। श्रीमन्, साथ-साथ इसमें यह व्यवस्था की गयी है, आज हाई कोर्टों पर कितना बोझा है, कोर्ट स पर कितना बोझा है। लाखों केस कोर्ट स में पड़े हुए हैं। उनकी भी सीमाए हैं। जज कितने फैसला करें। कितना लिखें। इसमें विशेष ट्राइबुनल्स की व्यवस्था की गयी है, सर्विस के मामलों में, टैक्स के मामलों में, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के मामलों में, भूमि सुधार के मामलों में, अर्बन प्रापर्टी सीलिंग के मामले में, जो खाद्यान्नों के वितरण आदि के मामले हैं, हाई कोर्ट के नमूने के ट्राइबुनल्स होंगे। उनमें जा सकेंगे। ये जूडीशल ट्राइबुनल्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबुनल्स नहीं। इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकगी ताकि हाई कोर्ट स में जो इतने केस पड़े हुए हैं, उनका भार हल्का हो। ट्राइबुनल्स के मामले मांग को स्वीकार किया है मजदूर नेताओं ने। सर्विस ट्राइबुनल्स की मांग हुई है, सर्विस एसोसिएशन्स की तरफ से। इस संविधान संशोधन में ट्राइबुनल्स का भी प्राविधान किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाय हम कोई भी काम चाहे टैक्स के मामले हों, या दूसरे मामले, हाई कोट पर इतना भार न डालें। हाईकोर्ट बुनियादी बातों को सामने रखें।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

साथ ही साथ ऐन्टीनेशनल ऐक्टिविटीज, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का भी उल्लेख इसमें किया गया है क्योंकि यह बहुत आवश्यक है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के बंटवारे या राष्ट्र से अलग होने की कानाफूसी करते हैं। राष्ट्र की एकता, इन्टीग्रिटी के लिए, कौम की निष्ठा को बनाए रखने के लिए, यह बहुत आवश्यक है कि अराष्ट्रीय गतिविधि को रोका जाय और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण किया जाय जिससे कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हमारे देश में न हो सकें। इसके लिए 'एन्टी-नशनल को डिफाइन भी किया गया है। यह भी निर्विवाद है आप देखेंगे कि इसमें जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की परिभाषा की गयी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां क्या हैं? इसका भी इस संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया है। व इस प्रकार है—"किसी व्यक्ति या संस्था के सम्बन्ध में राष्ट्र विरोधी गतिविधि से अभिप्रेत हैं ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा की गयी कोई ऐसी कार्यवाही —

(1) जो किसी भी आधार पर भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग का अध्यर्पण या भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का विलग हो जाना घटित करने के लिए आशयित है या उसके लिए किसी दावे का समर्थन करती है या जो ऐसा अध्यर्पण या विलग हो जाना घटित करने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को उद्दीप्त करती है।

(2) जो भारत की प्रभुसत्ता और अखन्डता का अथवा राज्य की सुरक्षा का या राष्ट्र की एकता का अन-अंगीकरण करती है उस पर आक्षेप करती है उसको संकटापन्न करती है, विच्छिन्न करती है या संकटापन्न करने या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है।

(3) जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिए आशियत है या किसी ऐसी स्कीम का भाग है जो ऐसी सरकार को उलटने के लिए आशयित है।

(4) जो आन्तरिक उपद्रव करने या लोक सेवाओं को विच्छिन्न करने के लिए आशयित है या किसी ऐसी स्कीम का भाग है जो इस प्रकार उपद्रव करने या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है।

(5) जो विभिन्न धर्मों, मूल वंशों, भाषाओं या प्रदेशों के समूहों या जातियों के समुदायों के बीच सौहार्द को संकटापन्न करने के लिए या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है या किसी ऐसी स्कीम का भाग है जो इस प्रकार संकटापन्न करने यानि विच्छिन्न करने के लिए आशयित है।"

आप देखेंगे कि जो राष्ट्र विरोधी की परिभाषा लिखी हुई है वह कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने कई पार्टियों के घोषणा-पत्र, चुनाव घोषणा-पत्र को देखा है। इस समय उनको बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर अवसर पड़ेगा तो उनको दुहरा दूंगा। संविधान द्वारा संशोधन करने का जो अभिप्राय है वह स्पष्ट है और सदन इसको स्वीकार करेगा। मैं अधिक भावुकता और भावना में नहीं जाना चाहता हूं। इस सदन के सभी माननीय सदस्य संविधान के जानकार हैं और जो लोक सभा तथा राज्यसभा में वादविवाद हुआ है उसे पढ़ा होगा और उससे अवगत होंगे। अगर हम उत्प्रेरित होकर विचार करें तो कोई भी सदस्य चाहे इधर का बैठने वाला हो और चाहे उधर का बैठने वाला हो उसका समर्थन ही करेगा। संविधान कोई कुरान या गीता नहीं जो उसमें संशोधन नहीं हो सकता है।

जो संविधान जड़ होगा उससे जनता को तकलीफ होगी और इस तरह के जितने भी संविधान रहे हैं उनको जनता ने उखाड़ फेंका। हमें संविधान को राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना होगा जो जनता की इच्छाओं और भावनाओं को प्रतिबिम्बित कर। यह जड़ नहीं हो सकता है। तो मुझे विश्वास है कि जो इसमें ऐतिहासिक सशोधन हुए हैं

उनको स्वीकार करते हैं। प्रजातन्त्री और समाजवाद के जो सार्वभौम सिद्धान्त हैं उनको स्वीकार करते हुए इस संकल्प को स्वीकार करें। देश और अन्य प्रदेशों के साथ, 50 करोड़ जनता के साथ यह प्रदेश और इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता इन भावनाओं को प्रतिबिम्बित करे जो देश की प्रगति के लिए जिम्मेदार ह। समाजवाद को उलटने की जो चेष्टा ह उसको समाप्त करके प्रधान मन्त्री जी के नेतृत्व में हम देश को प्रगति पर ले चलें, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा एक सशोधन ह और मैं उसे पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपका संशोधन है कि संकल्प के अन्त में "प्रस्तावित है" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में संशोधन आ ही नहीं सकता ह। हमारी पार्लियामेन्ट ने संविधान म कुछ सशोधन किए, उनको प्रदेश की विधान सभाओं द्वारा उसका रेटिफिकेशन होना ह, कोई अलग से प्रस्ताव नहीं हो सकता है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि नियमावली के अन्तगत इन्हें कोई संशोधन पेश नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी जब खड़े हुये तो आपने कहा कि इसके प्रस्तुत होने से पहले ही आपकी आपत्ति ह, तो आपकी बात मान ली। आपके रखने के पहले ही आपत्ति है (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया एक-एक कर के बोलें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, पार्लियामेन्ट जो अपना कार्य कर रही है उसी के तहत में यह विधान सभा बैठी है, उसी के कार्य को अन्जाम दे रही ह, जो हमारा संवैधानिक अधिकार ह। यह कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए इसमें कोई संशोधन आ ही नहीं सकता ह।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया ह, उसके सम्बन्ध में मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। जो संविधान पारित किया गया है, उसमें कोई भी संशोधन उपस्थित नहीं किया है। वर्ष 1953 में माननीय नारायण दत्त तिवारी, जब इस तरफ बैठा करते थे उस समय तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था और तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दी थी कि जो संविधान देश की संसद पारित करे, उसमें संशोधन तो नहीं किया जा सकता है लेकिन जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है चूंकि वह संकल्प इस सदन की सम्पत्ति हो जाती है, नियमों के अनुसार उसके बारे में संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता ह।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपकी बात को सही मान लूं तो यह प्रश्न उठता है कि अगर इस संकल्प में आप संशोधन कर भी सकते हैं तो क्या जो संशोधन विधेयक में निहित चीजें है, उनके सम्बन्ध में कोई संशोधन हम कर सकते हैं? संविधान संशोधन में अगर समय के बारे में कोई चीज दी हुई है तो आपके कथनानुसार आप उसका संशोधन नहीं करेंगे अर्थात् संकल्प में भी आपका यह हिस्सा जुड़ेगा नहीं और सवमान्य हो जाता ह और संविधान में संशोधन करता ह। मैं इसे दिखवा रहा हूं। जो संविधान में संशोधन हुआ ह उसम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पहले तो मैं माननीय सदस्य को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संविधान (संशोधन) बिल को मन्जूर कर लिया है क्योंकि उनके संशोधन से स्पष्ट है कि उन को इस संशोधन से कोई एतराज नहीं है। अब बहस किस मे रह जाती है? बहस केवल यह है कि आप चाहते हैं कि संविधान संशोधन तो ठीक हुआ, लेकिन वह अभी लागू न हो। जब चुनाव हो जाय लोक सभा का उसके बाद लागू हो यानी तारीख मे फर्क है। तो तारीख के माने में निगेटिव करते हैं। जो संविधान संशोधन विधेयक, 1953 की रूलिंग का जो जिक्र करते हैं, उसमें रूलिंग थी कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन जो उसके इफेक्ट्स को निगेटिव करे वह नहीं लाया जा सकता। तो यह अमेन्डमेन्ट निगेटिव करता है, तारीख बदल रहे हैं। तो तारीख बदलने के बजाय उनको तो कहना चाहिए था कि आज ही लागू हो जाय, वह तो समाजवादी हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जनता का आदेश लेकर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा वह भी नहीं किया जा सकता, क्यों वह कहते हैं कि अभी लागू कर दें, यह भी संशोधन हो गया। मैं न उनको इजाजत दूंगा, न आपको इजाजत दूंगा। मैं आपका ध्यान संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुच्छेद 1(2) की ओर दिलाना चाहता हूं कि "यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।" तो यह काम उनका है। न मैं आपको, न माननीय मुख्य मन्त्री जी के सुझाव को मान सकता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जिस व्यवस्था की ओर मैंने आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया था.....

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि इस पर बहुत बहस हो चुकी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आवश्यक इसलिए है कि तिवारी जी के संकल्प में जो चौथा संशोधन संविधान के सम्बन्ध में था उसकी ओर.....

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आज नहीं उठा है। इस विधान सभा के पूर्व जो विधान सभा थी 1953-54 की उसमें और अन्य कई वर्षों में यह सवाल उठा है कि जब भी संविधान में संशोधन हुए। इसलिए मैं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए.....

चौधरी चरण सिंह (जिल मेरठ)—

मैं गुस्ताखी कर सकता हूं? आपने अमेन्डमेन्ट तक पढ़ने नहीं दिया। हमको नहीं मालूम है कि अमेन्डमेन्ट क्या है, किस पर बहस हो रही है?

श्री अध्यक्ष—

वह तो एजेन्डे में छपा है।

चौधरी चरण सिंह—

अगर ओरल की इजाजत दी है तो उनको अधिकार है कि उसको पढ़ कर सुनाएं कि वह क्या चाहते हैं। पहले उनको इजाजत दीजिए तब दूसरे पक्ष के लोग बोलें, तब रूलिंग दें। अभी तो हमारे माइन्ड में भ्रम है कि किस चीज पर बहस है। उनको अधिकार है। जब इजाजत दे दी तो बहस करने दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आपको अधिकार है, लेकिन यह भी यहां की प्रथा रही है कि जो भाषण दे रहे हैं, वही भाषण आपका इस पर माना जायगा। फिर भाषण के अधिकार से वंचित हो जायेंगे, यह पहले की रूलिंग है। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको अभी सारवान बात कहनी होगी। यदि इसी तकनीकी बहस पर आप सीमित रहेंगे कि तारीख कौन सी रहेगी, तो नुकसान में रहेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय —

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें। जिस व्यवस्था को मैं पढ़ना चाहता हूं वह इसी सिद्धान्त की व्यवस्था है ....

श्री अध्यक्ष—

अब अगर संकल्प में ही संशोधन आपका होता तो संकल्प में संशोधन पर आपको बोलने की गुंजायश थी। क्योंकि माननीय खेर साहब ने एक ऐसी भी रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि संकल्प में संशोधन किया जा सकता है जो संशोधन संविधान का संशोधन न हो। तो आपने जो बात कही उससे वह बात कि संविधान के सारवान अंश पर आप संशोधन के रूप में संकल्प जो ला रहे हैं, यह हो जाता है। इसलिए मैं आपके ....

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

इसमें फर्क यह है कि अगर ऐडमिसिबिलिटी इसकी मंजूर कर ली जाएगी तब तो इनका हक नहीं रह जाएगा और आपने खारिज कर दिया तो इनको बोलने का पूरा हक रहेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जिस व्यवस्था की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया वह व्यवस्था माननीय खेर साहब ने माननीय तिवारी जी के भाषण पर दिया था। मेरा निवेदन यह है कि मेरा संशोधन है, मैं इसको प्रस्तुत कर सकता हूं या नहीं, पहले आप इसको तय करेंगे। अगर यह तय हो जाता है कि मैं यह संशोधन प्रस्तुत करूं तब तो मुझे भाषण देने की अनुमति नहीं दी जायगी और अगर नहीं पेश कर सकता तब मुझे अनुमति दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष—

यह जो सारवान आपका संशोधन है, इसको मैं खारिज कर सकता हूं बगैर आपको इजाजत दिए हुए। आप संशोधन दे सकते हैं अगर आपकी ही बात मान ली जाय तो माननीय खेर साहब द्वारा जो व्यवस्था पहले दी गयी थी उसके अनुसार संकल्प में आपको संशोधन करने का अधिकार है। तो जब आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं संविधान के संशोधन के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन की अपेक्षा न करते हुये यह कह रहा हूं .....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरा संशोधन जब ऐडमिट हो जायगा और उस पर मुझे बोलने का मौका मिल जायगा तब .....

श्री अध्यक्ष—

जिस रूप में, आपने संशोधन दिया है, उसको सरेदस्त मं खारिज कर सकता हूं और आपको बोलने की इजाजत दी जाय इसके पहले एक पहलू है। आप अपने मन से यह भी कहते हैं कि मैं संविधान में जो संशोधन हुआ है, उसमें कोई संशोधन नहीं चाहता हूं। अगर आप यह कहते हैं तो मैं एक सवाल कर रहा हूं कि समय के बारे में जो आपने कहा है वह तो संविधान में है। इसलिए सारवान ढंग से संशोधन करते हुए इसके पक्ष में आप कोई राय दें ....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरे संशोधन को पहले सुनने की कृपा करें।

(व्यवधान)

हल्ला से मैं नहीं बैठने वाला हूं। सदन की गरिमा यह है कि जब एक सदस्य बोल रहा हो तो माननीय मिश्रा जी तो पुराने सदस्य हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

(श्री काशी नाथ मिश्र के खड़े होने पर) आप क्यों खड़े हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपका ध्यान आपकी व्यवस्था की ओर आकर्षित करता हूं। आपने अभी व्यवस्था दी है कि माननीय मालवीय जी अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था मैंने नहीं दिया। यह प्रश्न अभी नहीं है। यह संविधान का मामला है, इसलिए ध्यान से सुनने की कोशिश करें। माननीय सत्य प्रकाश मालवीय एक संशोधन रखना चाहते हैं। उन्होंने संशोधन न रखते हुए एक भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि संविधान में जो संशोधन हुआ है . . . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, संशोधन तो मैं रख नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। रखना जरूरी है तो फिर दूसरा दीजिए, संकल्प दीजिए। आप सारवान देंगे तो कैसे होगा? आप अपना खुद खण्डन कर रहे हैं। मुझे क्या पड़ी थी कि आपको टोकता? आपने खुद ऐसी बात कही, जिसमें आप टोके गए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैंने अभी रखा नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह तो संविधान का संशोधन हो गया। तो इस बारे में आपको कुछ नहीं कहना है अब?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसके बारे में भी कहना है। यदि मेरा यह संशोधन एडमिट हो जाएगा . . . .

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था पर कैसी व्यवस्था? आप कृपया बैठें। मालवीय जी स्वयं कहते हैं कि वे संविधान में कोई संशोधन नहीं करना चाहते। जो संकल्प है उसी में संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन जो संशोधन है वह प्रकारान्तर म संविधान में ही संशोधन है . . . . (व्यवधान) अब इसके ऊपर अगर कोई तर्क भाषण देना चाहते हों, तो दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया . . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप सुनिए, इस तरह से खड़े न हों। व्यवस्था का प्रश्न तो चल ही रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमारा दूसरा ह.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वह अभी नहीं होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमारे साथ ज्यादती हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैंने मालवीय जी को सुनने के लिये इजाजत दी है कि उनका संशोधन संविधान में संशोधन नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं आपकी व्यवस्था से सहमत हूं। पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न दूसरा ह.....
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

काशीनाथ जी की बुद्धि का संशोधन कर दिया जाय (व्यवधान) आप अभी नहीं पूछ सकते हैं। आप बैठने की कृपा करें। इससे आपकी बुद्धि और जग जाएगी। अभी तो मैं स्वयं उनसे एक चीज पूछ रहा हूं। इसमें क्या व्यवस्था आपकी है?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आपने श्रीमन्, एक बात यह कही थी अभी कि न मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की बात मानता हूं और न मालवीय जी की। इसका अर्थ यह निकाला गया कि आपने मालवीय जी को अपना संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी। फिर एक बात आपने लहजे में यह भी कह दी कि अगर आप नहीं मानते ह तो मैं आपके संशोधन को अवैध करार देता हूं। अब क्या और वाद-विवाद इस पर चलेगा?

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है, चलेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो संकल्प माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया ह उसमें मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह इस प्रक्रिया नियमावली के नियम 94 के अन्तर्गत किया ह और मेरे संशोधन का रूप यह है कि संकल्प के रूप में प्रस्तावित है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, यह जो संकल्प पेश कर रहे हैं, हमारा एतराज ह कि यह संकल्प नहीं पेश कर सकते।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, ये हल्ला कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपको एतराज तभी होगा जब कोई उसको पेश करेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

(कार्यसूची दिखाते हुए) आप इसको फाड़ दीजिए।

श्री काशीनाथ मिश्र--

एजेन्डा में रखने के माने यह नहीं कि आप उसको कतई रखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप बिना बुलाए सदैव खड़े हो जाते हैं । अगर आप इस तरह से फिर दोहरायेंगे तो मैं आपको बाहर निकल जाने का आग्रह करूंगा ।

(मेजें थपथपाई गयीं--शोरगुल)

प्रश्न यह है कि मैं उनकी बुद्धि को अपील कर रहा हूं। प्रागदर्शन में हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष ने, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, उन्होंने राय दी थी कि संकल्प में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान में संशोधन नहीं होगा ? दोनों बातें उन्होंने कही हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मेरा संकल्प यह है कि.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष--

आप क्यों खड़े हो गए ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मेरा संकल्प यह है कि--"तथा यह सदन संसद एवं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि इस विधेयक को आपात स्थिति समाप्त करके लोक सभा का नया आम चुनाव सम्पन्न हो जाने के पश्चात् प्रवृत्त किया जाय।" मान्यवर, 8 जनवरी, 1953 में कांस्टीट्यूशन सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट 52 के अनुसमर्थन में एक संकल्प आज के मुख्य मन्त्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह कहा, "अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश कर सकता हूं कि वर्तमान संकल्प के प्रथम दो पैरा निकाल दिए जाय। श्रीमन्, इसके पहले कि मैं अपने संशोध के समर्थन में कुछ निवेदन करूं मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन के सम्बन्ध में जो कोई भी प्रस्ताव जब कभी किसी देश के इतिहास में किसी सदन के सामने आया है.....

श्री अध्यक्ष--

मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर आपको यह नामंजूर है तो फिर मैं आपको मौका नहीं दूंगा कि आप सदन का समय लें। या तो आप संशोधन पेश करें या विरोध करें। मैंने निर्णय दे दिया है। इसका मतलब यह नहीं निलकता है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार है।"

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

तो मान्यवर, मैं वही संशोधन पेश कर रहा हूं। मान्यवर, माननीय तिवारी जी को संकल्प में संशोधन की अनुमति दी गयी थी। दूसरी बात मान्यवर, इसमें एक व्यवस्था है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इसको क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जो उसका दूसरा अंश है, उसको उन्हें पढ़ने दीजिए, जो उन्हें मदद पहुंचाए ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, माननीय काशी नाथ जी को यह समझा दीजिए कि क्या संशोधन रखा जा सकता है और यदि रखा जा सकता है, तो कौन सा संशोधन रखा जा सकता है ? पहले उसको आने के पहले इसका ये विरोध करें और यह काशी नाथ जी ने स्वयं कहा कि यदि छपा हुआ है तो इस सदन में वह संशोधन आए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसी व्यवस्था के सम्बन्ध में फिर आगे पृष्ठ 246 पर माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा है—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का मुकम्मल तौर पर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसलिए मुकम्मल तौर पर विरोध करता हूं। इस पर अध्यक्ष ने कहा—मैं समझता हूं कि आप गलतफहमी में हैं। संशोधन आप ला सकते हैं संकल्प के शब्द में। लेकिन जो वहां संविधान में संशोधन किया गया है, उसका संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। संकल्प का संशोधन आप कर सकते हैं। यह व्यवस्था 8 जनवरी, 1953 को इसी सदन में अध्यक्ष महोदय ने दी। मैंने संविधान में अपना संशोधन नहीं दिया है, संकल्प में अपना संशोधन दिया है। माननीय सदस्य भी इस बात को जानते होंगे कि जिस कानून को विधान सभा पारित नहीं कर सकती उसमें वह कोई संशोधन भी नहीं कर सकती है। लेकिन मेरा संशोधन बिलकुल स्पष्ट है कि वह संकल्प के बारे में है। संविधान में भी ऐसा लिखा हुआ है। जो मेरा संशोधन है वह मेरे संकल्प में है और अपनी जगह पर नियमानुकूल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे आप ऐडमिट करें और मुझे बोलने दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, सत्य प्रकाश मालवीय जी ने आपके तर्क को समझा नहीं है। मैं उन्हीं के तर्क से उनके तर्क को गिरा देता हूं। वे आप की बात को समझ नहीं सके, लेकिन मैं उनको अपनी बात समझा सकता हूं। आपकी बात को वे नहीं समझेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी इसका जवाब देंगे, वह उन्हीं से सम्बन्धित है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, प्रयाग का आभारी हूं कि आप मेरे पुराने विचारों को पढ़ते हैं और मुझे अब आशा है कि जिस प्रकार वे मेरी पुरानी बातों को मंजूर कर रहे हैं मेरे उस विचार को भी मंजूर करेंगे। सन् 53 की बात का उन्होंने दृष्टांत दिया जिसको 22—23 वर्ष हो गए। उस समय माननीय पन्त जी मुख्य मन्त्री थे। जब मैंने अपना संशोधन पेश किया तो माननीय अध्यक्ष ने माननीय पन्त जी से कहा कि क्या आप प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं।

"श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने कहा—जी हां।" मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इन दो अंशों को निकालने के बाद बाकी जो रहता है वह क्या आपको मंजूर है? श्री अध्यक्ष—इसका मतलब तो यही निकलता है कि बाकी मंजूर है। इस पर मैंने कहा था कि मेरा विरोधात्मक संशोधन है लेकिन अगर आपको आपत्ति है तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं और मैंने अपना संशोधन वापस ले लिया था। मुझे आशा है कि इसी प्रकार से माननीय सदस्य भी अपना संशोधन वापस ले लेंगे। मैंने तो पन्त जी की बात मान ली थी और मैं तो अदना सिपाही हूं और वे भी एक सिपाही होने के नाते मेरी बात को मान कर अपना संशोधन वापस ले लेंगे। मेरे पास वह किताब है जो इसमें है उसी को पढ़ लें कि इसमें आगे लिखा क्या है? श्रीमन्, मैंने प्रस्ताव किया है, संकल्प प्रस्तुत किया है कि 42वें कांस्टीट्यूशनल अमेन्डमेन्ट बिल का यह विधान सभा, यह सदन अनुसमर्थन करता है।"

श्रीमन्, आइटम 29 में मेरा संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका अर्थ यह है कि उन्हें अननुसमर्थन का प्रस्ताव तो स्वीकार है। अब मतभेद कहां है। वह कहते हैं कि संकल्प के अन्त में 'प्रस्तावित है' के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :..... "श्रीमन् मेरा संकल्प उन्हें मंजूर है। मैं बधाई देता हूं अपने मित्र को। जब वह स्वीकार है तो डिबेट होगी ही नहीं। लेकिन मान्यवर, उनकी कठिनाई कहां है, वह कहते हैं कि 'तथा यह सदन संसद एवं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि इस विधेयक को आपात स्थिति समाप्त करके लोक सभा का नया आम चुनाव सम्पन्न हो जाने के

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पश्चात् प्रवृत्त किया जाय।" यानी केवल तारीख का झगड़ा है। यह कहते हैं कि जब लोक सभा का नया चुनाव हो जाय उस समय लागू किया जाय। तो श्रीमन्, इस मामले में यह निगेटिव करते हैं। तो मान्यवर, माननीय खेर साहब ने भी कहा था कि जो वहां से पास होकर आया है उसमें कोई संशोधन करने का अधिकार इस सदन को नहीं है। तो जो उनका प्राविजन है वह इसको निगेटिव करता है तो जहां आप प्रस्ताव को मंजूर कर रहे हैं वहां तारीख का झगड़ा न डालें। मैंने उस समय अपना संशोधन वापस ले लिया था। मैंने मान लिया था कि निगेटिव हो रहा है और मैंने वापस ले लिया था। आप भी मान लें। तारीख का झगड़ा न डालें, काम को कुछ जल्दी करें, तारीख का झगड़ा न डालें।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया कि मालवीय जी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं।

(सदस्यों के टोकने पर)

मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय तिवारी जी का कहना है कि माननीय मालवीय जी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन उसमें एक राइडर लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं, तो अगर उनकी शर्त बेकार है और कोई माने नहीं रखती है तो शर्त को स्वीकार कर लीजिए, इनके संशोधन के माने यह हैं कि जो यह अमेन्डमेन्ट किया है, नयी पार्लियामेंट आ जाय, उसको अधिकार होगा कि वह लागू करे या न करे। यही अर्थ है। आप इसको बेकार का समझते हैं तो स्वीकार कर लीजिए, झगड़ा खत्म। आप जानते हैं कि इलेक्शन हुआ तो क्या होगा। इसका नतीजा क्या होगा दुनियां भर को मालूम है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो उसके बाद जो पार्लियामेंट चुनकर आएगी, आपकी पार्टी को मान लिया कि डिफीट हो गयी तो फिर यह संशोधन आप लागू नहीं कर सकेंगे। यह मतलब है इसीलिए आप मान नहीं रहे हैं। अगर मालवीय जी का यह मतलब नहीं है तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं है इसको स्वीकार कर लीजिए।

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, एक अर्थ इसका यह भी हो सकता है, सरकार में संशोधन द्वारा जनता की आशाओं, आंकांक्षाओं के अनुरूप संविधान में आवश्यक संशोधन करके शीघ्रातिशीघ्र वायदों को पूरा करना चाहती है, उसमें इससे डिले होगी और डिले कराने का इनका इरादा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

आपने (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) सही राय दिया और मैं भी मानता हूं कि संकल्प में संशोधन हो सकते हैं लेकिन वह संशोधन किस नेचर का होगा? मालवीय जी ने एक संशोधन रखा है कि किस तारीख को संविधान लागू हो? मान्यवर, इस विधान सभा को अधिकार नहीं है कि वह इस बात को तय करें कि कब से लागू होगा। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो एमेन्डमेन्ट है उसके बारें में संविधान के अनुच्छेद 1 (2) में लिखा हुआ है कि कब से लागू होगा। यदि उसमें यह प्रस्ताव माना जाएगा कि हम उस खंड में कोई एमेन्डमेन्ट रखना चाहते हैं तो वह बिल का एमेन्डमेन्ट हो जाएगा। यह अधिकार इस माननीय सदन को नहीं है। इसलिए निवेदन है कि आप इस संशोधन को रूल आउट करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने कृपा करके अपने विचार व्यक्त किए। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह तो हिन्दी के प्रकांड पंडित हैं और भाषा के भी। इसलिए यदि वह संशोधन में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है तो जो उन्होंने कहा है शायद उस पर पुनः

विचार करेंगे। संकल्प के अन्त में प्रस्तावित है के पश्चात् निम्नलिखित जो : दिया जाय। इसमें घटाने की बात नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वह इसको मानते हैं। यह जो ा जाय --"तथा यह सदन संसद एवं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि इस विधेयक को आपात्स्थिति समाप्त करके लोक सभा का नया आम चुनाव सम्पन्न हो जाने के पश्चात् प्रवृत्त किया जाय।" अब प्रवृत्त माने इन्फोर्स हो, लागू हो। अगली लोक सभा के लिए लागू हो। वह कहते हैं कि काम अच्छा हुआ है, संशोधन अच्छा है लेकिन अगले इलेक्शन के बाद लागू किया जाय।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हो सकता है कि प्रधान मन्त्री चुनाव में हार जायं और दूसरी लोक सभा इसको न माने।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल और नेता सदन तथा अन्य माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तर्क इस विषय में रखें। मैं जो कह रहा था, मैं इस राय का था कि यदि मेरी बात सुनते तो संकल्प का रूप ऐसा करके पहली बार संकल्प में भी कुछ जोड़ने में आप सफल हो सकते लेकिन आप बात सुनते नहीं हैं और न अध्ययन करते हैं। इसलिए बात दूसरी तरफ चली गयी। यह संशोधन विधेयक हमारे पास राज्य सभा सचिवालय से सीधे आता है। बीच में शासन कड़ी नहीं है। दृष्टान्त के लिए मैं यह कह रहा हूं कि दो प्रतियां हैं--एक हिन्दी की और एक अंग्रेजी की। दोनों में हो सकता है कि कुछ विरोधाभास हो। एक जगह पर ऐसा है मैं उसको नहीं बताता हूं। यदि आप अध्ययन करते तो आप रख सकते थे। तो उस समय हमारे लिए मुश्किल होता, लेकिन आपने नहीं रखा। हिन्दी संस्करण म कुछ लिखा है और अंग्रेजी में कुछ लिखा है। तो आप खड़े होकर कह सकते थे, तो जैसी स्थिति है और जिसमें आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, उसके सम्बन्ध में मैं सविस्तार अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

संविधान के 44वें संशोधन विधेयक, 1976 के अनुसमर्थन के संकल्प में जो संशोधन की सूचना सर्वश्री सत्य प्रकाश मालवीय, बेनी प्रसाद वर्मा तथा मुहम्मद असरार अहमद द्वारा दी गयी है, के सम्बन्ध में यह विचार करना है कि क्या इस प्रकार के संशोधन नियमित है? संविधान के अनुच्छेद 368 के खन्ड (2) के परन्तुक खन्ड के अनुसार यह विधेयक इस राज्य विधान मन्डल को अनुसमर्थन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। इसमें यह अपेक्षित है कि उक्त परन्तुक में उल्लिखित उपबन्धों में परिवर्तन किए जाने की दशा में "ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक के राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए उपस्थित किए जाने के पहिले उस संशोधन के लिए राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधान मन्डलों का उस प्रयोजन के लिए उन विधान मन्डलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा॥"
इससे स्पष्ट है कि राज्य विधान मन्डलों से अनुसमर्थन उक्त प्रतिबन्धात्मक खंड के अनुसार अपेक्षित है।

संकल्प द्वारा अनुसमर्थन की बात उक्त प्रतिबन्धात्मक खन्ड में कही गयी है परन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 182 में ऐसे अनुसमर्थन के संकल्प के लिए पृथक से प्रक्रिया दी गयी है, जिसका अभिप्राय यह है कि जब तक उस विशिष्ट प्रक्रिया में अन्यथा व्यवस्था न हो संकल्प से सम्बन्धित सामान्य नियम उस पर लागू नहीं होंगे। उक्त नियम 182 के उप नियम (3) में संकल्पों से सम्बन्धित नियम एवं आदेश, उप नियम (2) में अनुसमर्थन के संकल्प पर नियत दिनों में चर्चा पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू किए गए हैं। संकल्प में संशोधन की सूचना देने या उसकी प्रक्रिया को लागू करने की बात नहीं की गयी है, केवल चर्चा तक ही संकल्प सम्बन्धित नियमों एवं आदेशों को यथोचित परिवर्तनों सहित लागू करने की बात कही गयी ह। इससे भी यही आशय प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसमर्थन के संकल्प में संशोधन दिए जाने अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार अनुच्छेद 368 के उक्त परन्तुक तथा उक्त नियम 182

[श्री अध्यक्ष]

के उपबन्धों को देखते हुए यह अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है कि संविधान के संशोधन के अनुसमर्थन के संकल्प में कोई ऐसे संशोधन किए जा सकें, जिससे ऐसे संशोधन विधेयक के किसी उपबन्ध की नुकताचीनी हो या उसमें परिमार्जन या उसकी प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने के सुझाव हों।

इस प्रकार के प्रश्न इस विधान सभा में पहले भी कई बार 1953, 1954 तथा 1956 में उठ चुके हैं और जिनके सम्बन्ध में अध्यक्ष पीठ से निर्णय भी दिए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1—8 जनवरी, 1953 को श्री मदन मोहन उपाध्याय ने संकल्प में कुछ शब्दों को जोड़ने का संशोधन दिया था। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष, विधान सभा ने यह व्यवस्था दी थी कि —

"इस प्रकार संविधान में संशोधन, स्टेट्स की विधान सभायें तो सिर्फ रेटिफाई करेंगी, उनको संविधान की धारा में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा और न वह किसी धारा में किसी तरह की कोई नुक्ताचीनी ही कर सकती है, वह या तो मन्जूर करें या नामंजूर कर दें, इन दोनों में से एक चीज वह कर सकती है। संविधान में संशोधन लाने का प्रस्ताव इन दोनों ही दृष्टियों से नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको अवैध करार देता हूं। हां, अगर वह विरोध करना चाहें, तो कर सकते हैं।"

माननीय अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था दिए जाने के बाद श्री गेंदा सिंह ने सदन में अपना भाषण देते हुए यह कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने संविधान में अनुसमर्थन के संकल्प के 2 संशोधनों के सम्बन्ध में विरोधात्मक तर्क दिए हैं। उन्होंने कोई वैधानिक आपत्ति आदि नहीं उठायी थी। इस बार माननीय अध्यक्ष ने आकस्मिक रूप से जिसे आबिटर डिक्टा कहा जा सकता है, कहा कि—

"मैं समझता हूं कि आप गलतफहमी में है। संशोधन आप ला सकते हैं, संकल्प के शब्द में। लेकिन जो वहां संविधान में संशोधन किया गया है उसका संशोधन आप नहीं कर सकते हैं, संकल्प का संशोधन आप कर सकते हैं।"

माननीय अध्यक्ष की रूलिंग का आशय यह था कि संकल्प में शाब्दिक संशोधन किए जा सकते हैं किन्तु उसमें विधेयक के बारे में कोई सुझाव या संशोधन नहीं दिए जा सकते।

2—6 दिसम्बर, 1954 को माननीय अध्यक्ष ने श्री नारायण दत्त तिवारी के संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के संकल्प में संशोधन के सम्बन्ध में उनसे यह कहा था कि —

".....संविधान म यह दिया हुआ है कि अगर लोक सभा कोई ऐसा ऐक्ट पास कर दे तो इस सदन को सिर्फ इस बात का अधिकार है कि वह उसे रेटिफाई करे या न करे। लेकिन यह सुझाव इस सदन में देना कि यह बात की जाय या अमुक बात की जाय, इस तरह की बात कोई संशोधन में नहीं आ सकती है। इस संशोधन के बारे में आप वैधानिकता को बतलावें कि किस प्रकार से यह वैधानिक है क्योंकि यह तो बिल्कुल विरोध में जाता है। आप इसको रेटिफाई नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि अमुक बात अनुचित है और अमुक उचित नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार की सिफारिश आप अपने संशोधन में करते हैं और वह विधेयक जिसका रेटिफिकेशन होना या न होने ही का प्रश्न केवल सामने विचारार्थ है तो फिर इस प्रकार की सिफारिश का भी अधिकार संविधान के अनुसार आप को नहीं है। इस सरकार से केवल राय पूछी गयी है कि उसे ड्राफ्ट स्वीकृत है या नहीं और विधेयक के मसविदे को सुधारने का प्रश्न इस समय सदन के सामने नहीं है तो आप किस तरह से अपने संशोधान को वैधानिक समझते ह ?"

माननीयश्री नारायण दत्त तिवारी को सुनने के उपरान्त तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि —

"यह तो संविधान के अनुसार बात उपस्थित है कि लोक सभा के विधेयक के मसविदे को यह सदन रेटिफाई करता है, यही संकल्प ह। इसलिए मैं ऐसे संशोधन को जो उस सकल्प को केवल निगेटिव करता हो उसको उपस्थित करने की अनुमति दने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इसको अवैध करार देता हूं हालांकि आपका भाषण जो विरोध में होना चाहिए वह हो गया। मैंने आपको टोका नहीं है और आप का भाषण केवल विरोध में समझा जायगा और यह संशोधन के रूप में नहीं समझा जाएगा।"

तो शुरू में मैंने श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया था।

(3)—31 जुलाई, 1956 को माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि —

"संविधान का अनुच्छेद 368 यह बताता है कि जब कोई संविधान में परिवर्तन लोक सभा या केन्द्रीय लेजिस्लेचर करे तो किस अवस्था में स्टेट लेजिस्लेचर का मत उसमें लेने की आवश्यकता है। इसी तरह का प्रश्न एक दफा इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित हुआ था कि यदि इस तरह का मत हर एक विधान मन्डल को पूछने का प्रयोजन हो तो ऐसी अवस्था में वह विधान मन्डल क्या कर सकता है?.....जब हर एक स्टेट लेजिस्लेचर की मंजूरी या रेटीफिकेशन हो जाय तब संविधान में परिवर्तन उस अवस्था में हो सकता है। केन्द्रीय लेजिस्लेचर ने प्रस्तुत विधेयक को स्वीकार कर लिया है अब सिर्फ इस सदन के सामने प्रश्न यह है कि उसको वह रेटीफाई करता है या नहीं करता। अनुच्छेद 368 के विधेयक में संशोधन करने का कहीं भी अधिकार प्रदेशीय विधान मन्डल को नहीं दिया गया है और न संशोधित रूप में स्वीकार करने का अधिकार ह। संशोधन उपस्थित करने का अधिकार केवल लोक सभा या राज्य सभा को ही है और उसको ही हो सकता है।"

अभी बिहार विधान सभा में अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है कि संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक को या तो स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है, उसमें कोई संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। 1 जनवरी, 1976 के टाइम्स आफ इन्डिया में अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की रूलिंग जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका ह, में यह कहा गया है कि अध्यक्ष ने महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था को उद्धृत करते हुए यह कहा कि —

"जब संविधान में संशोधन का कोई विधेयक अनुसमर्थन के लिए विधान मन्डल के समक्ष हो तो विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं ह।"

एक बात और है और यह कि समय के बारे में इसमें जो सूची है तो उसमें भी विरोध हो जाता है क्योंकि यह ऐक्ट, यह विधिवत् संशोधित तब होगा जब राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करें और जब आधे से ज्यादा प्रदेश के विधान मन्डल उसको मंजूर करें या नामंजूर करें तब जो माननीय मालवीय जी ने कहा है कि वह आत्मविरोधी हैं क्योंकि उनका कहना है कि इसको टाल दिया जाय, तब तो ऐक्ट प्रवृत्त होगा ही नहीं।

जो संशोधन उक्त संकल्प में दिया गया है वह विधेयक के खंड 1 के उपखंड (2) से सम्बन्धित है।[1] उक्त उपखंड (2) में यह व्यवस्था है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। संशोधन का अभिप्राय स्पष्टत: संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक के खंड 1 के उपखंड (2) में केन्द्रीय सरकार को दिए गए अधिकार को नियन्त्रित करने का है। इस प्रकार इसे शाब्दिक संशोधन नहीं कहा जा

[श्री अध्यक्ष]

सकता और न इस संशोधन के स्वीकार करने से इस सदन की स्पष्टत : यह राय व्यक्त हो सकती ह कि यह सदन उक्त विधेयक का अनुसमर्थन करता है या नहीं। इन सब दृष्टियों तथा उपरोक्त निर्णयों को विचार में रखते हुए मैं सर्वश्री मालवीय, बेनी प्रसाद वर्मा तथा मुहम्मद असरार अहमद के संशोधन को अवैध करार देता हूं।

अब किसी को भाषण देना हो, तो दे सकता है।

(चौधरी चरण सिंह के खड़े होने पर)

श्री रूद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

भाषण देने का अधिकार अब किसी को नहीं रह गया है। जब संशोधन करने का अधिकार नहीं है तो बहस फिर किसके ऊपर होगी ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। ऐसी बात नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह ठीक है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है लेकिन वह संशोधन केवल विधेयक रह जाता है अगर जितने राज्य हैं उनमें से आधे या आधे से ज्यादा उसको स्वीकृति न प्रदान करें। इसलिए यह जो ख्याल है कि राज्य कुछ भी कहें या न कहें वह इर्रिलेवेंट बात है, यह विचार गलत है। इसलिए अब हमको इस विचार को लेकर चलना है कि अगर हमारी विधान सभा की तरह से बाकी विधान सभायें भी उसका समर्थन न करें तो यह बिल ऐक्ट नहीं बन सकेगा। मेरी पीढ़ी के लोग स्वप्न में भी विचार नहीं करते थे कि इस तरह का संशोधन संविधान में लाया जा सकेगा अथवा इन्टरनल एमरजेन्सी की घोषणा कर दी जाएगी यह कह कर कि विरोधी पक्ष हिंसा करना चाहता है। विरोधी पक्ष के खिलाफ बातें तो बहुत कहीं जाती रही हैं कि वह हिंसा करना चाहता था लेकिन आज तक उसे साबित नहीं किया गया शासक दल की ओर से, बल्कि उल्टे उसके नेतागण यह कहते रहे हैं कि कोई कुत्ता तक एमरजेन्सी लाग करने पर नहीं भौंका। अर्थात् इतना निकम्मा और शक्तिहीन था विपक्ष, कोई हिंसा नहीं हुई यह भी बराबर इनका बयान है। इस प्रकार के बयान कम से कम सितम्बर, 1975 से बराबर हो रहें हैं। खैर उस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा।

कहा गया कि देश की एकता को खतरा पैदा हो गया, गम्भीर खतरा और प्रेसीडेन्ट साहब ने आपातकालीन घोषणा कर दी कि गैर मामूली वक्त आ गया। यह कहते-कहते बहुत दिन हो गए। फिर उसकी तौसीह हुई। किसलिए ? जो आपात स्थिति के फायदे हुए हैं उनको कांसोलिडेट करने के लिए, उसे सुदृढ़ बनाने के लिए। मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा अर्ज करूंगा आपके जरिए से अपने माननीय मित्रों से कि वह उपलब्धियां क्या हैं ? मोटे तौर पर हमने अखबारों में जो पढ़ा वह चार हैं। एक तो यह कि भाव गिर गए। क्यों गिर गए, अगर आप 17 से 24 अक्तूबर की इलस्ट्रेडेड वीकली पढ़ें, उसमें एक आर्टिकिल निकला है। गोखले इन्स्टीट्यूट, पूना के डायरेक्टर श्री बी0 एन0 डांडेकर हैं उसमें उन्होंने दर्शाया है कि जो भी भाव गिरे हैं वह कृषि पदार्थों के गिरे हैं। कृषि पदार्थों के भाव गिराने में सरकार का कितना हाथ है आपातकालीन स्थिति में, वह विचारणीय प्रश्न है। 1975-76 में बारिश अच्छी हुई जिससे 1976 की रबी की फसल अच्छी हो गई और 1975 की फसल खरीफ की भी अच्छी हुई। उसमें 116 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई यह आंकड़े गवर्नमेंट के हैं। अध्यक्ष महोदय, सन् 1970-71 में 108 मिलियन टन पैदावार हुई थी उसके बाद 104 मिलियन टन, उसके बाद 97 मिलियन टन और उसके बाद 105 मिलियन टन तथा 100 मिलियन टन पैदावार हुई। क्योंकि एक साल मानसून अच्छा हुआ इसलिए पैदावार ज्यादा हुई। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से दरख्वास्त करूंगा यह इतना गम्भीर विषय है। इसको मैं तो गम्भीर मानता हूं और आप भी मानते होंगे इसलिए आप लोग भी गम्भीरता से सुनें। ठीक है, आपकी भीड़ है जो कुछ चाहें कर सकते हैं। जिन लोगों ने कांस्टीट्यूशन नहीं पढ़ा, बदकिस्मती से वही इस किस्म की बातें करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि पैदावार बढ़ने में इस इमरजेन्सी का क्या हाथ है ? कुछ नहीं है। इसका एमरजेन्सी से कोई वास्ता नहीं है कुल 6 प्रतिशत सिंचाई बढ़ाई गई है इन 30 सालों में आजादी के बाद। मैं उसमें इस वक्त नहीं जाऊंगा और इमरजेन्सी की ही बात कहूंगा।

दूसरी बात यह कहीं जाती है कि इन्डस्ट्रियल पीस हो गई फैक्टरियों में यानी कारखानों में शान्ति कायम हो गई ? क्यों हो गई, क्या हम थे उसमें अशान्ति फैलाने वाले ? नहीं। मोटे तौर से बात यह है कि इन्डस्ट्रियल वर्कर्स की दो संस्थायें हैं आई0 एन0 टी0 यू0 सी0 आपकी और टी0 यू0 सी0 आपके साझीदार जो बैठे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

एस0 एस0 पी0 की भी है।

चौधरी चरण सिंह—

और भी होंगी लेकिन ये दो मुख्य हैं। तो अगर बे पैमाने पर अशान्ति फैलाई गई औद्योगिक उत्पादन में तो उसके लिए विरोध पक्ष जिम्मेदार नहीं है।

तीसरी बात यह कही जाती है कि लड़कों ने पढ़ना शुरू कर दिया, विश्वविद्यालय के प्रांगण में शान्ति स्थापित हो गयी। अब सब जानते हैं कि कौन अशान्ति फैला रहा था। मैं मानता हूं कि दोनों फरीकैन फैला रहे थे। विरोध पक्ष भी था और कांग्रेस के दोस्त भी उसमें जोरों से शामिल थे। इन्डस्ट्रियल अनरेस्ट में विरोधी पक्ष का कोई हिस्सा नहीं रहा, होगा भी तो 5 या 10 परसेन्ट से किसी हालत में अधिक नहीं होगा। विश्वविद्यालयों में विरोधी पक्ष और कांग्रेस पार्टी दोनों तरफ से क्या-क्या हुआ, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, वह इससे मालूम होता है कि इन यूनिवर्सिटी यूनियन्स के बारें में हमारी कैबिनेट ने, जिसमें नारायण दत्त तिवारी भी भागीदार थे, सन् 1970 में तय किया था कि इन यूनियनों की सदस्यता छात्रों के लिए ऐच्छिक कर दी जाय और वह पास हो गया। उस समय बहुत से वाइस चान्सलर्स और प्रधानाचार्यों के खत आए कि किस तरह से पढ़ाई शुरू होगी। मालूम हुआ कि उस जमाने में सबसे ज्यादा छात्रों की हाजिरी हुई और अच्छी पढ़ाई हुई। उसके बाद वह गवर्नमेंट निकल जाती है, शुद्ध कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है। उसने आते ही स्टूडेन्ट्स यूनियन्स आर्डिनेन्स को रिपील कर दिया। उससे फिर वही रवैया—शराब पीना, बरछी, भाला और फायर आर्म्स रखना, लड़कियों के प्रति जो भाई-बहिन का रिश्ता होना चाहिये, उस भाव में कमी हो जाना—शुरू हो गया। उसका नतीता यह हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को जलाने की नौबत आई और फिर जिनकी वजह से या जिनकी अयोग्यता की वजह से यह हुआ उनके प्रति कोई अप्रसन्नता का इजहार नहीं हुआ।

यही नहीं जब मैं दिल्ली के तिहाड़ जेल में बन्द था, तो उस समय मुझे पुलिस के एक जिम्मेदार अफसर ने बताया कि जब देहली यूनिवर्सिटी के किसी विद्यार्थी की रिपोर्ट लिखी जाती थी, उसके खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 हुई और पुलिस ने दर्ज कर लिया और वह यदि यूथ कांग्रेस या उनकी यूनियन का लड़का हुआ, तो हमेशा पुलिस को हुक्म आया कि उस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि इससे एमरजेन्सी का क्या वास्ता था ?

चौथी बात यह कही जाती है कि फारेन एक्सचेन्ज की जो पोजीशन है, वह अच्छी हो गयी। विदेशी मुद्रा सरकार के पास 2 हजार करोड़ रुपए की हो गई है स्मगलिंग के बन्द कर देने से। तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही

[चौधरी चरण सिंह]

पहले से ही चल रही थी और सारी पार्टियों ने उसका समर्थन किया था लोकसभा में और इसके लिए मीसा कानून लागू था। एमरजेन्सी में केवल यह हुआ कि मीसा को पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ लागू किया गया, जबकि सदन में गवर्नमेंट की तरफ से यह अश्वासन दिया गया था कि यह पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। मई, 1975 में मोरार जी देसाई को यह आश्वासन दिया गया था, जो वह चाहते थे कि गवर्नमेंट का कोई इरादा इसको पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने का नहीं है। तो वह कानून, जिसके अन्तर्गत स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही हुई, पहले से ही मौजूद था। इससे एमरजेन्सी में क्या नई चीज हो गयी ? यही नहीं, स्मगलिंग कोई नई चीज नहीं थी। वह जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चल रही थी। सन् 1970 में कोई आई0 सी0 एस0 अफसर थे शायद कौल थे। यहां के नहीं थे, शायद हों और डेपुटेशन पर चले गये थे, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बैठा था तस्करों की कार्यवाही की तहकीकात करने के लिए। उनकी 1970 या 1971 की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया था कि तीन सौ करोड़ रुपए का फारेन एक्सचेन्ज का नुकसान हो रहा है स्मगलिंग की वजह से। टाइम्स आफ इन्डिया ने एडिटोरियल में लिखा कि कम से कम 500 करोड़ रुपए का सालाना का नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं ऐक्शन लिया गया ? मेरे माननीय मित्र अपना दिल टटोलें। जो कानून था उसके अधीन ऐक्शन लेते तो मुकदमा चलता। तमाम स्मगलर्स को अपनी सफाई देने का मौका होता। उनके क्या बयान होते वह इससे जाहिर है कि जो उन्होंने समाचार-पत्रों के सम्वाद-दाताओं से कहा अर्थात् कांग्रेस लीडर्स को वह रुपया देते थे। इसलिए नियमित रूप से स्मगलिंग चल रही थी। उन्होंने अगर गलत बयान दिया किसी कांग्रेसमैन के खिलाफ या कांग्रेस मिनिस्टर के खिलाफ तो मैं जानना चाहता हूं, उनके खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं लिया कि हमें बदनाम कर रहा है ? दो हजार करोड़ रुपया फारेन एक्सचेन्ज का बचा इससे एमरजेन्सी का क्या वास्ता ? 20 प्वाइन्ट मुझे याद हैं, मालूम भी हैं। माना बीस प्वाइन्ट पर अमल करने के लिए एमरजेन्सी लगायी गयी हो। परन्तु सबको मालूम है कि किसलिए एमरजेन्सी लगायी गयी। बीस प्वाइन्ट प्रोग्राम का रात दिन प्रोपेगेन्डा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह विषयान्तर हो रहा है।

चौधरी चरण सिंह--

विषयान्तर नहीं हो रहा है। मेरे मित्र भूलें नहीं कि जो इमरजेन्सी लगी है उस संशोधन के जरिए इसको नार्मलाइज किया जा रहा है अर्थात् सामान्य बनाया जा रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

संविधान में जो संशोधन है उसी पर माननीय नेता विरोधी दल का भाषण करवाएं। इमरजेन्सी पर बहस नहीं है। मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इमरजेन्सी की बहस नहीं है। जो संशोधन है उस पर भाषण कीजिए। यह समझ में आता है कि संविधान में कौन सा ऐसा क्लाज रख दिया है जिससे आप समझते हैं कि एमरजेन्सी को नार्मलाइज किया जा रहा है। आप उसको पढ़ कर भाषण करें। नहीं तो माननीय नेता विरोधी दल का भाषण विषयान्तर होगा।

चौधरी चरण सिंह--

दुनिया में विधान मन्डल का नियम यह है कि जो आदमी बोल रहा है अगर वह सुनने के लिए तैयार नहीं है तो जो बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ है, वह बैठ जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

व्यवस्था का प्रश्न था।

चौधरी चरण सिंह—

मैं माननीय मिश्र जी के इन्टरप्शन की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अगर माननीय नेता सदन कोई बात कहते तो मैं बैठ जाता। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह इन्टरप्शन कब तक रहेगा? यह क्या तरीका है? तिवारी जी आपके पास फोर्स है। आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं। स्वयं अमेन्डमेन्ट बिल पढ़ने की जरूरत नहीं। दो-चार बातें जोश की कहिए वोट मौजूद। हमारी कठिनाई है क्योंकि जनता बेपढ़ी है, हमारे विधायक बहुत से नाम मात्र के पढ़े हुए हैं। काश.जनता पढ़ी हुई होती, काश हमारे विधायक जानकार होते, काश हमारे विधायकों को मालूम होता कि इस संशोधन का क्या नतीजा होन जा रहा है, क्या भविष्य होने जा रहा है, तो यह बिल न पास होता पार्लियामेन्ट से, माननीय काशीनाथ मिश्र का इन्टरप्शन न होता। भूल जाइए कि आप उधर बैठे हुए हैं, और मैं विरोधी पक्ष की तरफ से बोल रहा हूं। यह मामला राजनीति से ऊपर होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं साल भर में केवल तीन मौके पर इस प्रदेश की असेम्बली में बोलने के लिए आया हूं और मेरे साथी आए हैं। तीसरी बात फेमिली प्लानिंग की है, लेकिन मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा और पार्लियामेन्ट पार्टी पालिटिक्स के स्थान हैं। यह कोई मन्दिर या पूजा पाठ के स्थान नहीं हैं जहां पर सब लोग एक ही चीज कहें। हमारी विचारधारा एक है आपकी दूसरी हो सकती है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि यह पार्टी पालिटिक्स की जगह नहीं है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कीजिए।

श्री राममूर्ति—

जब कोई बोलता है तो यह आपकी ड्यूटी है कि उसे आप रोकें। अगर हर मेम्बर दूसरे मेम्बर को टोकेगा तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? जो कोई सदस्य बोलता है वह विषयान्तर है या नहीं इसे आपको देखना है न कि किसी मेम्बर को। आपने जितना समय दिया है अगर 2-4 आदमी बोलना चाहते हैं तो उनको बोल लेने दीजिए। यही समझ लीजिए कि बेवकूफ लोग बोल रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह—

मैं कहता हूं कि क्या चीज रेलेवेन्ट है और क्या चीज रेलेवेन्ट नहीं है। हम कोई चीज बोलते हैं तो स्पीकर की इजाजत से बोलते हैं। दूसरी बात मैं नारायण दत्त तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि माननीय काशीनाथ मिश्र बारबार खड़े होकर बोलते हैं तो क्या मैं यह समझूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ऐसा चाहते हैं। अगर वह अबकी बार खड़े होकर हमें इन्टरप्ट करेंगे तो हम सभी लोग चले जायेंगे। आप तो एक पार्टी रूल चाहते ही हो। हमें गलत बात कहने का हक है जिसे आप गलत समझते हैं। डेमोक्रेसी में हर आदमी को गलत बात भी सुननी पड़ेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह कोई नियम नहीं बन सकता है कि कांग्रेस दल का कोई व्यक्ति कोई बात कहें तो मुख्य मन्त्री की मान ली जाएगी, लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल को बड़े सम्मान पूर्वक सुना जाए और वह गलत कहें तो भी सुना जाए जैसा उन्होंने कहा है कि उन्हें गलत कहने का हक है, तो उनको सुना जाए।

चौधरी चरण सिंह—

मैं नारायण दत्त तिवारी जी से सहमत नहीं हूं। माना कि मेरे द्वारा कोई गलत बात कही जाए। परन्तु अगर रोजाना कोई मेम्बर बराबर इन्टरप्ट करेगा तो लीडर को हक है कि वह उसको मना करे और अगर आपका यह कहना है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो मेरी भी जिम्मेदारी नहीं अगर इधर से कोई शोर मचाए और आप लोगों में से कोई न बोल सके। मैंने तो एक शराफत की बात कही। आप तसलीम भी करते है, आपको भी गलत बात कहने का हक है। आप भी गलत बात कहते हैं। मैंने तो भलमनसाहत में एक बात कही लेकिन आपने उसको उस अर्थ में नहीं लिया जिसमें आपको लेना चाहिए था। मैं कहता हूं कि आपने आदि से अन्त तक गलत बात कही। आपने सोशलिजम और सेक्युलेरिज्म या जितनी बातें यहां रखीं लेकिन जिस तरह से थौरो गोइंग एमेन्डमेन्ट रखा गया है उसमें किस प्रकार से अदालत के अधिकार को सीमित कर दिया है, किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया है, किस प्रकार से प्रदेश के अधिकारों को खत्म किया गया है? उसको आपने समझाया नहीं। इसमें डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को मौलिक अधिकारों के ऊपर स्थान दिया गया है, उसका भी आपने कोई जिक्र नहीं किया है। इलेक्शन के बारे में शायद इसमें दिया हुआ है कि कोई जुडिशियल ट्राइब्यूनल न होगा। अगर मैंने यह बात कह दी कि हो सकता है कि मैंने कोई गलत बात कह दी तो आप मजाक उड़ाते हैं। अगर कहीं पर मेरी ओर से इर्रेलेवेन्ट बात हो जाय तो अध्यक्ष महोदय, आपको उसको दर गुजर करना चाहिए लेकिन अगर हर बार खड़े होकर किसी माननीय सदस्य की ओर से बराबर रुकावट डाली जाती है तो मैं समझता हूं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी यह चाहते हैं कि इस पर बहस न हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, वह गलत बात कह रहे हैं। आपको गलत बात कहने का अधिकार है। आपने जो कहा है, मैं उसी को दोहरा रहा हूं।

चौधरी चरण सिंह—

उस पर आपके लोग हंसे और आप स्वयं भी हंसे। यह आपका शिष्टाचार है, आप भी मुस्कराये? जो डिक्टेटरशिप में विश्वास करते है उनके द्वारा ही यह होता है, मेरे द्वारा नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे बीच में न बोलें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपकी आज्ञानुसार मैं शान्ति से सुन रहा हूं। मैं तो केवल विषय पर ही बोलने की बात कह रहा था।

चौधरी चरण सिंह—

आपने तय कर लिया है कि किसी को बोलने नहीं देंगे, मेरा निवेदन है कि यह जो संशोधन है मामूली संशोधन नहीं है। इन्डियन ब्रान्ड आफ डैमोक्रेसी को नाफिज करने के लिए यह संशोधन किया गया है। जनतन्त्र को इस संशोधन के द्वारा हिन्दुस्तानी रंग, ढांचे या मार्क का रूप दिया गया है। हमारी प्रधान मन्त्री ने स्वयं यह कहा है कि इंडियन ब्रान्ड आफ डेमोक्रेसी है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री साहबा ने इंडियन एक्सप्रेस में कहा है कि —

"She was determined to have democracy, socialism and secularism of the Indian Brand in the country suiting its genius meeting the aspirations of the people and conforming to its conditions."

इंडियन ब्रान्ड आफ डैमोक्रेसी क्या ह? पौलिटिशियन्स ने और फिलोस्फर्स ने यह कौन सी ब्रान्ड निकाली ह, हमको भी मालूम नहीं है और यह भी तय है कि जो डैमोक्रेसी का ब्रैन्ड अब तक चल रहा था वह इंडियन नहीं था। तीन पीढ़ी पहले हमारे बुजुर्ग, पुरखे जिन्होंने सारी उम्र लगा दी और कांस्टीट्यूशन बनाया---हमारी प्रधान मन्त्री भी जीनियस हैं बड़ी भारी, लेकिन वे इन से कम नहीं थे। हमारे लीडरान जिन्होंने कांस्टीट्यूशन बनाया क्या उनको इन्डियन ब्रैन्ड नहीं मालूम था? लेकिन अब हमारी बहिन जी को मालूम हुआ और वह इसको नाफिज कर रही हैं। लेकिन वह क्या है? कौनसा इंडियन ब्रैन्ड? वह यह है कि "ट्रैपिग्स आफ डैमोक्रेसी" रखे रहेंगी। फ्रेम सब रहेगा मुलम्मा जनतन्त्र का रहेगा लेकिन वास्तविक अधिकार सेन्ट्रल एग्जिक्यूटिव में रहेंगे। जुडीशियरी को कोई अधिकार नहीं होंगे, पार्लियामट को भी नहीं और सेन्ट्रल एग्जिक्यूटिव का मतलब है कि प्रधान मन्त्री के अपने हाथ म होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर यही "इन्डियन ब्रैन्ड" ह तो यह ब्रांडदेश के लोगों को स्वीकार नहीं ह और हमको भी यहां स्वीकार नहीं ह और न होगा।

फिर आप देखें कि मौजूदा संविधान में 59 संशोधन किए गए हैं। दो चैप्टर्स नए जोड़ गए हैं। कई अनुच्छेद बिलकुल निकाल दिए गए हैं, बाकी में संशोधन किया गया ह और आज तक, मैं बिला खौफ तरदीद कहने के लिये तैयार हूं कि दुनियां के किसी डैमोक्रटिक कांस्टीट्यूशन में एक अमन्डमेन्ट ऐक्ट के जरिए इतने संशोधन नहीं किए गए। इसलिए जरूरी चीज है इस पर ज्यादा विचार करने की। क्योंकि वर्तमान संविधान का बिलकुल ही रूप बदल दिया गया है और हमारी प्रधान मन्त्री खुद स्वीकार करती ह कि मैं इसका रूप बदलन जा रही हूं। इसलिए यह मामूली अवसर नहीं ह। इस पर बहुत विचार करने की जरूरत ह।

अध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि हमको मैंडेट है जनता की तरफ से यह संशोधन करन का। मैं यह अर्ज करता हूं कि कोई मैंडेट नहीं है। अगर कोई मैंडेट था तो वह भी एग्जास्ट हो चुका। वह खत्म हो चुका। पार्लियामेन्ट की जिस तरह से लाइफ बढ़ाई है वह मैंडेट से अलग की चीज है। मैंडेट के लिए कहते हैं कि 1972 में यह पार्लियामेन्ट चुनी गयी थी और उसमें हमको मैंडेट दिया गया था। ए0 आई0 सी0 सी0 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो निकला है उसके लफ्ज सुनाना चाहता हूं। 1972 वाले में कहते हैं कि जो कुछ हम करने जा रहे थे 1971 में, वह हम कर चुके। उसके बाद केशवानन्द भारतीय का जजमेन्ट आता है परन्तु वह किसी प्रकार बाधक नहीं था आपके सोशियो-इकानामिक रिफार्म्स में जो आपके जहन में हों। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो 1971 का क्या कहता है ---

"The nation's progress cannot be halted. The spirit of democracy demands that the constitution should fulfil the needs and urges of the people. Our Constitution has earlier been amended in the interest of economic development. It will be our endeavour to seek such further constitutional remedies and amendments as are necessary to overcome the impediments in the path of social justice."

मैनिफेस्टो आपकी पार्टी का यह कहता है कि देश की उन्नति में बाधा नहीं डाली जा सकती; रोका नहीं जा सकता। जनतन्त्र की जो स्पिरिट है, जो उसकी भावना और आत्मा है उसका तकाजा है कि लोगों की जो इच्छायें हैं, जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के रास्ते में कोई बाधा न रहे। हमारा कांस्टीट्यूशन पहले भी कई बार तरमीम किया जा चुका है। आप इस घोषणा-पत्र द्वारा जनता को बतला रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी कांस्टीट्यूशन में और मजीद इस प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय के रास्ते में जो रुकावटें हैं वह दूर हो जायं। सामाजिक अन्याय क्या है? गरीबों के साथ अन्याय, उनकी गरीबी दूर न हो, उनकी बेरोजगारी का बढ़ना, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ते जाना, यही रुकावटें हैं, इनको हम दूर करना चाहेंगे। इसके लिए मैनिफेस्टो के ये वर्ड्स 1970 में जब गोलकनाथ जजमन्ट हो चुका था उसके सन्दर्भ में लिखे गय। इसके बाद 1972 में

[चौधरी चरण सिंह]

प्रदेशीय विधान सभाओं के जो चुनाव हुए उस समय कांग्रेस एलेक्शन मैनिफेस्टो में यह लिखा था :—

"By the 24th Amendment the power of Parliament to amend any part of the Constitution has been restored."

24वें अमेन्डमेन्ट में कांस्टीट्यूशन के हर अंश को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। गोलकनाथ जजमेंट ने उसको डिनाई किया था। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स के बारे में है, कहते हैं कि उनके अनुसार जायदाद चन्द लोगों के हाथ में इकट्ठा न हो और उसका इन्तजाम और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जिससे आम जनता का भला हो। 25वें संशोधन से इन सिद्धान्तों को भी उचित स्थान दे दिया गया।

"By the 25th Amendment these principles have been given their due position."

आगे कहते हैं :—

"The needs of the masses have been put above those of the privileged few."

जनता की जरूरत को चन्द ऊपर के मालदार लोगों की जरूरत और आकांक्षाओं के ऊपर रख दिया है।

"The 26th Amendment redeems the pledge to abolish Privy Purses and princely privileges there by ending an outdated and anachronistic system."

मतलब यह है कि मैनडेट आपको जनता ने 1971 में दिए थे उसको आप तसलीम करते हैं कि वह पूरे हो गए। इसके बाद 1973 का जजमेंट केशवानन्द भारतीय का आता है, जिसका तिवारी जी ने अपने भाषण में जिक्र किया था, उसमें कोई चीज शिकायत की नहीं रह गयी इस निर्णय ने आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दीं। पहली बात तो यह कि संविधान का हर अंश संशोधित किया जा सकता है।

"It held that any part of the Constitution may be amended including fundamental rights provided the Constitution was not abrogated or its basic structure destroyed."

सिर्फ दो ही शर्तें लगायीं कि बुनियादी ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं।

न्याय मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

जो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेन्ज कर सकते तो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनीशन उन्होंने कुछ नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि कौन सा पार्ट आफ दि कांस्टीट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें एक कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट के फ्लोर पर कांग्रेस के लीडर्स की स्पीचेज हुई हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कि वह क्या होता है? बहुत सी चीजें अन-डिफाइन्ड होती हैं हर लफ्ज डिफाइन नहीं किया जा सकता। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। इलेक्शन होंगे, यह बेसिक स्ट्रक्चर है। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा यह बेसिक स्ट्रक्चर है। मैजारिटी कितनी ही आ जाए, आप कितने ही बहुमत में आ जाएं, मगर आप यह नहीं कह सकते कि हमने अपने नेता को उमर भर के लिए प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। आज अगर पार्लियामेंट यह कर दे कि उसकी मुद्दत 25 वर्ष होगी, कोई इलेक्शन 25 वर्ष तक नहीं होगा, तो उसे कौन रोक सकता है? पहले 5 वर्ष की तजवीज थी, मगर उसको 6 किया गया, फिर इमरजेन्सी के नाम पर और बढ़ा दिया एक साल। इसको आप 25 साल भी कर सकते थे। यह चीज बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होती। इन्दिरा जी बहुत बुद्धिमती हैं, उनका बहुत अधिक असर है, उन जसा तो हिन्दुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ.....

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

धन्यवाद।

चौधरी चरण सिंह—

आपकी मैजारिटी 66 परसेन्ट है, आप यह कर सकते हैं कि हम अपने लीडर को लाइफ भर के लिए चुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा। आप यह भी कर सकते हैं कि हम डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। मगर यह बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। बेसिक स्ट्रक्चर यह है कि जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से सेप्रेशन होगा, लेजिस्लेचर भी स्वतन्त्र होगा। फेडरल कान्स्टीट्यूशन का अर्थ ही यही है कि यह तीनों विंग अलग-अलग हों। यूनाइटेड किंगडम, यू0 एस0 ए0 या जो भी देश प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं उनके यहां इन तीनों का सेप्रेशन है। मगर आज जो रोज-रोज गोखले साहब के बयान हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जुडिशियरी को बिलकुल खत्म कर दिया गया है। यह बेसिक स्ट्रक्चर पर जबरदस्त प्रहार है।

जिस वक्त इन संशोधनों पर बहस हो रही थी, मद्रास के एडवोकेट जनरल ने, वहां की गवर्नमेंट ने, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत अच्छा रिजोलूशन पास करके भेजा था। उसे पढ़ लीजिए। उससे पता चल जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में और फेडरल कांस्टीट्यूशन में क्या-क्या चीज जरूरी है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वही एक चीज है जो संविधान को डेमोक्रेटिक बनाती है, डिक्टेटोरियल नहीं बनने देती। अगर आपकी समझ में यह नहीं आता है कि बेसिक फीचर किसको कहते हैं तो उसके लिए भी संविधान में प्राविजन है, आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, राय उससे ले सकते हैं। प्रेसीडेन्ट चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर से उनका क्या मतलब है? उससे राय क्यों नहीं ली गयी? अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को कायम रखना चाहते और सुप्रीम कोर्ट का आदर कायम रखना चाहते तो आप उससे राय लेते, मगर आपको वह मंजूर ही नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो प्राइवेट सम्पत्ति का अधिकार है उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मानते। फिर झगड़ा क्या रह गया? प्रापर्टी राइट्स को आप खत्म कर सकते थे, वह आपने नहीं किया है। नहीं आपने खत्म किया। अपोजीशन की तरफ से प्रस्ताव आया था 6 महीने, 8 महीने पहले की बात कह रहा हूं। इसका विरोध हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। प्रभु नारायण जी, आपकी तरफ से। विरोधियों के लिए कहा जाता है कि हम सब बड़े-बड़े लोगों को चाहते हैं। उस रेजोलूशन का बहुत सें कांग्रेसियों ने समर्थन किया, लेकिन गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई। जो बात मैं कह रहा हूं पूरे विश्वास के साथ। अगर आप कल को बतला देंगे कि आपने गलत कही, मैं माफी मांग लूंगा सरेआम। इमरजेन्सी लागू होती है 26 जून, सन् 1975 को। बिड़ला का डेपुटेशन 28 को जाता है, बधाई देने के लिए। बात करते ह आप गरीबों की गरीबी मिटाने की।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

चौधरी साहब एक मेरा निवेदन है। जहां पर आपने बिड़ला का जिक्र किया, वहां पर आप लाखों, करोड़ों लोगों का भी जिक्र करें। उस समय लाखों करोड़ों आदमी वहां पर इक्ट्ठा हुए।

चौधरी चरण सिंह—

लाखों-करोड़ों लोगों के इक्ट्ठा होने की बात राजेन्द्र कुमारी जी करती हैं। वह उस तरह से इन्दिरा जी के मकान पर इक्ट्ठा हुए थे जैसे इधर एक नौजवान ने दौरा किया था, जिस तरह से वहां पर इक्ट्ठा हुए। दुनिया को मालूम है कि पैसे दे देकर इक्ट्ठा किए गए थे। प्रधान मन्त्री की मीटिंग में बस भर-भर कर और पैसा दे-देकर के लोगों को इक्ट्ठा किया जाता है। अगर यह बात मेरी गलत है, मैं इस पर इस्तीफा देने को तैयार हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह तो बिलकुल गलत है। माननीय चौधरी साहब किराए के लोग लाखों में नहीं जाते हैं। ये जनता के लोग गए थे। इस चैलेंज को मैं स्वीकार करती हूं।

(श्री राम नारायण पाठक के खड़े होने पर।)

(शोर-गुल)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लाखों आदमी किराए पर कभी नहीं लाए जा सकते हैं। माननीय नेता विरोधी दल से मैं विनम्र तरीके से कहना चाहती हूं कि लाखों व्यक्ति कभी किराए पर नहीं लाए जा सकते। क्योंकि वह इतनी पापुलर ह इसलिए अपने स्वयं लोग आते हैं। जो उन्होंने चैलज किया है उसको मैं स्वीकार करती हूं।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझको हरियाणा और यहां की भी बात मालूम हैं। आते कम लोग हैं, लिखे जाते हैं लाखों-करोड़ों। हमारे अम्मार रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी लीडरशिप इतनी जनप्रिय है तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराते हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

एलेक्शन कराने के लिए तो हम तैयार ही हैं।

(शोर-गुल)।

श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)—

सी० आई० ए० के लोगों .....

(शोर-गुल)

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, अब मैं केशवानन्द भारती वाले निर्णय की तीसरी बात लेता हूं। तीसरी बात यह ह कि संशोधित आर्टिकल 31(सी) यह कहता था कि जायदाद ली जा सकती है किसी को बिना मुआवजा दिए। गवर्नमेंट जो भी राशि मुकर्रर करेगी वही लेनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोशल जस्टिस के रास्ते में, आर्थिक और सामाजिक सुधारों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं की। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसको आपको सुन कर ताज्जुब होगा क्योंकि हम सब लोग बहुत सी बातों को महीना दो महीना गुजरन के बाद भूल जाते हैं। अक्तूबर-नवम्बर, 1975 में चीफ जस्टिस ने 13 जजों की एक बेंच मुकर्रर की। काहे के लिए? केशवानन्द केस के लिए। गवर्नमेंट ने उसमें रिवीजन दाखिल किया और चीफ जस्टिस ने 13 जजों की बेंच बैठायी। आप सब देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वह क्या है। चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल श्री डे से पूछा कि इस तरह की कोई मिसाल बतला दीजिये कि जब कांस्टीट्यूशन का इन्टरप्रिटेशन इस तरह से किया गया हो जिससे गरीबों की हालत सुधारने में बाधा आ ग हो। इसके लिए एक दिन का समय उन्होंने मांगा था अगले दिन उन्होंने कह दिया कि वे ऐसी कोई मिसाल नहीं दे सकते हैं कि गवनमट न गरीबी के नाम पर इस तरह की कोई बात की हो और ला के इन्टरप्रिटेशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट उसके रास्ते में कोई रुकावट बनी हो। इस पर चीफ जस्टिस ने उस बेंच को डिजाल्व कर दिया।

बराबर गरीबों के हक में होने की बात सरकार कहती है और वह विरोध पक्ष को प्रतिक्रियावादी कहती है लेकिन किसी भी देश में गरीबी इस तरह नहीं मिटाई गयी है। इसको मैं प्रोपेगेंडा न कहूं तो और क्या कहूं? अनर्गल कहूं, झूठ नहीं कह सकता, वरना मेरे दोस्त नाराज हो जायेंगे। बोलने भी नहीं देंगे। जो कुछ किया गया वह केवल पालिटिकल है। इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पावर पार्लियामेन्ट को दे दी गयीं

और प्रेसीडेन्ट को केवल कांस्ट्रीट्यूशनल हेड बना कर रख दिया गया है। मान्यवर, 25 जनवरी, 1975 को कांस्टीट्यूशन की हीरक जयन्ती मनायी गयी। सन् 1950 में वह नाफिज हुआ और 25 जनवरी, 1975 को उसकी जयन्ती मनायी गयी बहुत से भाषण हुए, सेमिनार हुए। जहां प्रेसीडन्ट, प्रधान मन्त्री और गोखले साहब ने तकरीरें कीं। वे तकरीरें मेरे पास ह, ला सकता हूं और आपकी सेवा में उनको सुना भी सकता हूं। उन सबमें बड़ी तारीफ की गयी ह कांस्टीट्यूशन की, जिसका कोई हिसाब नहीं है। कहा गया कि यह बहुत संतुलित ह, बहुत फ्लेक्जिबिल है और फिर 5 महीने बाद ही 26 जून, 1975 को वह बेकार साबित हो जाता ह एक प्रकार से वह स्क्रेप आफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा करार दे दिया गया। आखिर क्यों मैं इसका जवाब नहीं चाहता, यह आपके विचारों पर ही छोड़ देता हूं। यह कहा गया कि पार्लियामेन्ट जो है वह सुप्रीम ह। किस माने में सुप्रीम है? पार्लियामेन्ट इज दि क्रिएशन आफ दि पिपुल अर्थात् पार्लियामेन्ट जनता द्वारा निर्मित एक संस्था है। तो सृजन-कर्ता से सृष्टि कैसे बड़ी हो सकती है? निर्माण किया है जनता ने पार्लियामेन्ट का। तो पार्लियामेन्ट जनता के मुकाबिले में कैसे सुप्रीम होगी, मैं यह जानना चाहूंगा? आप एक नया ब्रान्ड डेमोक्रेसी को देना चाहते ह। जल्दी आप क्यों कर रह ह, मुल्तवी करने म क्या दिक्कत ह जब कि आज डिबेट नहीं हो सकता है? 16-17 अक्तूबर को दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था। मैं भी उसमें शामिल हुआ। बड़ी विद्वतापूर्ण तकरीरें हुयीं। 'क्रीम आफ जूरीज' थे वहां। बहुत से लोगों को सुना तबीयत खुश हो गयी सुनकर कि ऐसे विद्वान हमारे देश म ह।

अध्यक्ष महोदय, मैंने शिरोमणि मेहता को एक लेटर लिखा। मैंने लिखा कि आप देहली में एक पब्लिक मीटिंग की इजाजत दे दें। लेकिन लेटर आया कि नहीं। तो मैं जानना चाहूंगा कि पूरी बहस कैसे हो सकती है? मेरी स्पीच हो रही है क्या वह छपने दी जायगी? नहीं। तो फिर पोलीटिकल एजूकेशन कैसे होगा अर्थात् जनता का राजनीतिक शिक्षण। मैंने ला पास किया है। मेरी कुछ पब्लिक-रिसपांसिबिलिटीज ह। लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं आपके इस संशोधन के आशय को समझ रहा हूं। क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे? अखबार में छपने नहीं दगे, मीटिंग होने नहीं देंगे, क्यों? कोई ईमानदारी की बात नहीं है, देश के हित के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। मैं नहीं कहता कि आप ईमानदार नहीं हैं लेकिन जो बातें आप कहते हैं उस पर कोई अमल नहीं है तो क्या यह उचित तरीका है? दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो रिफरेंडम आप करें या फिर आप इलेक्शन कराइए जो पार्लियामेन्ट आये वह तय करे। इतना दूरगामी संशोधन आप जल्दी में कर डालें यह ठीक नहीं है, आपका मैनडेट एक्जास्ट हो गया है।

दूसरी बात यह है कि आप 5 साल के लिए चुने गये थे। अगर किन्हीं कारणों से साल भर की तौसीह कर दी, कारणों को मैं यहां कहना नहीं चाहता, तो आप रुटीन बिजनेस कर सकते थे। आपको किन्हीं कारणों से एक्सटेन्शन करना पड़ा तो उस सिलसिले म अर्थात् एक्सटेन्शन चलाने भर के लिए आप कोई कानून बना सकते थे। लेकिन कांस्टीट्यूशनल एमेन्डमेन्ट करना, इस बढ़ी हुई मुद्दत में यह कहां की ईमानदारी है? नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपका तर्क क्या है? पीपुल की पार्लियामेन्ट है। अर्थात् जनता और पार्लियामेन्ट एक ही है और पार्लियामेन्ट क्या है? मेजोरिटी की पार्लियामेन्ट है। मैजोरिटी की गवर्नमेन्ट है। और गवर्नमेन्ट क्या ह, हमारी बहन इन्दिरा जी। मतलब हुआ कि इन्दिरा जी इज दि पीपुल, इन्दिरा जी राष्ट्र हैं। आप इससे इन्कार भी नहीं कर सकते। आपके आल इन्डिया कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट ने नारे लगाये कि 'इन्डिया इज इन्दिरा', 'इन्दिरा इज इन्डिया'। किसी ने प्रोटेस्ट किया? नहीं। इन्दिरा जी हमारी सब से श्रेष्ठ नागरिक हो सकती हैं लेकिन देश नहीं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी — यह कोई एक्प्रेशन का तरीका है?

चौधरी चरण सिंह—

जाने दीजिए, इतनी अकल आप में है। आप स्वयं नहीं विश्वास कर पा रही हैं। तो अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस-जन एक बात और कह रहे हैं कि हम पीपुल हैं, हम जनता हैं। इस प्रकार आपने परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि पीपुल मोर सावरेन दैन दि पार्लियामेन्ट। तो आपने पीपुल को मान लिया तो रिफरेन्डम या जनमत क्यों नहीं लेते ? यह प्राकृतिक न्याय का तकाजा है कि आप जनता से पूछें। आप चुनकर भेजे गये इसलिए कि लोगों की इच्छा व हित की नुमाइन्दगी कर सकें। आस्ट्रेलिया का कांस्टीट्यूशन 1900 म बना था। 75 साल में 32 बार एमेन्डमेन्ट किया रूलिंग पार्टी ने। उनके यहां नियम है कि संविधान का संशोधन बिना जनमत लिए नहीं किया जा सकता। 32 संशोधनों में से वहां की जनता ने संशोधन के 25 विधेयकों को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब साफ-साफ यह हुआ कि शासक दल क्योंकि पार्लियामेन्ट में चुनकर बहुमत में आ गया है इससे यह नहीं साबित हुआ कि वह संविधान में संशोधन करने का भी जनता अधिकार रखती है।

(इस समय 2 बजकर 26 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट के सारे आधिकार हैं कानून बनाने के लिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उस कानून को इन्टरप्रेट करने का अधिकार नहीं है। तो क्या रुकावट है कि इन्दिरा जी को जीवन भर का लीडर बना दें ? सुप्रीम कोर्ट को अधिकार कुछ कहने का है नहीं। आप कहेंगे नहीं। आपको पेन्शन भी मिल गयी और हमको भी मिल गयी तो यह चीज कौन कहेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे देशों की मिसाल देता हूं कि लीडर आया, जनता पर जादू हुआ और वास्ट मेजारिटी हो गयी और लाइफ के लिए प्रेसीडेन्ट हो गया। लेकिन दूसरी मिसाल है इन्दिरा जी की। मैं समझता हूं कि वह दूसरी मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। इंगलैन्ड में विल्सन को 8 साल प्रधान मन्त्री हुए हो गए थे, उसकी मैजारिटी मौजूद थी और कोई समस्या उसके सामने नहीं थी कि जिसको वह हल नहीं कर पाता। लेकिन उसने त्याग-पत्र दे दिया। यह बात केवल उसकी पत्नी को मालूम थी कि उन्होंने यह इलेक्शन के समय निर्णय ले लिया था कि रिजाइन कर देंगे। इसी प्रकार अमेरिका में ट्रूमैन को राष्ट्रपति के पद के लिए दूसरी बार खड़ा होने के लिए कहा गया और कायदे से वह खड़ा हो सकता था लेकिन उसने प्रेसीडन्ट बनने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि डेमोक्रेसी मौजूद है तो दूसरे लोगों को क्यों न मौका दिया जाय ? हमारी बहन जी को 10 साल हो गए और 11 साल होने जा रहे हैं।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

हमारे चौधरी साहब को 8 साल अपोजीशन लीडर बने हो गए हैं तो अब वह दूसरे को चार्ज दे दें।

चौधरी चरण सिंह—

आप जब प्रधान मन्त्री हो जायेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, एक सीजर की मिसाल म देता हू। उसका जादू जनता पर था। एक बार वह लड़ाई जीत कर आया तो जनता ने उसको राजा बनन के लिए कहा लेकिन उसने राजा बनने से इन्कार कर दिया। दूसरी बार फिर इन्कार कर दिया....

एक सदस्य—

खत्म करिए।

चौधरी चरण सिंह—

रोकिए नहीं, कोई बात हो तो कहिए।

तीसरा मौका आया, उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, फिर कहा गया और रिफ्यूज कर दिया। कितनी ही मिसालें हैं हिस्ट्री में, विल्सन की है ट्रूमन की है,

मीजर की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारी प्रधान मन्त्री यही मिसाल पेश करें। और फिर कांग्रेस में बहुत से आदमी हैं कांग्रेस का बहुमत है, दूसरा आदमी हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐन्टी-नेशनल एक्टीविटी तथा ऐन्टी-नेशनल आर्गनाइजेशन राष्ट्र विरोधी कायवाही व समाज-विरोधी संस्थाओं से सम्बन्धित संशोधन की चर्चा करना चाहता हू। आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की जरूरत नहीं ह। इस संशोधन के बाद परमामेन्ट इमरजेन्सी चाहिए। कानून बनेंगे जैसे आर्डिनेन्स बना लिया इमरजेन्सी का और वह पार्लियामेंन्ट में रेटिफाइ हुआ है। अब मेम्बर आफ पार्लियामेन्ट की भी कदर होने वाली नहीं ह! तो अब आप यह कर सकते ह कि फलां इन्डिविजअल एन्टी-नेशनल काम कर रहा ह और ऐन्टी-सोशल काम कर रहा है और उसके मुताल्लिक जो भी वह ऐक्ट पास करना चाहें पार्लियामेन्ट से पास करा लेंगे। उसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 बाधक नहीं होगा। अनुच्छेद 14 का मतलब है 'इक्विलिटी बिफोर ला'। मतलब यह है कि जो अधिकार हिफाजत का, बराबरी का लोगों को हासिल है उससे उनको वंचित किया जा सकता है। फन्डामेन्टल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में अर्ज कर देना चाहता हू। अध्यक्ष महोदय, फन्डामेन्टल राइट्स मेजोरिटी से नहीं लिए जाते हैं वे बनियादी हैं। डेमोक्रेसी का ढांचा यही है। फन्ड मेन्टल राइट कांस्टीट्यूशन नहीं देता है किसी को। वे परमात्मा या प्रकृति की देन है, उनको केवल स्वीकृति देते है, उनका निर्माण नहीं करते है। फन्डामेन्टल राइट वह चीज है जिसमें मैजोरिटी या माइनोरिटी का सवाल नहीं उठता। यदि जब भी प्रधान मन्त्री चाहें कांस्टीट्यूशन को बदल दें तो मैं जानना चाहूंगा कि कांस्टीट्यूशन में और आर्डिनरी ला सामान्य कानून में क्या अन्तर रहेगा? संविधान तो बुनियादी चीज है जो हमेशा के लिए है। उसके मातहत आप काम करते हैं। यदि आपका टोटेलिटेरियन सिस्टम है तो वह इन्टायरली दूसरी चीज होगी। वह दूसरी बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी को आप एन्टी-नेशनल डिक्लेयर करते हैं, आप नेशन के अगेन्स्ट हैं, जो तय कर दिया। एन्टी नेशनल लफ्ज है, एन्टी-स्टेट नहीं है। जो गवर्नमेन्ट के खिलाफ हो। सब जगह उसमें यही लफज आया है, जो पोलिसी के खिलाफ हो, चाहे देश के खिलाफ न हो, गवर्नमेन्ट के खिलाफ हो, वह एन्टी-नेशनल। आज यह हो रहा है कि कोई इसमें स्पीच दे और सब-इन्सपेक्टर उसकी रिपोर्ट कर दे। नारायण दत्त जी देखेंगे नहीं। सब इन्सपेक्टर जो कह दे वही होगा। एक ताजा घटना हुई है, जिसकी याद दिला दूं। एक डाक्टर ने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक चाय पार्टी के अवसर पर यह कहा था कि अभी एक लड़के की जबरदस्ती वैसेक्टोमी (नसबन्दी) कर दी गयी, नाम दे दूंगा। और एक 61 वर्ष के बूढ़े की भी हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आपने मेरी चाय का मजा बिगाड़ दिया मीसा का वारंट जारी हो गया। डाक्टर यहां लखनऊ में आया हुआ है। मेरे पास नहीं आया है। मुझे एक सज्जन ने ऐसा बताया तो मैंने उससे कहा कि मुझे लिखकर दे दो। मैं उसे नारायण दत्त जी के पास भेज दूंगा। एसी बहुत बातें हुई हैं। यह जो पुलिस वाले लिख देंगे वह एन्टीनेशनल और वह गिरफ्तार और फिर इस एक्ट के खिलाफ कोई अपील कोर्ट में भी नहीं है। तो इस तरह के ऐक्ट इमरजेन्सी में बना दिए जाते हैं जैसा कि हो ही रहा ह। पार्लियामेन्ट आंख मीचकर स्वीकृति दे देती है। और फिर कोर्ट में भी कोई आदमी नहीं जा सकता है। यह इमरजेन्सी है। तो अध्यक्ष महोदय, यह एक नयी चीज होने जा रही है। जो कुछ करना चाहते है वह सब मीसा के जमाने में कर लिया है।

मेरे पास इस विषय से सम्बन्धित नोट है जिसे पढ़कर सुनाता हूं :

"This amendment provides for the making of a Parliamentary law to prevent or prohibit anti-national activities and to prevent or prohibit the formation of anti-national associations. The expressions anti-national activities, and anti-national associations, have been defined in

[चौधरी चरण सिंह]

detail. The law made by virtue of this amendment shall not be deemed to be avoid on tne ground that it takes away or abridges and of the fundamental rights conferred by articles 14, 19 and 31.

अब एन्टी नेशनल एक्टिविटी में क्या-क्या आते हैं? कोई भी डिस्टर्बेन्स हो जिससे देश की यूनिटी या सिक्योरिटी को खतरा हो। डिस्टर्बेन्स क्या होता है? उसके बाद अगर कोई डिस्रप्शन हो जाय। तो उसको एन्टी सोशल एक्टिविटी माना जायगा। क्या आप डिसरप्शन्स को रोक पाये हैं, इस परिभाषा में प्रत्येक वह कार्यवाही आजाएगी, जिससे विभिन्न धर्मों में, कौमों में, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों में, बिरादरियों में या समूहों में मनमुटाव आ जाता है। यह परिभाषा ऐसी व्यापक है कि किसी भी जन-सेवक को आसानी से राष्ट्र-विरोधी अथवा समाज-विरोधी भी घोषित किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अब एक और बात है। यह जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स या निदेशात्मक सिद्धान्त हैं। इससे पहले एक संशोधन में कहा गया था कि अगर अमुक दो सिद्धान्तों के विषय में कानून बनाया जाय तो मौलिक सिद्धान्त बाधक नहीं बन सकेंगे। परन्तु अब सारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिये यही कर दिया गया है। उसमें देखिए क्या-क्या चीजे हैं। इनके मुताल्लिक जो भी कानून बनेंगे तो कानून की दृष्टि में समानता आदि का मौलिक अधिकार सब खत्म समझे जायेंगे निदेशात्मक सिद्धान्त एक प्रकार से सरकार के जनता के प्रति कर्तव्यों का दूसरा नाम है। उदाहरणार्थ देखिए संविधान के भाग 4 में, एक सिद्धान्त यह है कि जनता के सभी लोगों को रोजगार का प्रबन्ध किया जाय, परन्तु नहीं हुआ। क्यों? तो डयूटी तो आपने बयान कर दी परन्तु उन पर अमल किया? नहीं। तो डयूटी यह भी है "Livelihood of the citizens" दूसरे 'health & strength of the worker' और एजूकेशन 10 साल के बच्चों की 10 साल के अन्दर। प्राइमरी एजूकेशन सारे देश में हो जायगी।

इसमें दूसरी बात यह लिखी हुई है कि प्राइमरी एजूकेशन 10 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलेगी वह देश में 10 साल में पूरी हो जाएगी लेकिन उसका कुछ भी नहीं किया गया। इसम आर्गनाइजेशन आफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल हस्बेन्डरी भी है जिसके मुताबिक सरकार कदम उठाएगी अर्वाचीन और वैज्ञानिक तरीके से खेती कायम करने के लिए।

अब तक संविधान यह कहता था कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स पर अमल करने के लिए किसी भी फन्डामेन्टल राइट को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन अब यह संविधान में संशोधन कर दिया है कि फन्डामेन्टल राइट्स अब बीच में स्टैंड नहीं करेंगे। को-आपरेटिव फार्मिंग हो, बड़ी जमीन हो। जितना बड़ा फार्म होगा उतनी अधिक पैदावार बढ़ेगी। अब यह होने जा रहा है। बजाय जाहिल लोगों के पास एक एक दो-दो एकड़ जमीन, एक-एक बैल व हल के बड़े-बड़े फार्म्स होंगे। इसके लिए पंडित जी ने 1959 में कोशिश भी की थी लेकिन क्या नतीजा निकला? साल भर बाद कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं होगी। उनके बाद बहन जी कोआपरेटिव फार्मिग की बात करती थीं लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाईं। बिहार के चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्र कोआपरेटिव फार्मिंग एक गांव में कायम करने जा रहे हैं। 6 महीने हो गए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। केरल म सरकार तीन साल से कोआपरेटिव फार्मिंग करने जा रही थी। टाइम्स आफ इंडिया में अभी रिपोर्ट आई है कि यह निपट असफल रही। लेकिन आपने उससे सबक नहीं लिया। खेती के मामले को आप जरा अध्ययन करें। बड़े फार्म्स, बड़ी मशीनों के जरिए से खेती जिसे आप साइंटिफिक और माडर्न एग्रिकल्चर कहते हैं, उससे पैदावार नहीं बढ़ा पायेंगे। यूनियन आफ सोवियत रिपब्लिक में सारे सामूहिक फाम हैं। वहां का प्रोडक्शन लो रहा है और निजी खेती में उससे 6 गुना ज्यादा पैदावार होती है। फैमिली प्लानिंग की तरह से इसमें भी क्या आप जोर-जबरदस्ती करेंगे?

मैंने मुख्य मन्त्री जी से मांग की थी जहां 150 आदमी मर गए हों वहां जुडिशियल इन्क्वायरी करा दी जाय लेकिन मुझे मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं हो रहा है हालांकि यह सरकार का मामूली सा कर्तव्य था। वही पुराना रवैया चल रहा है। सरकार की वही जिद व जबरदस्ती चल रही है। इसी तरह से लोग शूट किए जायेंगे लेकिन इन्क्यावरी नहीं होगी और इस पर कहते हैं कि हमारी प्रजातान्त्रिक सरकार है। डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को निफाज करने के लिए फन्डामेन्टल राइट्स को खत्म किया जा रहा है हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। फन्डामेन्टल ड्यूटीज को जरा आप देखें। आपने कहा कि कुरान और गीता थोड़े ही होता है संविधान। फिर आप मौलिक अधिकार का विचार कहां से लाए हैं ? इनकी कोई जरूरत नहीं थी। आप फन्डामेन्टल ड्यूटीज लाए और कानून बना कर उन पर अमल कराना चाहते हैं। क्या आप इसको मौरली क्रिएट करके इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय नेता विरोधी दल का क्या मतलब है कि जो कांस्टीट्यूशन बन गया है उसमें एमेन्डमेन्ट नहीं हो सकते ?

चौधरी चरण सिंह—

मैं तो मानता हूं कि संशोधन हो सकता है और होना चाहिए लेकिन इन्डियन ब्रान्ड नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं ? बहिन जी और आप नाराज न हों तो केवल उनकी लीडरशिप के लिए नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

इंडियन शब्द से क्या मतलब है ? (व्यवधान)।

चौधरी चरण सिंह—

परमात्मा करें आपकी उमर बढ़े लेकिन मेरी भी उम्र कम होने वाली नहीं है। समय आएगा कि आप कांग्रेस वाले ही पछतायेंगे कि हम लोग क्या कर बठे ? एलेक्शन का मामला आया तो वैसा कर दिया और फिर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा आप करते जा रहे हैं यह समझ कर कि इसके बाद इतिश्री हो जायेगी। लेकिन नहीं। अब इस हद तक बात पहुंच गयी है कि आप चाहे बाहर कहें या न कहें लेकिन अन्दर से आप भी मानेंगे। नारायण दत्त जी चाहे आप भी उसकी तरदीद करें। लेकिन आप नहीं करेंगे। वर्तमान हालत से कोई खुश नहीं है क्योंकि देश का सवाल है। अब कर्तव्य जो संशोधन में गिनाए गए हैं, वह सुनिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने पढ़ा या नही मैं पढ़े देता हूं ...

श्री रामनारायण पाठक (जिला कानपुर)—

मान्यवर, जेनिथ ने क्या कहा, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ? कहा गया कि हिन्दुस्तान का कांस्टीट्यूशन जो है वह "बाई दि लाइयर्स, फार दि लाइयर्स बना हुआ है। तो चौधरी साहब को यह ख्याल नहीं रहा कि यह बाई दि लोइयर्स, फार दि लाइयर्स हैं। कांस्टीट्यूशन के लिए अब्राहिम लिकन ने क्या कहा था "बाई दि पीपुल, फार दि पीपुल'। अगर हिन्दुस्तान में बाई दि पीपुल, फार दि पीपुल बने तो उसमें क्या आपत्ति है' एडल्ट फ्रेन्चाइज से जो चुने गए हों वह बनाय।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

कोई खास चीज आपके पास हो तो मैं आपके पास आ जाऊंगा और आपसे सीख लूंगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, फन्डामेन्टल ड्यूटीज के बारे में कह रहा था। तो यह उसकी नकल है। जो कम्युनिस्ट कन्ट्रीज में है और किसी डिमोक्रेटिक कन्ट्री के कांस्टीट्यूशन

[चौधरी चरण सिंह]

में आप नहीं पायेंगे। ये जो मौलिक कर्तव्य आप कहते हैं यह किसी डिमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन में नहीं पायेंगे। तो यह क्या ड्यूटीज हैं —

"to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions the National Flag and National Anthem."

तो जहां नेशनल फ्लैग और एन्थेम की बात है उसके लिये कानून पहले से ही बना हुआ है। जो डिस-रिस्पेक्ट शो करेगा उसको सजा होगी। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति इनका सम्मान करता है या नहीं यह उसकी मानसिक दशा पर निर्भर करेगा अगर वह डिसरिस्पेक्ट करता है तो कानून से उसको कैसे सजा होगी। फिर स्वतंत्रता के लिये किए हुए संघर्ष के आईडियल्स एण्ड इंस्टीट्यूशन यानी आदर्श व संस्थाओं की बात है। तो वह कौन से इंस्टीट्यूशन्स हैं? उनका कहीं वर्णन नहीं है। कहीं परिभाषा नहीं, की गयी है कि 'आईडियल्स' का क्या मतलब है?

"To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom."

अब यह नेशनल स्ट्रगेल तो सन् 1857 से शुरू हुआ और सन् 1947 तक यानी 90 वर्ष जारी रहा। तो जो सन् 1857 में हमारे पुरखों के आदर्श थे महारानी लक्ष्मी बाई, मौलाना अहमद शाह और कुंवर जगदीश सिंह जी के तो क्या वही आदर्श हमारे होंगे। उन लोगों का हिंसा में विश्वास था। फिर महात्मा जी का मूवमेंट आ गया। बंगाल और महाराष्ट्र के क्रान्तिकारियों ने जो आयडियल्स चेरिश किए, उन पर महात्मा जी विश्वास नहीं करते थे। भगत सिंह और चन्द्र शेखर आजाद ने भी आयडियल्स चेरिश किए और सुभाष बोस ने भी। गांधी जी अहिंसा को धर्म मानते थे,। इसे हिन्दी में मैं किए देता हूं—"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे' तो इस तरह से तो वायलेन्स भी आज के लोगों के लिए एक आदर्श हो जाता है और नान-वायलेन्स भी। अब आप यह बता दीजिए कि हम किसका पालन करें, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग वायलेन्स में विश्वास करते हैं वह वायलेन्स को ही आदर्श मान कर चलें और उसका पालन करें यह कह कर कि यह भी तो अब संविधान के अनुसार हमारा आदर्श है। ऐसा करके वह कहेंगे कि हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं इसमें परम नेता विरोधी दल से जानकारी करना चाहूंगा कि आजादी की लड़ाई में ये कोई आइडियल्स नहीं थे —

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ईश्वर सिंह जी बैठने का कष्ट करें। जब वह बैठते नहीं हैं, तो आप कहने की जबरदस्ती न करें।

श्री ईश्वरी सिंह—

उनका स्वतन्त्रता के आन्दोलन के लिए लड़ने का तरीका आइडियल नहीं रहा, लेकिन उसमें बलिदान और सत्यता की भावना निहित थी और सारे भारत में उससे लोगों ने प्रेरणा ली, इसलिए उसे वह मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपका विचार है, उनका नहीं, आप बैठिए।

चौधरी चरण सिंह—

मैंने तो यह कहा कि वायलेन्स के जरिए स्वराज्य लेना, जिसमें झूठ भी बोलना पड़ता है और षड़यन्त्र भी करना पड़ता है, इसलिए हम चन्द्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी, और लक्ष्मीबाई की इज्जत करते हैं, दोनों-तीनों हमारे आदर्श व्यक्ति ठहरते हैं। जनता को आपने इनके बारे में स्पष्ट नहीं किया, यह कितने अफसोस की बात है? क्या यह कांस्टीट्यूशन में रखने की चीजें है। आप फिर देखें —

to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;"

अर्थात् "भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।" इस ड्यूटी के पहले का जो हिस्सा है, उसका स्त्रियों के सम्मान से क्या वास्ता है। मेरे पास गोखले की स्पीच मौजूद है, उन्होंने कहा है इस विषय पर अर्थात् महिलाओं के सम्मान पर यह कविता है यह कविता है प्रधान मन्त्री की लिखी हुई, उसमें कांग्रेस के लोगों ने संशोधन पेश किए थे। इस पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी राय में उससे इस कविता का कोई वास्ता नहीं। कांस्टीट्यूशन जैसी चीज में ड्राफ्टिंग का ध्यान न रखें तो मजाक है। म्युनिसिपल बोर्ड का बाई ला हो गया। स्त्रियों के सम्मान की बात है। मैं मानता हूं। बहुत सी बिरादरियों से पुरुषों के और बिरादरियों के साथ सम्मान नहीं हो रहा है। अपने प्रदेश के पूरब के जिलों में हमारी बिरादरी को छोटी जात कहते हैं लोग। कहिए, पुरुष भी आ गए या नहीं इसका इलाज होगा या नहीं? स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, तो हर एक का होना चाहिए। लम्बी धोती वाले ब्राह्मण छोटी धोती वाले ब्राह्मण को नहीं चाहते। इसका जिक्र होना चाहिए, इसमें।

कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यह तो एक केवल एक सदिच्छा हो गई फिर लिखते हैं कि "प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें और उनका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे। जो लोग गोश्त खाते हैं वह प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति दयाभाव कैसे रख पाएंगे? वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऐक्ट पहले ही देश भर में मौजूद है। इसकी क्या जरूरत थी? वाटर का पोल्यूशन न हो इसके लिए भी कानून बना हुआ है। लेकिन फैक्टरी वाले मालदार लोग हैं उनकी फैक्टरी के एफ्लुएन्ट गंगा यमुना में गिरते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं थी। डाक्टर करन सिंह ने कहा कि हमारा डिपार्टमेंन्ट कहीं पीछे न रह जाय तो यह लिखवा दिया। "सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।" (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वक्त बहुत ले लिया, मैं जानता हूं लेकिन उधर वाले माननीय सदस्यों से हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करूंगा कि आप ध्यान से जरा मेरी बात सुनें। मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और बोलेगा। सुनना तो है ही आपको।

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

चौधरी साहब लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकें तो अच्छा है। (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

(विरोधी दल के सदस्यों से) आप जवाब दे लीजिए। वह यही चाहते हैं। मैं हजार बार आप से कह चुका, आप चुप रहिए। अध्यक्ष महोदय, एक ड्यूटी यह है— टू सेफगार्ड पब्लिक प्रापर्टी ऐन्ड टू आवज्योर वायलेन्स। सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना और हिन्सा से बचाना। हिंसा से बचाना तो समझ में आया। इसका एनफोर्समेंट हो सकता है।

[चौधरी चरण सिंह]

पब्लिक के लोगों की प्रापर्टी को सेफगार्ड करने की कौन ड्यूटी है। यह कैसे करेंगे सेफ-गार्ड ? किसी ने कुछ सोचा ही नहीं जो लफ्ज अच्छा लगा वहां जोड़ दिया गया। आखिरी ड्यूटी आपने बतायी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां को छू लें।

मैं बताना चाहता हूं कि यह गीता और कुरान का है या नहीं। यह आपके 12 कमान्डमेन्ट हैं, शायद 10 है, हां 10 ही हैं। अब मैं इसको छोड़े देता हूं।

अब मैं न्याय-पालिका की बात कहता हूं। उस पर ठन्डे दिल से विचार करने की जरूरत है। मैं पहले भी इशारा कर चुका हूं कि हर डेमोक्रेसी में जुडीशियरी का बहुत बड़ा स्थान है। जहां पर फेडरल और लिखित संविधान है वहां पर जुडीशियरी का सबसे बड़ा स्थान है। आपने जुडीशियरी का मजाक उड़ाया है। आपकी पार्टी पावर में आ गयी और कान्स्टीट्यूशन का संशोधन कर दिया और कह दिया कि जुडीशियरी को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। परन्तु वह उनको होना चाहिए। आप कहते हैं कि कानून बनाने का और उसको इन्टरप्रेट करने का अधिकार लेजिस्लेचर्स का है। जो कानून बनाएगा, उसका इन्टर-प्रेटेशन वह अपने हित में ही करेगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपने जुडीशियरी को क्या बना दिया है ? उपाध्यक्ष महोदय, एक तो आपने यह कर दिया कि 9वें शेड्यूल में रख दिया, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल के सिलसिले में जो कानून बनाया जाएगा वह न्याय-पालिका नहीं देख सकती।

कितनी चीजें रखी हैं उनकी सीमा नहीं है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल्स बनाए हैं। इलेक्शन का मामला है, गल्ले की कीमत का मामला और उसके प्रोक्योरमेन्ट की बात, जो चीजें किसान से ली जाएंगी, आदि अनेकानेक बातें हैं जिनके बारे में किसान या जो प्रभावित व्यक्ति है वह अदालत में नहीं जा सकेगा और अपनी बात नहीं कह सकेगा। आपने ट्रिबुनल बना दिया इलेक्शन के लिए। अब अदालत में इलेक्शन पेटीशन के लिए कोई नहीं जा सकता है। इसी तरह के अनेक मामले हैं। ट्रिबुनल बनाकर आपने जुडीशियरी के अधिकारों को कम कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जुडीशियरी की पावर्स कम कर दी। अगर पार्लियामेन्ट का बनाया हुआ कानून है तो वह हाई कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति केरल का रहने वाला है और वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कानून को अच्छा नहीं समझता है तो वह हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। आप विचार करें कि वह सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा ? इस तरह से हम अपने नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। और देखिए। पार्लियामेन्ट के बने हुए कानून को कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो सात जजों की बेन्च होगी और उनमें से अगर 5 जजेज यह कहें कि यह संविधान के विरुद्ध है तभी इन्वेलिड होगा और अगर 4 कहेंगे तो इन्वेलिड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है ? उस वादी, पैटिश्नर, उस नागरिक के हक में अगर 4 आदमी कहते हैं तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी लेकिन अगर गवर्नमेन्ट के हक में 3 आदमी ही कहते हैं तो उनकी बात मानी जाएगी अगर 5 आदमियों ने जजमेंट में लिखा कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और 3 ने यह लिखा कि यह सही है, आर्डर क्या होगा कि जजमेंट सही है। 3 जज अगर सरकार के हक में रूलिंग देते हैं और 4 प्राइवेट सिटीजन के हक में रूलिंग देते हैं परन्तु 3 जजों की जो राय होगी उसको तरजीह दी जायगी, उन 4 के मुकाबले में। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कहीं दुनिया में ऐसी मिसाल है। नतीजा क्या होगा ? अदालत का आर्डर यह हो जाएगा कि पैटिशन खारिज और आप उसको भी वोट कर रहे हैं, खड़े होकर सपोर्ट कर रहे हैं।

जहां तक प्रदेश के कानूनों का सम्बन्ध है उसके लिए 5 जजज में ट्थर्ड की बात मानी जायगी यानी 4 आदमी अगर कानून को इन्वेलिड करार देंगें तो इन्वेलिड होगा और अगर 3 इन्वेलिड करार देते हैं तो उसे इन्वेलिड नहीं माना जाएगा। मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, आप स्वयं विचार करें ?

यही नहीं। जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं, उनके लिए भी भारतीय सरकार अपने कन्ट्रोल में लेने की सोच रही है। और जो ये ट्राइब्युनल्स कांस्टीट्यूट किए जाएंगे, ये भी सरकार ही करेगी, हाई कोर्ट से मश्विरा हो या न हो, उनकी अपीलें कहां जायंगी, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में नहीं जाएंगी। आपने कितने ही ट्राइब्युनल बनाए हैं, लेबर के इलेक्शन के गन्ने के आदि, उन पर हाई कोर्ट का कोई सुपरविजन नही होगा।

अभी तक यह भी नियम था कि हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए 10 वर्ष की प्रैक्टिस होना लाजमी था, अब जिसको आप चाहेंगे नियुक्त कर देंग। प्रैक्टिस की अवधि जो कि किसी वकील की योग्यता को मापने का उचित पैमाना है, उसको भी आपने हटा लिया है। अब आप जिस को चाहेंगे नियुक्त करेंगे चाहे वह काबिल हो या न हो।

हमारे संविधान में इन्डस्ट्रीज स्टेट के अधिकार हैं, लेकिन एक रेग्युलेशन आफ डेवलेपमेंट इन्डस्ट्रीज ऐक्ट पास करके सारे बड़े उद्योग सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में ले लिए हैं। जैसा कांस्टीट्यूशन में बनाया गया था, उसमें इन्डस्ट्रीज सारी स्टेट लिस्ट में हैं, लेकिन इस ऐक्ट के जरिये सारी चीजें केन्द्र की सूची म शामिल कर लीं। अब स्टेट को कोई अधिकार नहीं है। एग्रीकल्चर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन रुपया केन्द्र के पास। और इसलिए कृषि की नीतियां वही डिक्टेट करत हैं, अब उसको भी कान्करेंट लिस्ट में ले रहे हैं। अर्थात् अब कृषि के सम्बन्ध में केन्द्र भी कानून बना सकेगा। इसी प्रकार अब फारेस्ट को भी, कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट को, एनीमल हसबेन्डरी और ऐग्रीकलचर, बन्य जन्तुओं की रक्षा को भी ले रहे ह। उनके पास फाइनेन्श्यल पावर्स ह, स्टेट्स के पास नहीं हैं—"और दुनिया का कायदा यह है कि जो बांसुरी बजाने वाले को पैसा देता है वही बतलाएगा कि कौनसा गीत गाओ। अब तो जिला परिषद् की हैसियत का बना दिया है स्टेट गवर्नमेन्ट्स को।

एक सबसे बड़ी अहम बात है कि सेन्ट्रल गवर्नमे ट जब चाहे जिस प्रदेश में अपनी सशस्त्र पुलिस भेज सकेगीं। अब तक नहीं भेज सकती थी। अब स्टट गवर्नमेन्ट से पूछगी भी नहीं और अगर स्टेट गवर्नमेंट दूसरी पार्टी के हाथ में है तो किसी बहाने पर भी यानी एक बलवा हो गया तो वह दिल्ली से अपनी पुलिस भेज देंगे। चीफ मिनिस्टर कहता है कि नहीं, हमारे कन्ट्रोल में है सिचुएशन, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन केन्द्र फिर भी अपनी पुलिस भेज देगा। इस प्रकार केन्द्रीय-करण हो रहा है पावर्स का। जैसा कि मैं पहले कह रहा था।

अब लीजिए किसी प्रदेश में राष्ट्रपति के शासन की अवधि का सवाल। आज के केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद् की सिफारिश पर प्रेसीडेन्ट किसी भी स्टेट गवर्नमेन्ट को डिजाल्व करके 6 महीने के लिए प्रेसीडेन्ट रूल कर सकता है। हमारा कहना यह है कि जैसा कांस्टीट्यूशन में दिया है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई नाकाबिल साबित होती है, प्रधान मन्त्री किसी कारण नाराज हो गए और कैबिनेट तो आपके हक में है ही अब आपने प्रेसीडेन्ट को भी कहीं का नहीं छोड़ा। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट एक पार्टी की और स्टेट गवर्नमन्ट दूसरी पार्टी की है तो स्टेट गवर्नमेन्ट का चलना नामुमकिन है। मैंने 23 मार्च को कहा था कि डा0 अम्बेदकर के कथनानुसार कोई सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगी। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट किसी को निकम्मा समझती है तो नियम यह होगा कि वह उसको हटा कर फौरन इलेक्शन कराएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टे अब 6 महीने की मुद्दत को 1 साल का बनाया जा रहा है। अब आप खुद अपनी हैसियत पर विचार कर लीजिए। उस वक्त तो बुरा लग रहा था जब मैं कह रहा था।

[चौधरी चरण सिंह]

एक्जिक्यूटिव या कार्यपालिका की बात सुनिए। प्रेसीडेन्ट को यह अधिकार है "टु एड एन्ड ऐडवाइज टु कौंसिल आफ मिनिस्टर्स" ये लफ्ज पुराने चले आ रहे हैं। प्रेसीडेन्ट कैबिनेट की मदद कर सकते हैं, उसको मशविरा दे सकते हैं। कनवेंशन यह है कि यह इस अपने अधिकार को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चाहता है वही होता है। लेकिन कभी-कभी जब वह समझते हैं कि बड़ी गलती या अन्याय हो रहा है, अमुक पहलू पर विचार नहीं किया गया है तो उस मामले को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देंगे ताकि उस पर पुन: विचार हो सके। इस संशोधन के बाद यह अधिकार राष्ट्रपति या गवर्नर को नहीं रहेगा। पहले यह था कि पार्लियामेन्ट से कोई बिल पास हो तो राष्ट्रपति उसको वापस कर सकते थे, लेकिन अब यह कर दिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर और केबिनेट का निर्णय होगा, प्रेसीडेन्ट उसमें ननुनच नहीं कर सकता। इसका क्या फल होगा एक उदाहरण से मालूम हो जाएगा। मान लो मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया। बेशक जब तक नया प्रबन्ध न हो वह कैबिनेट तब तक काम कर सकती है। लेकिन अगर कैबिनेट यह निर्णय करे या मशविरा दे कि हम ही सेवा करते रहेंगे, नए इन्तजाम की जरूरत नहीं है तो क्या करेगा प्रेसीडेन्ट ? जिसकी माइनारिटी है, जो आउट-वोट हो गया सदन में उस कैबिनेट की ऐडवाइस से बाउन्ड रहेगा। कानून जैसा आपने अमेन्ड किया उससे बाउन्ड रहेगा। तो क्या गुड्डा बना दिया आपने प्रेसीडेन्ट और गवर्नर को। मान लो कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कांस्टीट्यूशन का उल्लघंन करता है, और ला आफिसर्स कहते हैं कि उल्लघन है, ला आफिसर्स ईमानदारी से राय देते रहे हैं लेकिन बदकिस्मती देश की है कि उनको ईमानदारी से राय जाहिर करने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई खिलाफ जजमेंट देता है तो उसका ट्रान्सफर हो जाता है केरल और नागालैन्ड को। अगर एक मैजिस्ट्रेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट देता था तो कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे नाराज नहीं होती थी।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे माननीय चौधरी जी को इतना समय आप दे रहे हैं जबकि वह डेमोक्रसी के विपरीत रहते हैं। इन्होंने विद्यार्थियों के खिलाफ एक आर्डिनेन्स निकाला था और इन्होंने यह भी कहा था कि बैलेट से नहीं बुलेट से यह सरकार बदलेंगे। तो उनको कांस्टीट्यूशन पर बोलने के लिए इतना ज्यादा समय क्यों दिया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

मुबारक हो। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं माननीय मुख्य मन्त्री से कहूंगा कि जरा नाम नोट कर लें माननीय सदस्य का, आगे काम आयेगा आपके। मैं यह कह रहा था कि प्रसीडेन्ट क्या करे अगर कानून के खिलाफ कोई बात होती है? यही जवाब है उसका जो माननीय मेम्बर ने उधर से दिया। अब कैबिनेट जो कहेगा वही होगा, प्रेसीडन्ट कुछ नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वही होगा। केवल दो बातें रह जाती हैं पहली यह कि प्रेसीडेन्ट को अधिकार है 2 साल तक कानून में अमेन्डमेंट करने का और अगर पार्लियामेन्ट सेशन में हो तो भी वह कर सकता है। तीसरी बात यह है कि वह पार्लियामेन्ट में रखा जायगा फार इन्फारमेशन, नाट फार एप्रूवल यानी सूचनार्थ न कि स्वीकृति के लिए। चौथी बात यह है कि जो 3 साल तक प्रेसीडेन्ट कांस्टीट्यूशन में सशोधन करेगा यह हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर 59 या 60 अमेन्डमेट्स हैं इस विधेयक में तो वह 61वां अमेन्डमेन्ट यह कह कर कर सकता है कि ताकि उन 60 अमेन्डमेन्ट्स पर ठीक से

अमल हो सके वह 61वां अमेन्डमेन्ट कर रहा है और वह परमानेन्ट होगा। 2 साल तक अमेन्डमेन्ट करने का अधिकार है और पार्लियामेन्ट में रखा नहीं जाएगा और परमानेन्ट एफेक्ट होगा। मिसाल क्या देते है ? इंडिया इन्डिपेन्डेन्स ऐक्ट में जिस तरह का डिफिकल्टीज रेमूवल आर्डर था वैसा ही हम कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक प्राविधान यह था कि जैसे ही पार्लियामेन्ट चुन जाएगी प्रेसीडेन्ट का अख्तियार खत्म। दूसरी बात यह कि उस अमेन्डमेन्ट का असर उसी मुद्दत के लिए होगा जो उस आर्डर में लिखा हो, 6 महीने या 9 महीने, उससे ज्यादा नहीं रह सकता था। यहां यह संशोधन स्थायी रहेंगे। राष्ट्रपति किससे गाइड होगा ? वह गाइड होगा डिसिशन आफ दि कैबिनेट। दिखाने के लिए दो वर्ष की उसको पावर्स दी गयी है। मगर वह करेगा वही जो कैबिनेट चाहेगी। यह भी अमेन्डमेन्ट आपने कर दिया है कि वह वही करेगा जो कैबिनेट करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह 2 वर्ष तक अमेन्डमेन्ट करने का अधिकार सेन्ट्रल कैबिनेट को रहेगा।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेम्बर्स की डिस्क्वालीफिकेशन के सिलसिले में अब तक प्रेसीडेन्ट इलेक्शन कमीशन की राय से गाइड होता था। इलेक्शन कमीशन उसकी इन्क्वायरी करता था और उसमें यह था कि प्रेसीडेन्ट कमीशन की राय के अनुकूल करेगा। अब यह कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन को कन्सल्ट करने के बाद प्रेसीडेन्ट जो चाहे कर सकता है। इस तरह अब डिस्क्वालीफिकेशन हटाने का अधिकार प्रेसीडेन्ट को हो गया है और वह इस अधिकार को इस्तेमाल करेगा शासक दल के हित में।

दो चीजें और की हैं। आडिटर एन्ड कम्पट्रोलर जनरल के जो हिसाब-किताब होंगे, उसके जो भी नियम होंगे वे किसी अदालत में पेश नहीं किए जा सकेंगे। वे सीक्रेट रहेंगे। उसके मशविरे से ही यह नियम बनते थे, अब उसके मशविरे की जरूरत नहीं है। क्यों ? इसी तरह से कैबिनेट के जो रूल्स आफ दि बिजनेस होंगे वे भी अदालत में पेश नहीं किए जा सकेंगे, वे सीक्रेट रहेंगे। क्यों ? इसलिए कि अभी माननीय राजनारायण सिंह जी के एक केस में हाई कोर्ट ने आपके रूल्स आफ बिजनेस को तलब कर लिया था। इसलिए आपने यह कर दिया। यह कितनी विन्डिक्टिव बात है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

यह इस लिए बात उठी थी कि आप पार्लियामेन्ट के अन्दर सत्याग्रह करना चाहते थे .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

चौधरी चरण सिंह—

जब आप बोलें तब आप अपनी राय दें। मेरी राय यह है कि चूंकि हाई कोर्ट ने माननीय राज नारायण सिंह जी के एक केस में केबिनेट के रूल्स आफ विजनेस को तलब कर लिया था। इसलिए यह किया गया। तो जब एकाउन्ट्स के रूल्स तक आप सीक्रेट कर देंगे यानी जनता को कुछ पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या करते हैं। उनके रुपए का किस प्रकार उपयोग या दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक दो उदाहरण इसके दूंगा। एक-एक अरब की कस्टम ड्यूटी एक दस्तखत से माफ कर दी गयी है। एक फर्म की एक अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गयी। पी0 ए0 सी0 में भी वह मामला नहीं आने दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने सदन का बहुत समय ले लिया। लेकिन यह विषय ऐसा ही था। मैं तो आपके जरिए अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि मुझसे कोई गलती हुई हो, माफ करें, क्योंकि मैंने कोशिश यह की है कि कोई सख्त लफ्ज न कहूं, लेकिन अगर कहीं हो गया हो, तो उसकी मैं माफी चाहता हूं। आपके जरिए से यह अर्ज करूंगा कि इसको मामूली और रुटीन न समझें। आगे के लिए इतिहास हमको

[चौधरी चरण सिंह]

और आपको माफ नहीं करेगा। मैं फिर कहूंगा जैसा मैंने पहले कहा था कि हम सभी स्वार्थी हैं। पब्लिक के हित की बात करनी चाहिए। उधर वोट देना चाहिए क्योंकि नन आफ देम-इज इम्मारटल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने लम्बे समय तक बोलने का अवसर दिया और इन दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

*श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत 44वें संशोधन विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

चौधरी चरण सिंह—

मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। मैं रात सो भी नहीं पाया। मैं समझता था कि 11 बजे तक खाली हो जाऊंगा। मुझको जुखाम है और फीवरिश भी है। अगर माननीय दोस्त इजाजत देंगे, तो मैं जाना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय चौधरी साहब अवश्य जायं, मुझे बड़ा अफसोस है कि वह अस्वस्थ हैं। अगर कल भी अस्वस्थ रहें तो भी कोई बात नहीं।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक के विषय में ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे माननीय चौधरी साहब को बहुत सी ऐसी शंकाएं लगी हैं कि संशोधन विधेयक पारित होने से न जाने संसद किन अधिकारों का प्रयोग करेगी कि हो सकता है कि संसद यह पारित कर दे कि आगे आनेवाले वर्षों में यह संसद ही बनी रहेगी या प्रधान मंत्री ये ही बनी रहेंगी, दूसरा प्रधान मंत्री नहीं होगा। ऐसी निर्मूल आशंकाओं पर जब तर्क दिए जाते हैं तो वह स्वयं साफ हो जाते हैं। संसद प्रतिविम्ब है भारत की जनता का और यदि जनता जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने अपने भाषण में कहा जनता सुप्रीम है। जनता में तमाम सत्ता निहित है और उसी सत्ता का प्रतीक हमारी पार्लियामेन्ट है, हमारी संसद है। तो क्या हम यह स्वीकार करके चलेंगे? क्या जनता उसको स्वीकार कर लेगी? क्या जनता का कन्ट्रोल संसद के ऊपर समाप्त हो जायगा? संसद के ऊपर सबसे बड़ा कन्ट्रोल चेक यदि कोई है तो जनता है। अगर न्यायपालिका भी ऐसा कुछ कर दे तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी मान्यवर, 43 संशोधन वर्तमान संशोधन से पहले पारित हो चुके हैं। मान्यवर, कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी आती रही हैं, जिनके कारण संशोधन पारित करने पड़े। यह न्यायपालिका जिसके बारे में आप इतना खतरा महसूस कर रहे हैं कि उसके ऊपर खतरा पैदा कर रहे हैं, दोनों कानूनों का इम्प्लीमटेशन करने में, तो इससे क्या रुकावट पैदा हो सकती है? क्या जमींदारी विनाश ऐक्ट में कई-कई बार संशोधन नहीं लाने पड़े? क्या न्यायपालिका ने उस कानून को ठीक ढंग से समझा था? यह विधेयक इसी उद्देश्य से लाया गया है कि जो सैकड़ों वर्षों से पीड़ित थे, जो जमींदारों और पूंजीपतियों के शिकार बन रहे थे, उनका शिकार बनने से रोका जा सके। परन्तु इतना पवित्र उद्देश्य होने के बावजूद भी न्यायपालिका ने उसमें रुकावटें डाली। बैंक नेशनलाइजेशन के मामले में, प्रीवी पर्स वाले मामले में क्या हुआ? जो बराबर जनता का शोषण कर रहे थे, उनसे बचाने के लिए ही यह काम किया गया था। समाज के वे अंग जिनके पूर्वज सैकड़ों वर्षों से जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको समाप्त करने के लिए ही यह प्रस्ताव किया गया था लेकिन ब बमुकाबले जनता को सहयोग देने के न्याय-पालिका ने उन कामों में रुकावटें डालीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने बतलाया कि अटार्नी जेनरल से जब पूछा गया कि क्या आप बतला सकते हैं कि समाज सुधार सम्बन्धी कार्य करने में न्यायपालिका ने कभी रुकावट डाली हो, तो आप स्वयं देख लें कि बैंक नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ, प्रीवी पर्स खत्म करने पर क्या हुआ? उन मौकों पर न्यायपालिका ने जो कदम उठाए क्या उससे ऐसा नहीं जाहिर होता है कि जितने भी जनता के प्रगति सम्बन्धी कार्य हैं वे असफल हो जायं? न्यायपालिका ने समय के तकाजे को नहीं समझा। उन्होंने यह नहीं समझा कि परिस्थिति का तकाजा क्या है। इसी वजह से परिस्थितिवश ही पुराने संशोधन किए गए। संविधान में जो संशोधन आया है वह भी इस पर पुनर्विचार करके ही आया है कि कौन-कौन से अनुच्छेद की कौन-कौन सी धारायें हैं जो कार्यपालिका के कार्यों में रुकावट डालने वाली है। राज्य सरकार के एक अंग न्यायपालिका को जो असीमित अधिकार दिए गए हैं उन पर रोक लगाना आवश्यक है। क्योंकि कार्यपालिका के क्षेत्र में भी और संसदीय क्षेत्र में भी इसनें कई बार रुकावटें डाली हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र के तीन स्तम्भ हैं। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका और तीनों अपने-अपने कार्यक्षेत्र में काम करती हैं। न्यायपालिका को अधिकार है कि वह कानून का तजुर्मा करे, कानून का इन्टरप्रिटेशन करे। उसका काम कानून बनाने का नहीं है। लेकिन उसने कानून बनाने का काम शुरू कर दिया था। उसने अपने अधिकार को ठीक से नहीं समझा। कानून क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह चाहिए वाला काम न्यायपालिका का नहीं है। न्याय-पालिका अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर काम करने लगी जिससे तमाम गतिरोध पैदा होने लगे। उस गतिरोध की परिस्थिति को दूर करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा कि इस तरह की बातें न्यायपालिका की तरफ से न हों और ये संशोधन करने पड़े। कांस्टीट्यूशन के सिद्धान्त के ऊपर चौधरी साहब ने चर्चा की और उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रकाश डाला। बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा तो उन्होंने नहीं बतलायी लेकिन संविधान के प्रारूप के सम्बन्ध में उन्होंने बतलाया।

पहली बात तो यह है कि संविधान के जरिए किसी के कार्यक्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इससे संविधान के अन्तर्गत जो वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा आपने आज सदन में दी उस बेसिक स्ट्रक्चर पर, किसी आदमी के ऊपर, वर्तमान संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी बातें जो हमारे कामों में दिन ब दिन रुकावटें डालती थीं उनको दूर करने के लिऐ इसको लाया गया है। इन चन्द शब्दों के साथ में पुन: इसका स्वागत और समर्थन करता हूं।

*श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यिवर, जो संकल्प माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आज प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यिवर, यह बात सही है कि इस वर्तमान संविधान संशोधन के द्वारा बहुत दिनों का चलता हुआ एक संघर्ष जो था उसका फैसला कर दिया गया है। यह बात काफी अर्से से चली आ रही थी कि संसद सर्वोच्च ह कि नहीं? यह एक विवाद का विषय था और इसके अतिरिक्त प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी ताकतों के बीच संघर्ष चला आ रहा था, मैं समझता हूं कि इस संशोधन के द्वारा प्रगतिशील ताकतों को एक बार फिर विजय हासिल हुयी है। मान्यिवर, यह बात सही है कि इस संशोधन में कुछ कमियां रह गय हैं जिनके दूर होने की आवश्यकता है। यह भी सही है कि इस संविधान संशोधन में कुछ चीजें ऐसी आयी हैं, जोड़ी गयीं हैं, जो खतरनाक हो सकती है? लेकिन पूरा संशोधन इस देश को प्रगति की ओर ले जाएगा। इसके उद्देश्य में कहा गया है कि तमाम आर्थिक और सामाजिक विकास के रास्तों में रुकावटों को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र बक्श सिंह]

मान्यवर, यह बात छिपी नहीं है, जैसा कि मुख्य मन्त्री कह रहे थे कि जब जब इस देश के अन्दर आम जनता के हक में वर्किंग सेक्शन के हक में, काम करने वालों के हक में, कोई कानून बनाया गया तो पूंजीपतियों ने उसका विरोध किया। तब जो हमारा ढांचा था, मेरी जुडीशियरी ने उस रास्ते में रुकावटे डालीं। जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने जिक्र किया गोलक नाथ केस के बारे में, उसमें क्या था जो भी एग्रेरियन रिफार्म्स, कृषि सम्बन्धी सुधार, किए गए थ उनको इस केस के जरिए खत्म किया गया है और उसी तरीके से 1954 में बेला बनर्जी के कम्पेन्शेशन केस में फैसला हुआ, सारे के सारे जो फैसले हैं वह इस तरीके के थे कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति, सामन्त लोग थे उनको उससे लाभ पहुंचा हैं। देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जो कानून बनाए गए उनके रास्ते में रुकावटें डालीं गयीं हैं। तो आवश्यक था कि इस दिशा में कोई कदम उठाया जाय। मान्यवर, संविधान में संशोधन करने का संसद को अधिकार है, इसमें कई तरीकों से रुकावटें डालीं गयीं थीं। कुछ लोगों ने रेफरेंडम की मांग की। मेरी समझ म नहीं आता है कि इस रेफरेंडम का क्या मतलब है। 285-286 आर्टिकिल्स, उसे पूरी जनता के बीच में दिया जाय और रेफरेंडम कराया जाय ऐसा मैं समझता हूं कि दुनियां के किसी देश में नहीं हुआ। लिहाजा रेफरेंडम की मांग करने वाले इस संशोधन को नहीं चाहते हैं।

मान्यवर, खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में मुख्य मन्त्री जी इस संकल्प को ला रहें हैं। हम लोगों ने देखा कि कुछ कांग्रेस के अन्दर भी प्रतिक्रियावादी ताकतों ने संविधान निर्वाचन सभा की मांग की। उनका इरादा, इस मांग को करने वालों का इरादा, संविधान के अन्दर भीतरी घात करने का था। लेकिन वह सफल नहीं हुए। मैं तमाम कांग्रेसी जनों का उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कांग्रेस जनों को बधाई देता हूं कि इस भीतरी घात के इरादे को चोट पहुंचायी गयी और संसद में इस संशोधन को पेश किया गया और पास किया गया। मान्यवर, इस संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना म समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता द्वारा जनतन्त्र की स्थापना की बात कही गयी है? तो यह बात सही है कि यह मांग समाजवाद तमाम साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता और इस देश की एकता तथा अखंडता के लिए जो ताकत लड़ रही थी उनको इससे बल मिलेगा। इससे अपने भारत देश में अब समाजवाद को मान लिया गया है और कम से कम भारत की जनता ने इसको स्वीकार कर लिया है। प्रस्तावना में यह भी सही है जोड़ा गया है कि जो कम्युनल, साम्प्रदायिकता को भड़काने वाले और देश की अखंडता को नष्ट करने के चक्कर में रहते हैं इससे धक्का पहुंचेगा और समाजवाद की ताकतों को बल मिलेगा। लेकिन हम सभी जानते ह कि दुनिया में समाजवाद कैसे आया है और कैसे आता ह?

इस तरह जहां समाजवादी प्रस्तावना में यह जोड़ा गया है वहीं मुझे दुख है कि सम्पत्ति के क्रय का भी मौलिक अधिकारों में अधिकार दिया गया ह। तो अब तक सम्पत्ति के क्रय को मौलिक अधिकारों में प्राविधान रहेगा तब तक समाजवाद इस देश में स्थापित होगा इसमें मुझे संदेह है। सम्पत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों में समाप्त हों इसकी कांग्रेस जनों में आवाज रही है कि यह कम होने चाहिए। प्रोसाइडिंग आफिसरों की ससद के चुनाव म मीटिंग हुई और 4 जुलाई को हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार है—उन लोगों ने कहा कि यह अधिकार राइट टु वर्क में नहीं जाना चाहिए बल्कि इसको कार्य से जोड़ देना चाहिए।

मान्यवर, जहां समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात है तो बहुत सी चीजें जो उसके लिए होनी चाहिए थी वह इसमें नहीं दी गयी है। मान्यवर, यह अधिकार कि हर व्यक्ति को काम करने और जीने का अधिकार होना चाहिये तो यह बात इस संशोधन में होना चाहिए थी। इस तरह समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य है। तो फिर जो तमाम दौलत

एक जगह पर एकत्रित हो रही है, कारखानों पर और पैदावार पर जो निजी स्वामित्व कायम है तो उसकी संविधान में व्यवस्था होनी चाहिये और वह एक जगह पर एकत्रित नहीं होनी चाहिए तमाम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की सारी प्रणाली को सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए था और यह व्यवस्था संविधान में करना चाहिए।

मान्यवर, इसी तरीके से यह बात सही है कि जो नीति निदेशक तत्वों को श्रेष्ठता दी गयी है, मौलिक अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट जुडीशियरी रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकेगी। इन नीति निदेशक तत्वों को लेकर जो कानून बनेगा उससे फन्डामेन्टल राइट को लेकर उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मान्यवर, जुडीशियरी में तमाम ऐसे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जिनकी ओर देश की लेजिस्लेचर ने और कार्य पालिका ने इक्जीक्यूटिव ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जहां आलोचना होनी चाहिए जुडीशियरी की तो वह सही है। लेकिन गारन्टी दी जानी चाहिए कि उनकी ओर लेजिस्लेचर्स में भी कानून बनाए जायं। ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है कि कोई इसके ऊपर भी इस तरह की गारन्टी संविधान म दी जाएगी कि इस देश के लिए जनता के लिए कानून बनाए जायेंगे। इस तरीके से कार्यपालिका ने जब समाजवादी जनतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान में जोड़ दिया है तो आवश्यक ह कि 1947 से लेकर अब तक जो तजुर्बा है कि कई प्रगतिशील कदम देश की जनता न उठाए ह लकिन वहीं स्टेट मशीनरी जो अंग्रेजों की दी हुई है उसने सही काम नहीं किया है। संविधान में इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। मान्यवर, इसी तरीके से जब समाजवादी जनतन्त्र की बात जोड़ी जा चुकी है उसमें यह बात साफ की जानी चाहिए थी कि चुनाव में पैसे का दखल नहीं होगा जैसा कि उन पर बराबर इलजाम लगाए जाते हैं चाहे इधर के हों या उधर के। जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनका पैसा लगा कर राजनीति को अपने इशारे पर चलाने का मामला खत्म होना चाहिए था। इसकी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए थी।

इसी प्रकार मान्यवर, यह बात संविधान में जोड़ी जानी चाहिए थी कि हर व्यक्ति को चाहे मर्द हो या औरत को बराबर काम करने के लिए समान वेतन दिया जायगा। यह बात समाजवाद के लक्ष्य को पूरा करने में बाधक सिद्ध हो सकती है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी।

इसी तरह मान्यवर, 18 वर्ष बालिग मताधिकार की बात है। इस बात की भी इस देश के अन्दर बराबर मांग रही है और तमाम लोग इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं लेकिन यह नहीं जोड़ा गया। यह भी जोड़ा जाना चाहिए था।

मान्यवर, इस बात की भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि मुसलिम माइनारिटी, सभी माइनारिटीज खासतौर से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनके लिए खासतौर से शिक्षा और रोजगार में उचित स्थान मिलेगा इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। मान्यवर, कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कि वाकई में कभी-कभी ऐसे लगते हैं कि उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जिनको नहीं होना चाहिए था लेकिन वे रख दिए गए हैं। मान्यवर, राष्ट्र विरोधी कार्य की परिभाषा के बारे में जैसा माननीय नेता विपक्ष ने कहा था यह सही है कि संविधान में जैसी इसकी डेफिनिशन रखीं गयी है उसका मिसयूज किया जा सकता है। जब यह सवाल लोक सभा में उठा था और जैसा प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने कहा था यदि वही डेफनिशन है तो बात दूसरी है लेकिन आज माननीय मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी हैं लेकिन कल उनके स्थान पर कोई ऐसा आदमी आ सकता है जो जनतन्त्र में, समाजवाद में आस्था न रखता हो वह इसका मिसयूज कर सकता है जो किसानों के अहित में हो सकता है, मजदूरों के हित में नहीं हो सकता है। तमाम किसानों के प्रदर्शनों में रोक लगा दी जा सकती है। वे अपनी वाजिब कीमतों के लिए प्रदर्शन करें तो यह देश की अखंडता को नष्ट करना हो सकता है। अगर मजदर अपने बोनस के सवाल के लिए,

[श्री रामचन्द्र बक्श सिंह]

उचित मागों के लिए स्ट्राइक, संघर्ष करें तो राष्ट्र विरोधी कार्यवाही करार दी जा सकती है। यह खतरनाक पहलू है जिसको नहीं होना चाहिए था।

इस प्रकार मान्यवर, दूसरी चीज है। राज्य और सेन्टर पूरे फेडरल स्ट्रक्चर हमारे संविधान में है। आपने अब यह व्यवस्था की है कि राज्य की सहायता के लिए सेन्टर किसी भी राज्य में पुलिस और फौज भेज सकता है और पुलिस और फौज उस राज्य के अधीन नहीं रहेगी। मान्यवर, यह गलत हो सकता है। क्योंकि जो संविधान का स्ट्रक्चर है मान लीजिए कि राज्य सही कर रहा हो किन्ही कारणवश किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध हो किसी के मन के विरुद्ध जैसे प्रधान मन्त्री जी के तो उन्होंने वहां पुलिस या फौज भेज दी। यह सारा मामला डिस्टर्बेन्स करता है यह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से लोक सभा, विधान सभा के टर्म 5 साल से 6 साल कर दिए गए। क्यों किए गए? यह 7 साल भी और 8 साल भी किए जा सकते हैं इनका कोई लाजिक नहीं है और कम से कम इस देश की जनता तो इसको नहीं समझ पाती है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी ओर कि मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं। मान्यवर, संविधान संशोधन जहां तक समाजवाद, धर्म निरपेक्षता आदि की व्यवस्था की गयी है, बहुत सुन्दर है। तो जो पहलू या जिस ओर मैंने आपके माध्यम से इशारा किया है उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

*श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)---

मान्यवर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस संकल्प के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें 3-4 चीजों को मुख्य मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि उनको सरकार जल्द से जल्द इम्पलीमेंन्ट करेगी। पहली चीज है पेज 3 पर 7 में। श्रीमन्, आजकल मैं देहातों में बहुत घूमता हूं और देख रहा हूं हमारे शहरों में भी यह जो बस्तियां हैं वहां बच्चों के पूरे डेवलपमेंट की इम्प्रूवमेंन्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। कुछ नहीं है। तो उसको इम्पलीमेंन्ट करने की कोशिश करें तो हमारा ख्याल है कि पूरा इम्प्रूवमेंन्ट हो जायगा इसीसे। दूसरी बात यह है कि उसी पेज के अमेन्डमेन्ट 39-ए में "फ्री लीगल एड' इसमें हम कई सालों से देखते और सुनते चले आ रहे हैं परन्तु कुछ नहीं हुआ है। यह सरकार के ऊपर है और सरकार को इसे इम्प्लीमेंन्ट करना चाहिए।

मेरे ख्याल में अगर यह दो चीजे सरकार करें तो बहुत बेहतर होगा। तीसरी बात और आखिर में जो पेज 19 पर है "एजूकेशन, इन्क्लूडिंग टेक्निकल एजूकेशन' अगर एजूकेशन में कोई सेम्बलेंस न आया तो हिन्दुस्तान में एजूकेशन बन्द हो जायगी। बहुत से लोग जो शिक्षा के बारे में चिल्लाते हैं तो यह खुशी की बात है कि यह सब पर आ गया है और मैं उम्मीद करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसको डेड लेटर न किया जाय। तो आर्गनाइजेशन और सेन्ट्रलाइजेशन पूरी तरह से हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

श्रीमन्, मैं मुख्य मन्त्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस माननीय सदन के समस्त सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस बात को समझ कर कि देश बड़ा है, लोकतन्त्र बड़ा है और कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, इस संविधान संशोधन विधेयक को पास न करें वर्ना आगे आने वाली पीढ़ी तक उनको माफ नहीं करेगी। माननीय हरिराम गोखले ने जब लोक सभा के समक्ष अपने संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया तो उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि इस अवसर का लाभ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाते हुए कुछ अन्य संशोधन भी किए जा रहे हैं जो संविधान के कार्यकलाप के प्रकाश में आवश्यक हो गए हैं। सदन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति के बहाने चुनावों को स्थगित कर दिया गया और लोकसभा की अवधि को बढ़ा दिया गया और जनता के समक्ष विरोधी दल के लोग अथवा अन्य लोग अपने विचार प्रकट किया करते थे उनके सम्बन्ध में सेन्सर लगा कर देश के अन्दर एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित करना इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य है।

इस विधान सभा के समक्ष जब केवल चौथा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो आज के मुख्य मन्त्री नारायणदत्त तिवारी के भाषण की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री तिवारी ने उस वक्त कहा था कि किसी भी देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ा करती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान जिसे बने हुए डेढ़ शताब्दी हो गए, अब तक उसमें केवल 21 संशोधन हुए हैं और इतने थोड़े समय में यहां इतने संशोधन हो गए और चार साल के भीतर ही अपने संविधान में हम तीसरा संशोधन करने जा रहे हैं जो कि हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

उस समय तिवारी जी गलत संगत में थे।

(इस समय 3 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं तो जानता नहीं क्योंकि मैं उस समय सदन में नहीं था लेकिन उनकी उस समय यह राय थी कि संविधान के अन्दर ज्यादा संशोधन नहीं होने चाहिए जब कि इस समय चौथा संशोधन ही पेश किया गया था। मैं इस समय जो संशोधन विधेयक संविधान में लाया गया है उसके बारें में अपनी राय व्यक्त करूंगा। इस प्रदेश में 25 जून, 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माननीय जज ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाया तो उसने अपने जजमेंट में इस बात का आदेश दिया कि वह 6 वर्ष तक किसी भी चुने हुए स्थान के लिए खड़ी नहीं हो सकेंगी। उसके बाद एक दम से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता के दिमाग में यह बात उठी कि इस तरह से न्यायपालिका कानून का उल्लघंन कर रही है और यह चर्चा होने लगी कि संविधान में इसके लिए संशोधन होना चाहिए।

सिंचाई मन्त्री (श्री लोकपति)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मालवीय ने अभी कहा कि न्यायपालिका और संविधान में परिवर्तन करने की अपेक्षा कांग्रेस दल को उस समय हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हुआ। मालवीय जी राजनीतिक व्यक्ति हैं और सन् 1971 के कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को उन्होंने देखा होगा। उसमें पहले ही कहा गया था, उस समय इलाहबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ था, उस समय स्नेप पोल के समय यह कहा गया था कि देश में संविधान में परिवर्तन और न्यायपालिका के कार्यकलाप में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। कानून देश के लोगों के लिए हैं या देश कानून के लिए है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं उसी ओर जा रहा हूं। इस संशोधन को संसद से पारित कराने के लिए इस बात की बड़ी दुहाई दी गई। सन् 1971 में जो कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र था उसमें जनता से आदेश प्राप्त कर लिया था। लेकिन 1971 से 12 जून 1975 तक उसकी याद नहीं आई। पांच साल तक कांग्रेस पार्टी और इस देश की प्रधान मन्त्री सोती रहीं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। जो जनता से चुनाव घोषणा-पत्र पर आदेश मांगा था उसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्टे आर्डर के लिए न्यायपालिका की आलोचना की है। मेरी राय में स्टे आर्डर का अधिकार यदि कोर्ट्स को नहीं होता तो श्रीमती इन्दिरा गांधी इस वक्त प्रधान मन्त्री न होती। उसी के आधार पर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने और बाद में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने स्टे आर्डर दिया था। मान्यवर, जो कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र 1971 में निकला उसकी धारा 15 में यह कहा है :—

"राष्ट्र की प्रगति को रोका नहीं जा सकता। लोकतन्त्र का तकाजा है कि संविधान जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति में मददगार हो। हमारा संविधान आर्थिक विकास के उद्देश्य से पहले भी संशोधित किया जा चुका है। हमारी कोशिश होगी कि सामाजिक न्याय के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए अभी और संवैधानिक उपचार और संशोधन किए जायें।"

आखिरी पेज पर कहा है कि "इन कामों को पूरा करने के लिए संविधान म आवश्यकतानुसार संशोधन किए जायें।"

तो मान्यवर, मैं यही निवेदन कर रहा था कि 5 साल. तक इस देश की प्रधान मन्त्री सोती रहीं और जिस बात पर जनता से वोट मांगा था उसे भूल गई लेकिन जब बाद में हाई कोर्ट से फैसला हो गया जिससे आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। यह मान्यवर, सिर्फ राजवंश को कायम रखने के लिए श्री संजय गांधी को गद्दी पर बिठाने के लिए आज यह कर रही हैं। इस संविधान संशोधन के बारे में बोलते हुए संविधान सभा में श्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 नवम्बर, 1948 को कहा था—"संविधान एक ऐसी चीज नहीं है जो बहुत दिन तक स्थायी रहता है, जिसका निर्माण एक ठोस आधार पर होता है और इसे समय-समय पर सशोधित भी किया जा सकता है, यह रिजिड नहीं होना चाहिए फिर भी लोगों को समझना चाहिए कि यह ऐसा संविधान है जो काफी अर्से तक चलेगा, यह कोई अस्थाई संविधान नहीं है, प्राविजनल संविधान नहीं है, यह ऐसा नहीं है कि जिसे आप आए दिन संशोधित करते रहे, अगले वर्ष संशोधित करते रहे और उसके बाद के वर्षों में संशोधित करते रहें और यही पद्धति अपनाते रहे।

वर्तमान प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पिता जो उस वक्त प्रधान मन्त्री थे उन्होंने अपने भाषण में कहा था। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में विधि मन्त्री श्री गोखले ने कहा था कि जिस किताब का जिक्र माननीय चौधरी चरण सिंह ने किया था। तो श्री एच0 आर0 गोखले ने पहली, जनवरी, 1973 को लिखा है—"हमारा ऐसा संविधान है एक व्यक्ति को भी अधिकार देता है कि यदि उसके मालिक अधिकारों पर प्रहार हो अथवा प्रहार की आशंका हो तो वह अकेला व्यक्ति पूरे राज्य के विरुद्ध या पूरे राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा हो सकता है और ऐसी सूरतों में अदालतों ने यदि उसकी शिकायत को जायज समझा है तो उसे न्याय दिया है" वही श्री गोखले 7 फरवरी, 1976 को बोलते हैं कि 'संसद की सर्वोच्च शक्ति में इन्टरफियरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए'। मान्यवर, यही श्री गोखले 1973 में कह चुके थे कि संसद का बहुमत हर समय राष्ट्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह संशोधन मौलिक अधिकारों का हनन करता है और चन्द राजनीतिक अधिकार जो हैं उनको समाप्त करता है यही नहीं यह न्याय-पालिका को भी समाप्त कर रहा है।

कतिपय समितियो तथा परिषदों के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदन के दोनों पक्षों की ओर मुझसे यह अपेक्षा व्यक्त की गयी है कि चुनाव की जो तिथि मैंने अभी आज प्रातः घोषित की थी, उसे बढ़ाकर

20 तारीख के बाद कर दिया जाए। 20 तारीख को नामों की वापसी, और यदि आवश्यक हुआ तो 22 को चुनाव। मैं समझता हूं कि इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी।

(किसी की ओर से विरोध न होने पर सर्वसम्मति से परिवर्तित चुनाव का कार्य-क्रम स्वीकृत हुआ।)

संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (क्रमागत)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मेरा निवेदन है कि इस संविधान संशोधन बिल में इस बात की चर्चा की गयी है कि जिन मूल्यों की रक्षा के लिए देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, उनको प्राप्त करने के लिए ही संशोधन किया जा रहा है। मैं उसके इतिहास में जाना चाहूंगा। मूल अधिकारों के बारे में, सन् 1924 में लोकमान्य तिलक ने प्रस्ताव पास किया था, जिसमें था कि हर नागरिक को बोलने के लिए, संगठन करने के लिये स्वतन्त्रता दी जाए। किन्तु आज इस संशोधन के द्वारा इस देश के नागरिक के बोलने की स्वतन्त्रता, हमारी जितनी आजादी है, राजनैतिक आजादी है, मीटिंग करने की स्वतन्त्रता है और राइट आफ मूवमेन्ट--इस सबको बिलकुल समाप्त कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही कह कर वगैर मुकदमा चलाये जेल में डाल दिया जाएगा और अदालत में उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। धीरे-धीरे सन् 1945 में इस देश में एक कमेटी बनी सर सप्रू की अध्यक्षता में और उस दलविहीन कमेटी ने मौलिक अधिकारों का पूर्ण समर्थन किया और उसके बाद में उन तीनों मौलिक अधिकारों को संविधान सभा ने स्वीकार किया, लेकिन आज उन बातों को समाप्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं इस देश में यह भी साजिश हो रही है जो कि श्री बरुवा के कथन से स्पष्ट ध्वनित होती है, जो कांग्रेस दल के अध्यक्ष हैं और लोक सभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि भारत ऐसे देश में किसी भी विरोधी पक्ष की आवश्यकता नहीं है। तो इस कूटनीति और षडयन्त्र के तहत यह संशोधन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें एक धारा 59 है। उसमें इस देश के राष्ट्रपति को भी इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय लिए बिना संविधान में संशोधन कर सकते हैं। मान्यवर, किसी भी लोकतन्त्रात्मक संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जैसी यहां की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

संविधान में संशोधन नहीं, संविधान में जो कठिनाई हो, उसके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में वह है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नहीं, श्रीमन्, आप देखें, इसम लिखा है --

"59(1) यदि इस संविधान द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है (जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति की तारीख के पहले जिस रूप में संविधान के उपबन्ध थे, उनसे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित संविधान के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयां भी हैं) तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत संविधान के किसी उपबन्ध का अनुकूलन या रूपभेद भी है, जो वह ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।" तो मान्यवर, इस धारा 59 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कठिनाई दूर करने के लिए वह इस संविधान म संशोधन कर सकें। कुछ लोगों का ऐसा मत पहले भी रहा है, लेकिन अब इस चीज को लिखकर संविधान में संशोधन करने का अधिकार एक व्यक्ति को दिया गया है।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

अब आप देखें, राष्ट्रपति वही व्यक्ति होगा, जिस पर प्रधान मन्त्री की रजामन्दी होगी, कृपा होगी, तो उस प्रधान मन्त्री के कहने पर उसको संविधान में मनमाना संशोधन करना होगा।

इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है उसके बारे में डाक्टर अम्बेदकर से एक बार पूछा गया था कि संविधान में वह कौन सी धारा है जिसको हटा देने से लोकतन्त्र की हत्या हो जाएगी। तो डाक्टर अम्बेदकर ने कहा, 9 दिसम्बर, 1949 को —

"If I were asked to name any particular article in the Constitution as the most important—an article without which this Constitution would be a nullity—I would not refer to any other article except this one. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it and I am glad that the House has realised its importance."

धारा 32 के सम्बन्ध में डाक्टर अम्बेदकर ने यह कहा। सारे संविधान की जो आत्मा है, जो हृदय है उसका मान्यवर, इस संशोधन के जरिए कत्ल किया जा रहा है। बहुत से मामलों में इस देश का नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता।

इसके अलावा जो समता का अधिकार है वह भी समाप्त किया जा रहा है क्योंकि इसम इस बात का प्राविधान है कि जो केन्द्र के कानून होंगे उनके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में ही चनौती दी जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में प्रान्तीय कानून के सम्बन्ध में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन वहां भी सरकार के पक्ष में फैसला अल्पमत से होगा। दो तिहाई से कम मत होगा तो उनकी बात मानी जायगी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी प्राविधान है कि कम से कम सात न्यायाधीश बैठेंगे, उनमें कम से कम दो तिहाई का बहुमत होगा तब तो बहुमत का फैसला मान्य होगा अन्यथा अल्पमत का निर्णय लागू होगा। इस प्रकार समता का सिद्धान्त भी समाप्त किया जा रहा है। इस संविधान संशोधन के द्वारा न्यायापालिका की हत्या की जा रही है। वह बहुत साफ और अच्छे मन से नहीं की जा रही है।

इसी सन्दर्भ में मान्यवर, डाक्टर लोहिया ने एक किताब नागरिक स्वाधीनता के सम्बन्ध में लिखी थी, उसकी भूमिका श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नागरिक के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस भूमिका में (परिशिष्ट 2 में) लिखा है—"हाल के महीनों में भारत में नागरिक स्वाधीनता की बहुत चर्चा रही है। यह कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि नागरिक स्वाधीनता का हमारे यहां जिस पैमाने पर दमन हो रहा है, वह अब एक भयानक संकट बन गया है। हम सब शिकार हो रहे हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के ही कारण इसका प्रतिकार करने को हम प्रेरित होना चाहिए था। लेकिन सारी चर्चा के बावजूद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसके बारे म स्पष्टता से सोचते हैं और इसके पूरे महत्व को समझते हैं।... म आशा करता हूं कि बहुत सारे लोग इसे पढ़ेंगे और इससे नागरिक स्वाधीनता के हनन और राज्य की बढ़ती हुई दखलन्दाजी का. जिसने लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा है, प्रतिकार करने में हमें मदद मिलेगी।" पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1936 में मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में यह लिखा था। जितने भी मौलिक अधिकार थे सारे के सारे इस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किये जा रहे हैं। मैं सदन के जितने भी सदस्य हैं उनसे अपील करता हूं कि कम से कम जो जवाहरलाल जी ने कहा है उसकी ओर ध्यान दें।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

संविधान संशोधन पर बोल रहे हैं या कहानी कह रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था .....

श्री अध्यक्ष—

कहां से किस्सा कहानी आपको मिल गयी ?

श्री त्रिवेनी—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह कोई उपन्यास कह रहे हैं या संविधान संशोधन पर बोल रहे हैं ? यह चीज मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

तो मान्यवर, जो संकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत है उसके लिए बहुत सोच समझ कर उधर के लोगों को अपनी राय देनी चाहिए। यह मसला आज का नहीं है। हो सकता है आज कांग्रेस पार्टी में हैं और कल न रहें। जब नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा तो उससे कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। आखिर में अपनी बात श्री जय प्रकाश नारायण के जो विचार संविधान संशोधन पर हैं उनको कह कर समाप्त करता हूं।

"वर्तमान लोक सभा के चुनाव के समय वे संशोधन जो आज सत्तारूढ़ दल पारित कराना चाहता है, जनता के सामने नहीं रखे गये थे। इसलिए इस लोक सभा को उन्हें पारित करने का कतई अधिकार नहीं है।

लेकिन इन्दिरा जी इसी लोक सभा से वे सारे संशोधन पास करा लेने के लिए उतारू हैं, क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं है कि आगे जो लोक सभा चुनी जाएगी उसमें उनके दल को दो-तिहाई बहुमत मिल सकेगा जो किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए जरूरी है। आज देश में इमर्जेन्सी लागू है, समाचार-पत्रों पर कठोर सेंसरशिप लगी हुई है, विरोधी पक्षों के नेता जेलों में बन्द हैं, जो बाहर हैं, उन्हें सभा करने की, अखबारों में बयान देने की इजाजत नहीं है। लोक सभा में भी यदि विरोधी पक्ष के लोग कोई विचार प्रकट करते हैं तो यह अखबारों में छपने नहीं दिया जाता।"

यही हाल विधान सभा का है। जो स्पीच यहां पर दी जाती है वह छपने नहीं पाती है। इस बात की बार-बार चर्चा की गयी है कि जनता को विरोधी दल के नेताओं और उनके सदस्यों को मीटिंग करने के लिए और अपनी राय जाहिर करने के लिए पूरी छूट है, लेकिन आप देखें कि कहीं पर भी संविधान संशोधन के लिए जनता के बीच में जाने के लिए और अपनी मीटिंग करने के लिए अनुमति नहीं दी गयी ह। इसके विपरीत बराबर डराया और धमकाया गया है।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, इनको कितना टाइम दिया गया है, आधे घन्टे से उपन्यास पढ़ रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। हमारे संविधान में इस बात का प्राविधान है कि कोई भी संशोधन होगा तो उसको राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और उसको पारित कराना होगा। बापू का जो प्रान्त है, गुजरात वहां पर विधान सभा है ही नहीं। राष्ट्र पिता बापू की आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई कराहती होगी कि उनका प्रदेश जो गुजरात है वहां की जनता को संविधान संशोधन पर अपना मत व्यक्त करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं .....

श्री अध्यक्ष—

माननीय त्रिवेनी ने आपके नाम के आग तिवारी के बजाय चतुर्वेदी लगा दिया।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

जो संकल्प माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी मैंने माननीय सदस्य, श्री मालवीय जी और नेता विरोधी दल के विचारों को सुना। उन लोगों ने कोई भी ऐसा तर्क प्रस्तुत नहीं किया जो संविधान संशोधन हो रहा है, उसकी आवश्यकता को कम करने वाला होता। माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी ने कहा सारे संविधान में संशोधन की बात ही तब पैदा हुई जबकि प्रधान मन्त्री के विरुद्ध अपील का निर्णय हाई कोर्ट में हुआ। माननीय लोक पति जी ने हमारी ओर से कहा कि यह बिलकुल गलत बात है, निराधार है। जहां तक संविधान में आवश्यक संशोधनों की बात है वह वर्ष 1971 के कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में स्पष्ट था। संविधान में जो भी संशोधन किए गए हैं वे इसलिए नहीं किए गए कि कौन सत्ता में रहे और कौन न रहे बल्कि इसलिए किए गए कि जो कांग्रेस के भूल भूत सिद्धान्त हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका कार्यन्वियन कैसे किया जाय और इसी दृष्टिकोण से सारे संशोधन किए गए।

माननीय मालवीय जी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के भाषणों के उद्धरण सदन में प्रस्तुत किए। मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि जब प्रधान मन्त्री नेहरू जी थे तो 22 मई, 1954 को कांग्रेस की ओर से एक उपसमिति का निर्माण किया गया जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री खंडू भाई देसाई और श्री श्रीमन्नारायण और देश के बड़े-बड़े नेता जैसे डा0 बी0 सी0 राय, मौलाना आजाद इत्यादि सब मौजूद थे। नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसमें संविधान की 15 धाराओं के संशोधन की अनुशंसा की गई थी और सारी की सारी बात इसी दृष्टिकोण से की गई थी कि जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, उनके कार्यान्वयन में क्या कठिनाई हो रही है और उनको कैसे दूर किया जाय? यह भी उस पक्ष से बताया गया कि हाई कोर्ट और दूसरी अदालतें किसी प्रकार से गरीबों के हित में बाधक नहीं बनी। जहां तक हमारी जानकारी है अनेक प्रगतिशील कदमों को जो भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारें गरीबों के हित में उठाना चाहती थीं, निहित स्वार्थों ने विभिन्न अदालतों की शरण लेकर उन नीतियों के कार्यान्वियन को रोका। बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री एस0 एस0 रे ने कहा था कि उनके प्रदेश में 1 लाख 81 हजार एकड़ भूमि वहां के गरीबों के बंटने से रह गई क्योंकि विभिन्न अदालतों ने स्थगन आदेश दे दिया और वे बिचारे उससे महरूम रह गए।

बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न सामने आया तो उस कदम को भी निहित स्वार्थों के लोगों ने चोट पहुंचाई और बड़े-बड़े सरमायेदारों ने सुपीम कोर्ट के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए। इससे न केवल गरीब लोग वांछित लाभों से वंचित रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार को करीब 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन मुआविजा के रूप में और देना पड़ा।

जहां तक अदालतों का प्रश्न है संविधान के इन संशोधनों से उनके अधिकार कम नहीं किए गए हैं। जैसा कि माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा कि प्रजातन्त्र में 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान मन्डल। इन तीनों में सामजञ्स्य रहे, ऐसा न हो कि कार्यपालिका न्यायपालिका का और न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य करने लगें। तो अदालतें अपने कार्य सीमा के अन्दर ही कार्य करें, यह प्रयास इन संशोधनों के द्वारा किया गया है।

धारा 368 के बारे में चर्चा हुई। भारत के प्रधान मन्त्री और कानून मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसका संशोधन करके स्थिति को स्पष्ट किया गया है। वर्ष 1951 में जब पहला अमेंडमेन्ट हुआ उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पातंजली शास्त्री साहब थे। उस समय 5 जजेज की बेन्च थी और उसने यह फैसला दिया था कि 368 धारा के अन्तर्गत लोक सभा को अधिकार है संशोधन करने का। जिस समय 17वें संशोधन को चुनौती दी गयी सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस श्री गजेन्द्र गडकर थे, उस समय 5 जजेज की बेन्च थी जिसने 3 और दो से फैसला दिया था कि 368 धारा के अन्तगत लोक सभा को अधिकार है संशोधन करने का। बाद में जब श्री सुब्बा राव साहब चीफ जस्टिस हुए तो उनके बारे में तो सारा देश जानता है कि उनके कुछ राजनैतिक विचार थे, कुछ अपनी राजनीतिक इच्छाएं थीं, आकांक्षाएं भी थीं और तब एक 11 जजेज की बेन्च बनी और उस में 6 और 5 के फैसले से यह किया गया कि 368 के अन्तर्गत लोक सभा को अधिकार नहीं है। तो जहां तक स्थिति का सवाल है, कोई अदालतों के अधिकारों को कम करने की बात नहीं हुई, केवल स्पष्ट किया गया है कि दो रायें न हो सकें।

मान्यवर, इस संविधान के संशोधन द्वारा बहुत सी ऐसी बातें भी शामिल की गयी हैं जिन पर राष्ट्र को गर्व हो सकता है और जो हमारे समाजवादी सिद्धान्त हैं उनके कार्यान्वियन में सहायक होंगी। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हम अब तक "डेगोक्रेटिक रिपब्लिक" थे। अब डमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक होंगे। अब समाजवादी और धर्म-निरपेक्ष शब्द के जोड़ने से मैं समझता हूं भारत की स्थिति स्पष्ट हुई और जन-जन को एक प्रेरणा मिली है कि वह आगे बढ़ कर के देश राष्ट्र के उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए जिनको बापू ने राष्ट्र के लिए आगे रखा था, उनके लिए तेजी से अग्रसर हो सकें।

धारा 311 में भी संशोधन किया गया है। जो विपक्ष में बैठे हैं वे अक्सर कहा करते थे और बड़े जोर से कहते थे लोक सभा और विधान सभाओं में भी, कि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती, इसलिए कि अदालतें उनको स्थगन आदेश दे देती हैं और वे अदालतों की शरण ले लेते हैं और चाहे कैसी ही आवश्यकता हो, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही हो पाती। तो उसमें संशोधन करके अदालतों के दायरे मे अधिकारियों के मामले को बाहर लाकर के ट्राइब्यूनल के निर्मित करने की एक व्यवस्था की गयो। मैं समझता हूं कि वह प्रशासन को चुस्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, इस संकल्प का समर्थन करता हूं और यह समझता हूं कि यह संकल्प राष्ट्र के जो परम्परागत आदर्श हैं उनकी दिशा में राष्ट्र को तेजी से ले जाने में सहायक होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, असल में यह प्रश्न कहां से उठा? जब राजाओं के प्रिवी पर्स का मामला पार्लियामेन्ट में आया और पार्लियामेन्ट ने उसके खात्मे के लिए कानून बना दिया, पास कर दिया, उसी वक्त—अभी हमारे माननीय विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने राजाओं के प्रिवी पर्स का जब खात्मा किया गया तो प्रेस में एक बयान दिया कि संविधान की हत्या हो गयी? किस लिए? अभी शारदा भक्त जी पूछ रहे थे कि क्या सही है? किस लिए हुई? जो राजा सैकड़ों वर्ष से देश की लूट करते थे और जनता को गुलाम बना करके जिन्होंने रखा था, जिन्होंने शोषण किया था, उनको जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया प्रिवी-पर्स के रूप में मिलता था, उसका जब खात्मा हुआ, राजाओं पर चोट पड़ी तब शारदा भक्त जी और चरण सिंह साहब को लगा कि संविधान की हत्या हो गयी।

[श्री ऊदल]

श्रीमन्, इसी तरह का मामला दूसरा है, ...जबसे आपत्तिकालीन स्थिति आयी, आ की शक्ल ही बदल गयी है। बैंकों के राष्ट्रीकरण का जब मामला आया तो इस प्रश्न पर भी वही हाल था। तो पार्लियामेन्ट को, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, 4 साल में ही भंग करना पड़ा। प्रश्न यह उठा कि संसद सुप्रीम है या जुडिशियरी ? विरोधी दल के नेता कहते थे कि जुडिशियरी सर्वोच्च है। इस सवाल के ऊपर संसद भंग हुई और 1971 का चुनाव हुआ। दूसरा प्रश्न यह था कि संसद सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट ? चुनाव में जनता की अदालत ने यह निर्णय दिया कि संसद सुप्रीम है। उसको अधिकार मिला कि संविधान में संशोधन करके राजाओं के प्रीवी पस को खत्म किया जाय। आज भी माननीय चौधरी चरण सिंह जी स्त्रियों के बारे में जिक्र कर रहे थे। चौधरी साहब जब मुख्य मन्त्री थे तो हमारी प्रदेश में सरकारी सेवाओं में काम करने वाली स्त्रियां उनसे मिलने गयीं। तो उन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह रेकमेन्ड किया कि औरतों को सर्विसेज में नहीं लेना चाहिए और हमारे प्रदेश में जो आई० ए० एस० और दूसरे सर्विसेज में स्त्रियां हैं उनको सेन्टर में बुला लिया जाय। इस सवाल को नवल किशोर जी ने राज्य सभा में उठाया था जिसका उत्तर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था और अखबारों में शाया हुआ था। ये प्रतिक्रिया में सिद्धहस्त हैं।

अभी माननीय मालवीय जी जवाहरलाल जी को कोट कर रहे थे। 1953 या 1954 में पहला संशोधन हुआ था। उसके बाद कई वर्षों के बाद हुआ। लेकिन अब आवश्यकता है कि जनता की भावनाओं को हमारा संविधान प्रतिबिम्बित करे। अगर किसी संविधान के अन्दर उस देश की जनता की भावनाओं का दिग्दर्शन नहीं होता तो उस संविधान को संशोधित करना प ेगा। इसलिए मैं माननीय मालवीय जी से कहना चाहता हूं कि आप तो समाजवादी हैं, समाजवादी आन्दोलन को आपने बढ़ाया। कम्युनिस्ट पार्टी से आपका मतभेद हो सकता है लेकिन समाजवाद से तो मतभेद नहीं हो सकता ! समाज वाद कहां कहता है कि फन्डामेन्टल राइट्स में प्रापर्टी का अधिकार रहने दिया जाय। अगर यह बात है तो आपको कहना चाहिए था कि फन्डामेन्टल राइट्स में प्रापर्टी के राइट को खत्म करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस सदन की भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी को केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करना चाहिए कि फन्डामेन्टल राइट्स में से प्रापर्टी के राइट को समाप्त किया जाय। मेरे पास मेरे बैग में कुछ आर्टिकल्स हैं, मगर मैं इस समय उनको निकाल कर पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैं माननीय शारदा भक्त सिंह से कुछ नहीं कहना चाहता, माननीय चौधरी चरण सिंह जी से भी कुछ नहीं कहना चाहता। मैं माननीय मालवीय साहब से अवश्य यह कहना चाहता हूं कि वे जरा गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करें, असरार साहब से कहना चाहता हूं कि वे विचार करें, इसमें रोड़े न अटकायें, क्योंकि यह अच्छा काम हो रहा है।

मान्यवर, जुडिशियरी ने क्या-क्या रोड़े नहीं अटकाए ? अगर जुडिशियरी इजारेदारों के इशारे पर, टाटा और बिड़ला के इशारे पर सामन्ती लोगों के इशारे पर चलेगी तो उनके अधिकारों को और कम करना प ेगा। समाजवादी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि वे इन लोगों से अपने को बचायें। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने चौधरी चरण सिंह जी के भाषण को बड़े गौर से सुना। मुझे अफसोस है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हुए उन्होंने मौलिक प्रश्नों को छुआ तक नहीं। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान को जितना पबित्र आप कहते हैं वैसा किसी संविधान निर्माता ने नहीं समझा है। अधिकांश लोगों ने अमेरिका के लिखित संविधान को दृष्टि में रख कर ही अलोचना की है। मैं

उनकी जानकारी के लिए अमेरिका के ही एक विद्वान थामस जेफर्सन के कथन को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"There is no country in the world which has a written constitution, where amendments have not taken place or where there is no power granted for the purpose of bringing about amendments."

"Some men look at the constitutions with sanctimonious reverence and deem them like the art of the covenant, too sacred to be touched. Each generation has a right to choose to itself the form of government it believes the most promotive of its own happiness."

जैफर्सन ने कहा है कि हर पीढ़ी के लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे यह चुने कि वे किस तरह का संविधान चाहते हैं। जैसा कि ऊदल जी ने कहा, चौधरी साहब की बात का न हमें शिकवा ह और न ही कोई शिकायत है क्योंकि वह तो पुराने दकियानूसी लोगों का ख्याल होता है, वह वही बात करते हैं। लेकिन जब सत्य प्रकाश मालीवय जी जैसे लोग खडे होते हैं। तो आश्चर्य होता है। जितने भी नेता जेल म हैं, चाह वे विरोधी दल के हों या किसी भी दल के हों, उनको सरकार जितनी सुविधा दे सकती है, देती है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं जेल में था, मैंने तीन चिट्ठियां प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को लिखीं, लेकिन जेल वालों ने उसको रोक लिया, भेजा तक नहीं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, इस तरह का जो प्रश्न उठा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि संविधान कोई न वेद है, न कुरान है, इसमें निरन्तर संशोधन होते हैं और होते रहे हैं। मैं ऊदल जी की बात नहीं कह रहा हूं। मेरे पास किताब है। अगर डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए कोई कानून बनता है, तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है कि फन्डामेन्टल राइट्स में संशोधन हो रहा है। हमारे माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी ने कहा कि मैं समाजवादी हूं। मैं यह समझता हूं कि जो पूरे राज्य का ढांचा बना हुआ है, एक समाजवादी समाज में पूंजीवाद की सुरक्षा के लिए है। चाहे पुलिस हो, चाहे जेल हो, चा प्रशासन हो, जब हम समाजवाद की तरफ कदम उठाते हैं, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप अमेरिका के जुडिशियरी के इतिहास को उठा कर देख लीजिए, जहां को आप कोट करते हैं।

श्रीमन्, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त गुलामी को खत्म करने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज किया गया। एक जो गुलामों के ओनर थे, मालिक थे, उन्होंने कहा कि गुलामों के हम ओनर हैं, मालिक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान के अन्दर वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं? क्या इस तरह के प्राइवेट प्रापर्टी के कांसेप्ट को रखना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर उसी तरह के गृह युद्ध हों जैसा कि लिंकन के समय अमरीका में हुआ, आप चाहते हैं?

(शोरगुल)

आप जरा शान्त रहें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, जुडिशियरी के बारे में हम याद हैं उधर के बैठे हमारे भाई हैं, बड़ी जोर आवाज उठी कि चुनाव आने दीजिए, जनता दिखा देगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक नहीं 100 उदाहरण आपको दे सकता हूं कि जहां पर एलेक्टोरेट लोग हैं, जनता उनके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपती है, वह उसको पूरा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन करके उसे पूरा करते हैं।

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

अमेरिका के दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। ग्राहम के जमाने में एक लीगल टेंडर ऐक्ट बना जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नल ऐण्ड वायड करार दिया। ग्राहम ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इस से अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था खतरे में है और उसने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजों को रख दिया जिन्होंने बैठ कर उसके पक्ष में फैसला किया और वह पुराना फैसला उलट गया। यह हिन्दुस्तान की बात नहीं है, अमेरिका के पूंजीवादी व्यवस्था की बात मैं बतला रहा हूं जहां पर कि मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। रूजवेल्ट के जमाने में 1933 में एक ऐक्ट पास हुआ था, जिसे वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस करार दे दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि 1937 में अमेरिका में प्रेसीडेन्ट का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में चुनाव लड़ा और उनके जीतते ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को रद्द कर दिया। जितने विरोध पक्ष के नेता हैं उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस पर गम्भीरता से बिचार करे। चौधरी चरण सिंह का पुराना दृष्टिकोण है। लेकिन उनको मौलिक परिवर्तन की बात सोचनी चाहिए। वे पुराने वकील रहे हैं और उस वक्त जो धारणा थी वह पुरानी पड़ गयी है। पुराने ऐक्ट थे। केशवानन्द भारती केस में जो फैसला हुआ आप सब जानते ही हैं।

मैं चुनौती देता हूं कि अगर आज इस तरह से फैसले हों तो जितने लोग यहां बैठे हुये हैं वे कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में विरोध पक्ष एक मत हो सकता है? जजों के प्रति जो धारणायें हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जज का काम यह नहीं है कि वह यह बतलावे कि ऐक्ट कैसा होना चाहिए? बल्कि जज का तो सीधा सादा काम है कि जो कानून पार्लियामेन्ट या विधान सभा बनावें, उनको देखे कि वे संविधान के अनुसार हैं या नहीं हैं। अगर वह वैसा न हो तो उसे अल्टरा वायरस करार दें। आर्टिकल 226 आज भी मौजूद है जिसमें रिट के पावर दिए हुए हैं। बहुत से छोटे-छोटे केसेज भी रिट में आज भी चले जाते हैं। मैं अपने यहां का उदाहरण दूं कि कोआपरेटिव सोसाइटी का एक तौला, जिसे सर्विस से हटा दिया गया था हाई कोर्ट में रिट में चला गया और वह चल रहा है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीजों के लिये 226 का प्राविजन नहीं किया गया है। जहां मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा हो वहां उससे काम लेना चाहिए। आर्टिकल 368 में साफ लिखा है और बहुत सही लिखा है कि कोई भी संवैधानिक संशोधन पार्लियामेन्ट का चैलेन्ज नहीं किया जा सकेगा इस बिना पर। यह स्पष्टीकरण जरूरी हो गया है ताकि पार्लियामेन्ट अपने राइट का इस्तेमाल करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दो-दो फैसले इसके विरुद्ध हों। इंग्लैन्ड का राजा भी पहले अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कह कर वहां का शासन करता था लेकिन उसे गद्दी से हटाया नहीं गया बल्कि उसकी गर्दन उड़ा दी गयी। इमर्जेन्सी का बार-बार राग अलापना ठीक नहीं है। इमरजेन्सी के खिलाफ आपके कुछ सुझाव हो सकते हैं लेकिन संविधान संशोधन के वक्त बार-बार इमरजेन्सी-इमरजेन्सी की रट लगाना ठीक नहीं है।

अभी परिवर्तन की बात कही गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि समय बदलता रहता है। चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन आप उसी जगह पर रहना चाहते हैं। आपका कहना है कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन परिवर्तन समय के साथ होता रहता है और होना चाहिये। यह समाज के हित में है। लेकिन कुछ सज्जनों को इससे परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज की परिभाषा इसमें नहीं दी गयी है। एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज में तमाम बातें आतीं हैं। एक रिलिजन को दूसरे के खिलाफ भड़काना ऐसे कार्य करना जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, इसमें आते हैं। लेकिन दुख है कि हमारे कुछ भाइयों का यह मत था कि हम चाहें

जो कुछ भी करते रहें। हमको यह सब करने का अधिकार है। हम हिंसा के द्वारा भी सरकार को उलट देंगे, ऐसे विचार कुछ भाइयों के थे और बहुत सी ऐसी ही बातें यहां पर भी की गयीं। माननीय राज्यपाल महोदय के ऊपर जूते फेंके गए, पत्थर फेंके गए। आपका व्यवहार ऐसा हो गया था कि उसको काबू में करने की जरूरत थी। आपको दवा की जरूरत थी, वह आपको मिल गयी।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्रीमन्, मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहूंगा कि जो संकल्प यहां पर लाया गया है उसका समर्थन हमारे विरोधी दल के भाई करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

(खड़े होने पर)

(कथा वाचक की आवाज सुनायी दी)

मान्यवर, कथा वाचक एक सदस्य ने कहा, मैं कोई विधिवेत्ता नहीं हूं जो इस समय कानून की बारीकियों को कह सकता हूं। लेकिन हमारे देश के मनीषियों ने, विचारकों ने जो कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं उनका कुछ अनुशीलन मैंने जरूर किया है। एक बात निर्विवाद रूप से रही है, वह बात यह है कि मेरे, आदरणीय मित्रों ने मौलिक प्रश्न उठाने की बात कही है। उन्होंने मौलिक प्रश्न उठाया या नहीं लेकिन मैं जानता हूं कि इस संविधान संशोधन के द्वारा पवित्र संविधान की हत्या, लोकतन्त्र का जनाजा जरूर उठा होगा। श्रीमन्, इनकी एक मान्यता है, स्वतन्त्र भारत के संविधान निर्माता जैसे विक्षिप्त थे, पागल थे, दूरदर्शी नहीं थे और निहित स्वार्थों के थे, यह ये लोग समझते हैं। उनके बनाए हुए संविधान में इतनी जल्दी, थोड़े से काल में बार-बार संशोधन किए जा रहे हैं। इससे इन्होंने सिद्ध किया है कि हमारे महान संविधान निर्माता जैसे पागल थे। यद्यपि स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। संविधान निर्माताओं के सामने भगवत् गीता का कथन था। निरपेक्ष-सुचिर दक्षं। निरपेक्षता, पवित्रता और दक्षता का सिद्धान्त उन्होंने दिया। जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया आज उनकी आलोचना की जाती है। राष्ट्रपिता गांधी, महर्षि बिनोबा, कालेलकर जैसे मनीषियों ने कहा है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो लेकिन उस पवित्र दर्शन को कलुषित किया जा रहा है और सारी सत्ता केन्द्रित की जा रही है। इसके पीछे एक मंशा है।

श्रीमन्, संसार में त्रिगुणात्मिका शक्ति समस्त ब्रम्हाण्ड में व्याप्त है। पिंड की तीन शक्तियां वात, पित्त और कफ इसे धारण करती हैं। सत्व, रज, तम, समस्त ब्रम्हान्ड को धारण करती हैं। सोम, सूर्य, अनिल, अण्ड को धारण करते हैं। तीन शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शास्त्र को वांग्मय को धारण करती हैं। उसी प्रकार शासन की जो तीन शक्तियां हैं वह समस्त जगह व्याप्त हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। इनमें विधायिका और न्यायपालिका को अत्यन्त पंगु बनाकर धीरे-धीरे सारी शक्ति ब्यूरोक्रेट को सौंप देना चाहते हैं जोकि अत्यन्त खतरनाक है। आज सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। मान्यवर, सत्य वह सत्य नहीं है जिसमें छल समाया हुआ हो। इनके हर कार्य में छल है। इस पर मैं एक श्लोक सुनाता हूं :—

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धाः
ने ते येन वदन्ति धर्मम धर्मः सनो यत्र न सत्य
यस्ति सत्येन तरयच्छल सभ्युपैति।

श्रीमन्, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि भगवान् से मैं मनाता हूं कि भारत वर्ष में रावण राज्य हो जाय। मेरे मित्र ने पूछा यह क्या कहते हो? तो मैंने कहा कि रावण राज्य में न्याय था और वह व्यवस्था का राज्य था। मैं उस इतिहास को दोहरा रहा हूं जिसे बाल्मीकि जी ने इंगित किया है। एक बार रावण के दरबार

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

में जब हनुमान जी उपस्थित हुए तो उन पर चार्ज लगाया गया कि तुम बिना पास पोर्ट के कैसे आ गए ? इसलिए तुम पर धारा 302, 395 आदि अनेक प्रकार की धारायें जैसे मीसा, डी० आई० आर० लगा दी गयीं। लेकिन रावण ने शर्त रखी कि जब तुम अपना स्पष्टीकरण नहीं दोगे तब तुम्हें दन्डित किया जावेगा। लेकिन आज तो सारी धारायें लगाने के बाद मीसा लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं है। रावण ने कहा था कि स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो भयानक परिणाम होगा। हनुमान जी ने स्पष्टीकरण रावण के दरबार मे पेश किया। सफाई से जब वह सन्तुष्ट नहीं हुआ तो उसने मृत्यु दन्ड सुनाया। किन्तु रावण की मन्त्रि-परिषद् के वरिष्ठ सदस्य उनके अनुज विभीषण प्रतिवाद हेतु खड़े हो गए। महर्षि बाल्मीकि ने लिखा है :

प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थ युक्तं वचन अणुष्व
वधैन कुर्वान्ति परावरज्ञा : दूतस्य सन्तो वसुधाधि पैन्ज्ञा :

किन्तु आज तो सब लोग मौन और निश्चेष्ट हैं। तो श्रीमन्, आज इन लोगों की विदेशी मदिरा पीकर बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है। मुर्ग-मुसल्लम उड़ाकर, रोमांस की राजनीति खेलकर सारे समाज को विषाक्त बना रहे हैं। यह लोग संविधान की खिल्ली उड़ा रहे हैं। इस तरह की खिल्ली पुराने समय में भी हुई थी लेकिन वह एक दिन सब के सामने आती है। इतना मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मुझे दुष्यंत के शब्द याद आते हैं। उसने अन्त में कहा था :—

यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं,
खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा।
इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात,
अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियां।

श्रीमन्, अभी मेरे मित्र ने सुनाया आप की राजनीति दर्शन मैं जानता हूं।

कुछ सदस्य—

समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष—

पांच मिनट समय बढ़ा दिया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

तो श्रीमन्, राजनीति में शासन और दर्शन साथ-साथ चलते हैं। राजनीति दर्शन के बिना अपूर्ण है। माओ, कन्फ्यूशियस, लिंकन के पास अपना दर्शन था। चन्द्रगुप्त के साम्राज्य में चाणक्य का दर्शन था। ग्रीक साम्राज्य में अरेस्टाटिल, प्लेटो तथा सुकरात का दर्शन था। आचार्य, शंकर, रामानुज, बल्लभ, निम्बार्क, रामानन्द का द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाताद्वैत, शुद्धथाद्वैत आदि दर्शन थे। गौतम और कणाद के, कपिल के वैशेषिक और न्याय, सांख्यि दर्शन थे। महर्षि कणाद जो वैशेषिक दर्शन, ऐटमिक थ्योरी या परमाणुवाद के संसार में प्रथम प्रवर्तक थे उनके अन्तिम काल में उनके शिष्यों ने पूछा, ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है ? महर्षि कणाद ने कहा, "पीलव : पीलव : पीलव :, यानी ऐटम, ऐटम, ऐटम। ये लोग जब मरने लगेंगे तो इनके सामने एक ही दर्शन होगा और जब इनके उत्तराधिकारी, राजनीतिक शिष्य पूछेंगे कि भारत का राजनीतिक दर्शन क्या है तो यह कहेंगे, "कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी"। ये दर्शन वालों जरा सत्य को पहचानो। किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालो कभी ऐसा होता है कि किनारे डूब जाते हैं। जब समय बदलेगा। मैं एक ही बात बता कर समाप्त करता हूं।

मेरे सीने में हो या फिर तेरे सीने में सही,
हो कहीं आग लेकिन आग जलनी चाहिए,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना, मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बज फिर बठग।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बज तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
10 दिसम्बर, 1976

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1001 पर।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए, शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण:—

(1) खण्ड 41 की अनुसूची के पूर्व "(इनवर्टेट कामाज) रख दिए गए हैं।

(2) खण्ड 41 की अनुसूची के मद 'क' की प्रथम पंक्ति में शब्द "पटेटेदारी" के स्थान पर शब्द "पट्टेदार" रख गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1002 पर।)

उत्तर प्रदेश पशु-क्रय कर विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण :—

(1) खण्ड 14 (ग) में शब्द "साक्षी की साक्षी" के स्थान पर शब्द "साक्षी के साक्ष्य" रख दिए गए हैं।

(2) खण्ड 17(2)(घ) में शब्द "द्वारा 7" के स्थान पर शब्द "धारा 7" रख दिया गया है।

(3) खण्ड 17 (2) (ङ) में शब्द "द्वारा 9" के स्थान पर शब्द "धारा 9" रख दिया गया है

———

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1002 पर।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तगत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण--

(1) खण्ड 21(ii) के अन्त में चिन्ह " ." के पश्चात् चिन्ह "—" बढ़ा दिया गया है।

(2) खण्ड 22 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड की पंक्ति 3 में शब्द "कर्त्तव्य" के स्पेलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1002 पर।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण:—

(1) खण्ड 6(1) के उपान्तीय शीर्षक "वृक्ष के निपातन या अपनयन की अनुज्ञा" के स्थान पर शीर्षक "वृक्ष के निपातन या अपनयन की अनुज्ञा लेने की प्रक्रिया" रख दिया गया है।

(2) खण्ड 11(1) के परन्तुक की पंक्ति 3 में शब्द "अपराध को किए जाने" के स्थान पर शब्द "अपराध के किए जाने" रख दिए गए हैं।

(3) खण्ड 14 (1) की पंक्ति 3 में शब्द "उल्लघंन से प्रयुक्त नाव" के स्थान पर शब्द "उल्लघंन में प्रयुक्त नाव" रख दिए गए है।

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1002 पर।)

उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 में विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए आनुषांगिक एवं शाब्दिक संशोधनों का विवरण--

(1) खण्ड 5 में उल्लिखित धारा 63(1)(च) की पंक्ति 3 में शब्द "पूर्वबर्ती" के स्थान पर शब्द 'पूर्ववर्ती" रख दिया गया है।

(2) खण्ड 6 में (क)(दो) की पंक्ति 6 व 8 में शब्द "जिसे" के स्थान पर शब्द "जिन्हें" रख दिया गया है।

(3) खण्ड 6(ख) में शब्द "परिषद्" के अक्षर "द" को हलन्त कर दिया गया है।

(4) खण्ड 6 के उपान्तिक शीर्षक में "1963" के स्थान पर "1973" रख दिया गया है।

नत्थी 'ब'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1002 पर।)

उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण—

(1) खण्ड 2 की पंक्ति 3 में शब्द "फीस" और "पथकर" के बीच में कामा " , " बढ़ा दिया गया है।

(2) खण्ड 4 के उपखण्ड (2) की पंक्ति 3 में शब्द "अधिसूचनायें" के स्थान पर शब्द "अधिसूचनायें" रख दिया गया है।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1003 पर।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधन का विवरण—

खण्ड 2 की पंक्ति 1 में शब्द "की" और "जिसे" के मध्य चिन्ह " , " बढ़ा दिया गया है।

अनुवाद अनुभाग

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1003 पर।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण—

(1) खण्ड 1 के उपान्तीय शीर्षक के शब्द "संक्षिप्त नाम" के बाद चिन्ह " , " बढ़ा दिया गया है।

(2) खण्ड 2 (ख) की पंक्ति 4 में शब्द "अनुषंगिक" के स्थान पर शब्द "आनुषंगिक" रख दिया गया है।

(3) खण्ड 2 (न) की पंक्ति 1 में शब्द "सीमान्त" के स्पैलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

(4) खण्ड 5 (1) के उपान्तीय शीर्षक में शब्द ",आदि' के स्पैलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

(5) खण्ड 11 (4) की पंक्ति 1 में शब्द "जिसमें" के स्थान पर शब्द "जिनमें" रख दिया गया है।

(6) खण्ड 12 (1) में शब्द "जल स्रोतों' के स्पैलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

(7) खण्ड 12 (3) (च) के शब्द "जल स्रोतों" के स्पैलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

(8) खण्ड 16(ग) में पंक्ति 2 में शब्द "समुन्नति फीस" और "निर्माण कार्य" के मध्य चिन्ह " , " बढ़ा दिया गया है।

(9) खण्ड 16 (ग) (चार) की पंक्ति 2 में शब्द "औषधि" और "खाद" के मध्य चिन्ह " , " बढ़ा दिया गया है।

(10) खण्ड 16(ग) (सात) में शब्द "जल स्रोतों" के स्पैलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

(11) खण्ड 26 (2) की पंक्ति 1 में शब्द "ऋण" के स्पैलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

(12) खण्ड 28 (2) की पंक्ति 1 में शब्द "किसी" के स्पैलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

(13) खण्ड 38 (5) की पंक्ति 2 में शब्द "भुगतान करने को" के स्थान पर शब्द "भुगतान करने की" रख दिए गए हैं।

(14) खण्ड 44 (ङ) की पंक्ति 1 में शब्द "खाइयां" के स्पैलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

(15) खण्ड 46 (1) की पंक्ति 1 में शब्द "प्राधिकारी" के स्पैलिंग शुद्ध कर दिये गए हैं।

(16) खण्ड 47 की पंक्ति 3 में शब्द "अधिकारियों को" और "यथास्थिति" के मध्य चिन्ह " ; " बढ़ा दिया गया है।

(17) खण्ड 51 की पंक्ति 1 में शब्द "अधिनियम" के स्पैलिंग शुद्ध कर दिए गए हैं।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1010 पर ।)

नियाज हसन,

सदस्य, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

3, राज भवन कालोनी,
लखनऊ ।

सितम्बर, 21, 1976

श्रीयुत अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
लखनऊ ।

मान्यवर, महोदय,

मैं धार्मिक कार्य-क्रम हज पर जा रहा हूं इसलिए आगामी 10 नवम्बर, 1976 से 20 या 22 दिसम्बर, 1976 तक देश के बाहर रहूंगा ।

यदि उक्त अवधि में विधान सभा का अधिवेशन होता है तो मुझे उपस्थिति से मुक्त रखा जाय ।

धन्यवाद सहित,

भवदीय,
नियाज हसन ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1010 पर।)

सेवा में;

अध्यक्ष महोदय;
विधान सभा; उत्तर प्रदेश;
लखनऊ।

द्वारा--जेल अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

विषय--सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा।

दिनांक: 30 नवम्बर, 1976

महोदय,

आपके संसदीय अनुभाग का पत्र संख्या 3812/157(सं)-74, दिनांक 2। नवम्बर, 1976 प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा मुझे यह सूचना दी गई है कि सदन के उपवेशनों से अभी तक मेरी लगातार अनुपस्थिति 55 (पचपन) दिन की है। जबकि इसी अनुभाग के पत्र संख्या 3574/157(सं)-74,दिनांक 12 नवम्बर, 1976 द्वारा मुझें यह सूचना दी गई थी कि मेरी ऐसी लगातार अनुपस्थिति 54 दिन की है। जिसके आधार पर मैंने अनुज्ञा के लिए पत्र भेजा है। पता नहीं दोनों में कौन सही है। इस कारण अब 55 (पचपन) दिन तक अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा मांगने के लिए वह आवेदन-पत्र देना आवश्यक हो गया, मीसा के अन्तर्गत मैं जुलाई से आज तक निरुद्ध हूं। इसी विवशता के कारण मेरी उक्त अनुपस्थिति है।

अतएव सविनय प्रार्थना है कि:—

1--सदन के उपवेशनों से जुलाई, 1975 से आज तक अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय। इस प्रकार की लगातार अनुपस्थिति 55 (पचपन) दिन की होती है; जिसकी अनुज्ञा देने की कृपा की जाय।

2--भविष्य में भी सदन के उपवेशनों से उपर्युक्त कारणों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय।

भवदीय;

माधव प्रसाद त्रिपाठी,
सदस्य; विधान सभा।
2-12-76

मेडिकल कलेज; लखनऊ।
7-12-76

नत्थी 'ट'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1010 पर)

तार: पुरवार फोन: 3

राम चरन शाह
(अध्यक्ष, जिला जनसंघ, खीरी)
सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

काश्मीर होटल,
अमीनाबाद, लखनऊ
फोन, 26052

पोस्ट सिगाही,
जिला खीरी, उत्तर प्रदेश
अध्यक्ष—नगर क्षेत्र समिति, निगाही, मेड़ौरा,
उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पुरवार वैश्य महासभा (रजि0)

दिनांक: 29 नवम्बर, 1976

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

विधान सभा सचिवालय से प्रेषित पत्र संख्या 3574/157(सं)-74, के द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपवेशनों में हमारी अनुपस्थिति लगातार 54 दिन की हो चुकी है।

मैं हृदय रोग का पुराना रोगी हूं। इधर विगत 15 माह से लगातार अस्वस्थ चल रहा हूं। अभी तक हमारी स्थिति पूर्ववत् है। डाक्टर की सलाह है कि मैं अपने प्राण रक्षा के लिए पूर्ण विश्राम पर रहूं जो कि संलग्न डाक्टरी रिपोर्टों से भी प्रमाणित है। अतः आपसे सानुरोध निवेदन है कि विधान सभा के विगत उपवेशनों से हमें अनुपस्थित रहने तथा जब तक कि मैं स्वस्थ नहीं हो जाता हूं, आगे के उपवेशनों से भी हमें अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय,
राम चरन शाह।

नोट :—
*3 डाक्टरी रिपोर्ट संलग्न है।

---

*प्रार्थना-पत्र के साथ डाक्टरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है किन्तु छापी नहीं गई है।

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1010 पर)

माननीय अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

मान्यवर,

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश के दिनांक 23 नवम्बर, 1976 के पत्र संख्या 3764/157(सं)–74 के सन्दर्भ में निवेदन है कि मैं मीसा के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरुद्ध हूं। अतएव सदन के उपवेशनों में हिस्सा लेने के लिए असमर्थ हूं। ऐसी परिस्थिति में श्रीमन्, निवेदक 1976 के बजट सेशन में उपस्थित न हो सका और नवम्बर, दिसम्बर के उपवेशन में भी भाग न ले सका।

श्रीमन् से निवेदन है कि प्रार्थी को सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय।

निवेदक,

बाबा रामनाथ,
विधायक, 342, मैनपुरी,
मीसा नजरबन्द, केन्द्रीय कारागार,
नैनी, इलाहाबाद।

दिनांक 26–11–76

विधान परिषद

पी०एस०यू०पी०—एल० 266 वि० सभा (573)–1977—840+51